[2022] 19 एस. सी. आर 879

नोएल हार्पर और ओआरएस।

वी.

भारत संघ और ए. एन. आर.

(2021 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 566)

अप्रैल 08,2022

[ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और

सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010, जैसा कि विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है। 7 ,

अपरिवर्तित एस। 7 विदेशी योगदान के हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया, लेकिन संशोधित धाराओं के विपरीत इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया। 7 एस। 12 (1 ए) ने परिकल्पना की कि धाराओं की उप-धारा (1) के तहत आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति। 12 एस में निर्दिष्ट तरीके से एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने के लिए बाध्य/आवश्यक था। 17 और ऐसे खाते के विवरण का उल्लेख करें

अपने आवेदन में - एस. 17, विशेष रूप से उप-धारा (1) में, जैसा कि संशोधित किया गया है, अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति दी जाए। एस. 12 केवल निर्दिष्ट बैंक में एफ. सी. आर. ए. खाते के रूप में नामित खाते में विदेशी योगदान प्राप्त करेगा। 12 और 17 ने इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए - 2020 के अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित s.12A ने केंद्र सरकार को पहचान दस्तावेज के रूप में आधार संख्या आदि की आवश्यकता का अधिकार दिया-आयोजितः 2020 के अधिनियम के तहत संशोधित प्रावधान, अर्थात् एस. एस. 7 , 12 (1 ए) 2010 के अधिनियम के 12 ए और 17 संविधान और विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में हैं।

अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 संशोधित धाराएँ। 7 उस व्यक्ति द्वारा विदेशी योगदान के हस्तांतरण को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है जिसने इसे प्राप्त किया है/स्वीकार किया है-हालाँकि यह प्राप्तकर्ता को विदेशी योगदान का उपयोग करने से नहीं रोकता है।

" स्वयं "उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए उन्हें पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है या अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त की गई है -

प्रतिबंध अनिवार्य रूप से प्राप्तकर्ता संगठन की जवाबदेही को तय करता है और अनुमत उद्देश्यों के लिए स्वयं द्वारा अधिकतम उपयोग को अनिवार्य करता है-यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है-यह न तो कर सकता है

मनमाना कहा जाए और न ही भेदभावपूर्ण, बहुत कम स्पष्ट रूप से मनमाना-Art.14 के अर्थ के भीतर या Art.21 पर प्रभाव डालना।

संविधान की पूर्व-संशोधन व्यवस्था (बिना संशोधन वाली धाराएँ। 7) विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए पर्याप्त नहीं था जैसा कि विदेशी संघ द्वारा भविष्यवाणी की गई थी।

योगदान (विनियमन), 2010-गड़बड़ी को दूर करने और विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग के संबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, जो हर वित्तीय वर्ष में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर काफी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, संशोधित धाराओं को लागू करना आवश्यक हो गया। 7 - तथ्य यह है कि अपरिवर्तित एस। 7 कम प्रतिबंधात्मक था, संशोधित प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने का आधार नहीं हो सकता है

Art.19 (1) (c) या 19 (1) (g) या कला का टचस्टोन। 14 और संविधान का 21 - एस. 12 (1ए) और एस. 17 (1) , संसद द्वारा सख्त नियामक उपाय प्रदान करने के लिए अपनाया गया एक समग्र दृष्टिकोण है और विदेशी मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

योगदान-राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आम जनता के हित का मामला होने के नाते, संविधान के Art.19 (1) (c) या 19 (1) (g) के आधार पर इस तरह के कानून की वैधता पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं है-यह संघों के गठन या व्यापार में शामिल होने को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रावधान नहीं है।

दान इस प्रकार-यह व्यापार करने के तरीके को विनियमित करने के लिए एक प्रावधान है, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, विदेशी योगदान से संबंधित-यह प्रावधान वास्तविक समय के आधार पर विदेशी योगदान के कुशल विनियमन के लिए आवश्यक हो गया, इसलिए, इसे वैध के बिना न तो स्पष्ट रूप से मनमाना कहा जा सकता है और न ही तर्कहीन कहा जा सकता है।

राज्य का उद्देश्य-तदनुसार, इन प्रावधानों को कला के उल्लंघन के रूप में चुनौती देना। 14 , 19 और संविधान के 21 को एस के सम्मिलन के रूप में अस्वीकार कर दिया गया है। 12 ए का संबंध है, यह संशोधन देश की संप्रभुता और अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए आवश्यक था, जिसमें राज्य और आम जनता की सुरक्षा भी शामिल है-यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि इस अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक संघों को अपने प्रमुख अधिकारियों से संबंधित आधिकारिक पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है - s.12A को पढ़ा जाना चाहिए और यह समझा जाना चाहिए कि आवेदक (संघों/एन. जी. ओ.) के प्रमुख पदाधिकारी/पदाधिकारी जो भारतीय नागरिक हैं, अपनी पहचान के उद्देश्य से भारतीय पासपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं-वह होगा

एस में जनादेश का पर्याप्त अनुपालन माना जाता है। 12 ए. पहचान से संबंधित-भारत का संविधान-कला। 14 , 19 (1) (ग), 19 (1) (छ) और 21।

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010-विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020

2020 में संशोधित 2010 के अधिनियम के साथ समाप्त होने वाला इतिहास -

विदेशी योगदान के "हस्तांतरण" को प्रतिबंधित करने के लिए सख्त व्यवस्था को अपनाना और प्राप्तकर्ता द्वारा स्वयं इसके "उपयोग" पर जोर देना-चर्चा की गई।

या आर्थिक नीतियाँ जिसमें एक आर्थिक कानून कठोरता, असमानताओं, अनिश्चितताओं या संभावना से परेशान हो सकता है दुरुपयोग इसे समाप्त करने का आधार नहीं हो सकता है।

नीति-संसद द्वारा बनाया गया न्यायसंगत कानून-केवल व्यक्तिगत कठिनाइयों के अनुरोध पर, न्यायालय नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

विधान-संशोधित प्रावधान-संसद की भूमिका लोकतांत्रिक जवाबदेही-न्यायिक समीक्षा-आयोजितः वहाँ है।

यह धारणा कि संसद कानून के कार्यान्वयन में प्राप्त आवश्यकताओं और अनुभव के अनुसार अपने स्वयं के लोगों की जरूरतों को समझती है और प्रतिक्रिया देती है-संसद सर्वोच्च है और कानून के मामलों में अंतिम निर्णय लेती है जब वह लोकतांत्रिक जवाबदेही के रूप में और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालयों द्वारा आगे की जांच के साथ विभिन्न तिमाहियों से इनपुट के साथ विकल्पों और विकल्पों पर विचार करती है।

प्रावधानों में संशोधन किया और विधायी इरादे को कमजोर किया।

शब्द और वाक्यांश-अभिव्यक्ति "विदेशी योगदान" का अर्थ-विदेशी योगदान और विदेशी निवेश के बीच अंतर-आयोजितः अपनी प्रकृति से, विदेशी योगदान एक विदेशी स्रोत से कथित रूप से निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए और मानवता के कारण की सेवा के लिए स्वीकार किया गया दान है।

योगदान "को एस में परिभाषित किया गया है। 2 (1) (ज) 2010 के अधिनियम का अर्थ है दान, जो किसी भी वस्तु, मुद्रा, प्रतिभूति आदि के किसी भी विदेशी स्रोत द्वारा किए गए वितरण या हस्तांतरण के रूप में हो सकता है।-विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 - एस. 2 (1) (एच)।

शब्द और वाक्यांश विदेशी योगदान का हस्तांतरण और उपयोग-अभिव्यक्ति "हस्तांतरण" और "उपयोग"-का अर्थ-चर्चा विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः

विदेशी योगदान की धारा 7 की वैधता

(विनियमन), 2010, जैसा कि 2020 अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

1. संशोधित प्रावधान उस व्यक्ति द्वारा विदेशी योगदान के हस्तांतरण को पूरी तरह से खारिज करता है जिसने प्राप्त/स्वीकार किया है।

सबसे पहले वही। यह प्राप्तकर्ता को नहीं रोकता है उन उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान "स्वयं" का उपयोग करने से जिसके लिए उसे पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है या

अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त की। [पैरा 44] [958-डी-ई] 2. विदेशी योगदान के उपयोग के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, पूर्ण प्रतिबंध की तो बात ही छोड़िए। इसका तर्क

धारा 7, जैसा कि संशोधित किया गया है, अन्य बातों के साथ-साथ यह है कि दाता (विदेशी स्रोत) को पहले से घोषित निश्चित उद्देश्यों के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जाता है। प्राप्तकर्ता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत और उपयोग के संबंध में प्राप्तकर्ता पर संबंधित दायित्व

निधियों का स्वयं घोषित उद्देश्यों के लिए और कोई अन्य नहीं। [पैरा 46] [959 सी]

3. जिस विधायी उद्देश्य के लिए संशोधन किया गया है, वह प्राप्तकर्ता के लिए सख्त व्यवस्था लागू करना है।

केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र या अनुमति के अनुसार जिन उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है, उसी "स्वयं" का उपयोग करने के लिए विदेशी योगदान। इसके अलावा, उसी संशोधन अधिनियम द्वारा, प्राप्तकर्ता द्वारा प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान का उपयोग केवल बीस प्रतिशत तक कम कर दिया गया है, ताकि उन उद्देश्यों पर अधिकतम खर्च सुनिश्चित किया जा सके जिनके लिए विदेशी योगदान है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र रखने वाले प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया। इस तरह के सख्त प्रावधान के अभाव में, कुछ प्राप्तकर्ता

संगठन कथित तौर पर एक के बाद एक श्रृंखला में लिप्त थे

अन्य संगठनों को हस्तांतरण, जिससे धन का एक स्तरित मार्ग बनता है और पचास प्रतिशत तक के क्रमिक हस्तांतरण की प्रशासनिक लागतों के लिए धन का उपयोग भी होता है, जिससे उन उद्देश्यों पर खर्च करने के लिए बहुत कम धन बचता है जिनके लिए इसे अनुमति दी गई थी। इसलिए, हस्तांतरण सरलीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध प्रदान करना, प्राप्तकर्ता संगठन और एन. ओ. ई. एल. हार्पर एंड ओ. आर. एस. की जवाबदेही तय करने का उचित विकल्प था।

अनुमत उद्देश्यों के लिए अधिकतम उपयोग। ऐसा होता है

संशोधन का स्पष्ट उद्देश्य और उद्देश्य, संशोधित धारा 7 को चुनौती देने में विफल होना चाहिए। [पारस 50 और 51] [961-एच; 962-ए-डी] 4. तथ्य यह है कि पहले विदेशी योगदान के हस्तांतरण की अनुमति अपरिवर्तित प्रावधान के अनुसार दी गई थी, जो अपने आप में नहीं हो सकता है।

संशोधित प्रावधान की वैधता को चुनौती देने का आधार बनें। क्योंकि, संसद के लिए यह खुला है कि वह संबंधित समय पर लागू प्रावधान के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त आवश्यकताओं और अनुभव के आधार पर प्रतिबंध के मानदंड को उच्च मानक से निम्न मानक या इसके विपरीत में बदल सकती है।

[पैरा 52] [962-डी-ई]

5. निश्चित रूप से, विदेशी योगदान विदेशी निवेश से गुणात्मक रूप से अलग है। विदेशी दान प्राप्त नहीं किया जा सकता है

एक पूर्ण या यहां तक कि एक निहित अधिकार। किसी को भी विदेशी दान स्वीकार करने के निहित अधिकार का दावा करते हुए नहीं सुना जा सकता है, बहुत कम एक पूर्ण अधिकार। ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति के विदेशी योगदान से प्रभावित होने की संभावना के सिद्धांत को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। क्योंकि, विदेशी योगदान का देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना और राजनीति के मामले में भौतिक प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी।

सहायता विदेशी योगदानकर्ता की उपस्थिति पैदा कर सकती है और देश की नीतियों को प्रभावित कर सकती है। यह राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित या थोपने की प्रवृत्ति रखता है। राष्ट्र की संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत के साथ विदेशी योगदान के प्रभाव का विस्तार होने के कारण, देश में विदेशी योगदान की उपस्थिति/प्रवाह न्यूनतम स्तर पर होना चाहिए, यदि पूरी तरह से नहीं रोका गया है। प्रभाव विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जिनमें शामिल हैं -

देश के भीतर सामाजिक व्यवस्था को अस्थिर करने में। [पैरा 53 और 54] [962-ई-एफ, एच; 963-ए-सी] 6. यह समझने में कोई विफल रहता है कि कैसे इस तरह के प्रावधान (संशोधित धारा 7) को भेदभावपूर्ण माना जा सकता है या इसलिए अस्पष्ट या तर्कहीन कहा जा सकता है। द.

इसमें प्रतिबंध उन व्यक्तियों के एक वर्ग पर लागू होता है जिन्हें बिना किसी भेदभाव के निश्चित उद्देश्यों के लिए स्वयं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए विदेशी दान स्वीकार करने की अनुमति है और ऐसा किया जाता है।

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के उद्देश्य को बनाए रखना। इस प्रकार, विदेशी [2022] 19 एस. सी. आर. के इरादे से हासिल की जाने वाली प्रत्यक्ष सांठगांठ के साथ स्पष्ट समझ में आने वाला अंतर है।

अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010। द्वारा प्राप्त अनुभव के कारण इस तरह का सख्त शासन अपरिहार्य हो गया था अपरिवर्तित प्रावधान के तहत पहले की व्यवस्था के दुरुपयोग के बारे में सहित समय की अवधि के लिए संबंधित अधिकारी। [पैरा 57] [963-एच; 964-ए-बी]

7. प्रतिबंध अनिवार्य रूप से प्राप्तकर्ता संगठन की जवाबदेही को तय करता है और अनुमत उद्देश्यों के लिए स्वयं द्वारा अधिकतम उपयोग को अनिवार्य करता है। यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है।

इसे न तो मनमाना कहा जा सकता है और न ही अनुच्छेद 14 के अर्थ के भीतर कम स्पष्ट रूप से मनमाना भेदभावपूर्ण कहा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21 पर प्रभाव डालना। कानून के मामले में,

चूंकि विषय अधिनियम व्यक्तियों के एक अलग वर्ग (विदेशी योगदान स्वीकार करने/प्राप्त करने) से संबंधित है और यह एक पर आधारित है

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 द्वारा प्राप्त किए जाने का उद्देश्य रखने वाला बोधगम्य अंतर, यह शायरा बानो में वर्णित परीक्षण को पूरा करता है। इसी कारण से, चुनौती के तहत संशोधित प्रावधान न तो मनमौजी, तर्कहीन या तर्कहीन है।

निर्धारक सिद्धांत की कमी, न ही अति और असमान होने के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है। [पैरा 58] [964-डी-एफ]

8.1 . ऐसी धारणा है कि संसद आवश्यकताओं के अनुसार अपने ही लोगों की जरूरतों को समझती है और उन पर प्रतिक्रिया देती है

और कानून के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव। संवैधानिक अवरोध को आकर्षित करने के लिए केवल असुविधा का अनुरोध पर्याप्त नहीं है। न्यायालयों को संशोधित प्रावधानों का अर्थ लगाने में एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए और

विदेशी योगदान से संबंधित नियामक तंत्र को मजबूत करने का विधायी इरादा। विधायिका को लाभ होता है विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए निवेशों के आधार पर अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए काफी अक्षांश। यह इंगित करने के लिए आंतरिक साक्ष्य हैं कि संशोधनों द्वारा प्रभावित परिवर्तन वैध सरकारी उद्देश्य को पूरा करने के लिए है और विदेशी योगदान (विनियमन), 2010 और संशोधनों के उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है, और यह कि पूर्व-संशोधन वितरण (बिना संशोधन वाली धारा 7) प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

विदेशी योगदान (विनियमन), 2010 द्वारा पूर्वनिर्धारित विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग। [पैरा 59] [964 एफ-जी; 965-ए-बी] नॉइल हार्पर और ओआरएस।

योगदान (दान); और विशेष रूप से जब विदेशी मुद्रा की प्राप्ति या स्वीकृति या चाहे वह विदेशी योगदान हो, अन्यथा सामान्य रूप से निषिद्ध समझा जाता है। इस विषय अधिनियम की परिकल्पना अनिवार्य रूप से सार्वजनिक व्यवस्था और आम जनता के हित में की गई है क्योंकि इसका उद्देश्य सुरक्षा के लिए विदेशी स्रोतों से आने वाले विदेशी योगदान के दुरुपयोग और दुरुपयोग को रोकना है। एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्य। [पैरा 63] [966-डी ई; 967-जी-एच]

8.3 . तीसरे पक्ष को हस्तांतरण पर प्रतिबंध या पूर्ण निषेध, किसी भी मानक के बिना, विदेशी स्वीकार्यता से वंचित करता है। इसके लिए अनुमत तरीके से योगदान और उपयोग

निश्चित उद्देश्य, जैसे सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक या सामाजिक कार्यक्रम। इस तरह के प्रावधान को इस रूप में समझा जाना चाहिए आम जनता के हित में और सार्वजनिक व्यवस्था सहित देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नतीजतन, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 सहित रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुरोध किए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) या 19 (1) (जी) का भी कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

इस दृष्टिकोण के अनुरूप, संशोधित धारा 7 की चुनौती को सभी मामलों में खारिज किया जाना चाहिए। [पैरा 65] [967-बी-डी]

8.4 . इसी कारण से, मूल अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध की कमी के बारे में रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क भी विफल होना चाहिए। इसका कारण व्यापक सार्वजनिक हित है और विशेष रूप से देश की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए है। 2010 के अधिनियम की अपरिवर्तित धारा 7 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पिछले अनुभव के कारण इस तरह के संशोधन की आवश्यकता पड़ी है।

इसे उद्देश्यों और कारणों और संशोधन अधिनियम की शुरूआत में इस तरह से उजागर किया गया है। [2022] 19 एस. सी. आर. में संशोधन विधेयक पर विचार करते समय इसे संसद में बहस से भी निकाला जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) या 19 (1) (जी) या अनुच्छेद 14 और 21। संशोधित धारा 7, स्पष्ट और स्पष्ट होने के कारण और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध होने के कारण और भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य के हितों के कारण आवश्यक है। आम जनता। यह समझ से परे है कि संशोधित प्रावधान को किसी भी मापदंड पर असंवैधानिक कैसे माना जा सकता है। [पैरा

66] [967 - डी-एच; 968-ए-बी]

विदेशी योगदान (विनियमन), 2010 की धारा 12 (1ए) और धारा 17 (1) की वैधता, जैसा कि 2020 अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।

9. धारा 12 (1ए) को 2020 के अधिनियम 33 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो उप-अधिनियम के तहत आवेदन करता है।

धारा 12 की धारा (1) धारा 17 में निर्दिष्ट तरीके से एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने और अपने आवेदन में ऐसे खाते के विवरण का उल्लेख करने के लिए बाध्य/आवश्यक है। धारा 17, विशेष रूप से उप-धारा

(1) जैसा कि संशोधित किया गया है, आदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 12 के तहत प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति दी गई थी, वह प्राप्त करेगा

केवल निर्दिष्ट बैंक में एफ. सी. आर. ए. खाते के रूप में निर्दिष्ट खाते में विदेशी योगदान। असंशोधित धारा 12 और

17 इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए। विशेष रूप से, नई व्यवस्था के अनुसार

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग द्वारा स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशी प्रेषण प्राप्त किया जा रहा है जिसमें लेनदेन के अन्य विवरणों के अलावा कुछ अनिवार्य क्षेत्रों को पकड़ने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, विदेशी प्रेषण में संरचित ढांचा नहीं है, जिसमें उद्देश्यों के बारे में खुलासा भी शामिल है। इन सभी कमियों को दूर किया जाएगा, जिससे वास्तविक समय के आधार पर निगरानी तंत्र में वृद्धि होगी, नए नियमों को अपनाकर प्रेषण के हिसाब से।

संशोधित प्रावधानों में अनुमानित व्यवस्था।

एक बार फिर, नोएल हार्पर एंड ऑर्स। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

विदेशी निधियों के प्रवाह को सख्ती से विनियमित करने और उन उद्देश्यों के लिए उनके उपयोग की निगरानी करने की आवश्यकता है जिनके लिए इसे प्राप्त किया गया है और संशोधन अधिनियम के पीछे तर्क होने के कारण, जिसमें अपरिवर्तित प्रावधान के तहत शासन के दुरुपयोग के अनुभव के कारण,

इस तरह के संशोधन की चुनौती को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। [पारस 68 और 69] [968-डी-एच; 969-ए] 10. एफ. सी. आर. ए. खातों की उपस्थिति के कारण स्पष्ट और स्पष्ट खामियों के एहसास के बाद धारा 17 में संशोधन किया गया।

देश भर में विभिन्न अनुसूचित बैंकों में संगठन। पिछले दशक में विदेशी योगदान प्रवाह के दोगुने होने के कारण चुनौती अधिक स्पष्ट हो गई, जिसने प्रमुख अधिनियम के उद्देश्य की निगरानी और प्राप्ति की दक्षता को प्रभावित किया था। संशोधित प्रावधान अब यह अनिवार्य करता है कि सभी पंजीकृत व्यक्तियों/संगठनों के एफ. सी. आर. ए. खाते देश की एक विशेष शाखा में खोले जाने चाहिए जो आवश्यक जानकारी और क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे विदेशों के प्रवाह और उपयोग पर एक पूर्ण और पारदर्शी जांच सुनिश्चित होती है।

वास्तविक समय के आधार पर एकल बिंदु स्रोत के लिए योगदान। [पैरा 70] [969-बी-सी] 11. यह तथ्य कि पहले एफ. सी. आर. ए. खाता किसी भी अनुसूचित बैंक में खोला जा सकता था, संसद को इससे नहीं रोक सकता है।

ऐसा कानून बनाना जिसके लिए कानून द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तरीके से विदेशी योगदान के प्रवाह की आवश्यकता हो। सिर्फ इसलिए कि

विदेशी योगदान की स्वीकृति की रूपरेखा में बदलाव संशोधित प्रावधानों की वैधता पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता है। शासन की बेहतरी के लिए बदलाव लाना संसद का विशेषाधिकार और विवेक है। एफ. सी. आर. ए. खाता प्रचालक एक कम और त्रुटिपूर्ण ढांचे की निरंतरता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। आम तौर पर, व्यवसाय करने और व्यवसाय करने में लगे व्यक्तियों की सुविधा संसद/विधानमंडल के दिमाग में सर्वोच्च होनी चाहिए ताकि

व्यापार करने में आसानी। हालाँकि, दुरुपयोग और दुर्व्यवहार के पिछले अनुभव के कारण सख्त शासन आवश्यक हो गया था। "विदेशी योगदान" का दुरुपयोग और लगभग 19,000 पंजीकृत संगठनों के प्रमाण पत्रों को पूरी तरह से गैर-अनुपालन के आधार पर रद्द कर दिया गया। एक भाग्यशाली, यह निश्चित रूप से [2022] 19 एस. सी. आर.

यह सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए कि मूल अधिनियम के उद्देश्य को पूरा किया जाता है, अर्थात्, विदेशी योगदान के प्रवाह और उपयोग का सख्त विनियमन, उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए इसकी अनुमति है, जैसे कि केवल सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक या सामाजिक कार्यक्रम। [पैरा 71] [969-डी-एच; 970-ए-बी]

12. वास्तव में, संसद को उन्मूलन के लिए सुधारात्मक व्यवस्था का सहारा लेने का श्रेय दिया जाना चाहिए।

शरारत, जिसे कोई भी संप्रभु देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। द.

संसद सर्वोच्च है और कानून के मामलों में अंतिम निर्णय तब लेती है जब वह लोकतांत्रिक जवाबदेही के रूप में जांच और अदालतों द्वारा आगे की जांच के साथ विभिन्न वर्गों से इनपुट के साथ विकल्पों और विकल्पों पर विचार करती है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति। संसद के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह कदम उठाए और विदेशी योगदान के प्रवाह और उपयोग को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए एक सख्त व्यवस्था प्रदान करे। इसलिए, विषय में संशोधन करने का वैध लक्ष्य था।

एक चैनल के माध्यम से धन की स्वीकृति के प्रावधान। स्वीकृत रूप से, निर्दिष्ट बैंक में एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने की आवश्यकता के बावजूद, संगठन अनुसूचित शाखाओं में कई खातों के माध्यम से एफ. सी. आर. ए. खाते में प्राप्त राशि का उपयोग करने के लिए खुला है। इस मायने में, यह एक संतुलित दृष्टिकोण है। [पैरा 72] [970-बी-डी]

13. एक प्राथमिकता, संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार नामित बैंक में मुख्य एफ. सी. आर. ए. खाता खोलना। इस संबंध में, पंजीकृत संघों को कुछ असुविधा होने के विशिष्ट तर्क को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यह मानते हुए कि कुछ आवेदकों को कुछ असुविधा होने की संभावना है, लेकिन किसी कानून की संवैधानिकता पर आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है और इससे भी अधिक जब यह केवल एक माध्यम के माध्यम से विदेशी योगदान का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए केवल एक बार की कवायद है, जो अनुमति देने के लिए एक पूर्व शर्त है। [पैरा 73] [970-ई-जी]

14. कानून के रूप में, संशोधनों की वैधता का परीक्षण अनुच्छेद 14,19 में अंतर्निहित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए।

और संविधान के 21. अनुमति विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग के लिए एक पूर्व शर्त है।

ऐसे व्यक्ति अपनी आवाज़ और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

वे एक अलग वर्ग हैं और निर्दिष्ट गतिविधि में संलग्न हैं। यह सभी के लिए और विदेशी योगदान स्वीकार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए एक सामान्य या सामान्य व्यवसाय नहीं हो सकता है। विदेशी प्रवाह की अनुमति

योगदान, जो एक दान है, कानून द्वारा समर्थित राज्य की नीति का विषय है। इस मामले में, यह 2010 के संशोधित अधिनियम द्वारा शासित है। यह राज्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था के लिए खुला है जो विदेशी दान की प्राप्ति को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकती है, क्योंकि नागरिक को विदेशी योगदान (दान) प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। [पैरा 74] [971-ए-सी] 15. संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू की गई धारा 12 (1 ए) और धारा 17 (1) जैसे प्रावधान एक समग्र दृष्टिकोण है जिसे अपनाया गया है

संसद द्वारा सख्त विनियामक उपाय प्रदान करने और मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विदेशी योगदान। विशेष रूप से, दोनों सदनों के सदस्यों के बीच पार्टी लाइनों से परे इस तरह की सख्त व्यवस्था के लिए सर्वसम्मति थी कि अंधाधुंध प्राप्ति/प्रवाह और इससे भी अधिक विदेशी योगदान का उपयोग खतरे में पड़ रहा था।

देश की संप्रभुता और अखंडता। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य के हितों का मामला होने के नाते आम जनता, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) या 19 (1) (जी) की कसौटी पर इस तरह के कानून की वैधता पर सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है। यह गठन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रावधान नहीं है।

संघों का या दान के व्यवसाय में संलग्न होना। यह विदेशी योगदान से संबंधित व्यापार करने के तरीके को विनियमित करने के लिए एक प्रावधान है। विदेशी योगदान के कुशल विनियमन के लिए यह प्रावधान आवश्यक हो गया इसलिए, वास्तविक समय के आधार पर, इसे राज्य के वैध उद्देश्य के बिना न तो स्पष्ट रूप से मनमाना और न ही अतार्किक कहा जा सकता है। तदनुसार, इन प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन करने वाली चुनौती को अस्वीकार कर दिया जाता है। [पारस 75 और 80] [971-सी-एफ; 973-ई-एफ]

16. तथ्य यह है कि पंजीकृत संघ पहले से ही संबंधित प्राधिकरणों की संतुष्टि के लिए खातों को प्रस्तुत करने, सूचना, लेखा परीक्षा और परिसंपत्तियों के निपटान की वैधानिक औपचारिकताओं का पालन कर रहे थे, इसका मतलब यह नहीं होगा कि संसद/विधानमंडल को विनियामक तंत्र या ढांचे को बदलने की अपनी शक्ति से वंचित किया गया है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके और इसे विदेशी योगदान [2022] 19 एस. सी. आर. के प्रवाह या प्राप्ति के संबंध में वास्तविक समय बनाया जा सके।

और उनका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए करना जिनके लिए इसकी अनुमति दी गई है। [पैरा 81] [973-एफ-एच] 2020 अधिनियम द्वारा संशोधित विदेशी योगदान (विनियमन), 2010 की धारा 12 ए की वैधता

17. धारा 12 ए, जिसे 2020 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, यह अनिवार्य करता है कि संबंधित व्यक्ति जो धारा 11 के तहत पूर्व अनुमति या पूर्व अनुमोदन चाहता है, या

धारा 12 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन, जिसमें धारा 16 के तहत प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए, पहचान दस्तावेज के रूप में प्रदान करने के लिए, इसके सभी पदाधिकारियों या निदेशकों या अन्य प्रमुख अधिकारियों की आधार संख्या। संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण पिछले अनुभव का प्रमाण है विदेशी अंशदान प्राप्तियों के दुरुपयोग और उन गतिविधियों पर खर्च जो उन उद्देश्यों से संबंधित नहीं हैं जिनके लिए इसकी अनुमति दी गई थी। यह देखा गया था कि वर्ष 2010 और 2019 के बीच विदेशी योगदान का प्रवाह लगभग दोगुना हो गया था और कई पंजीकृत संघ बुनियादी वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करने में विफल रहे थे, जिससे 19,000 से अधिक पंजीकृत संगठनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्रों को रद्द करने की आवश्यकता थी। यह एक चौंका देने वाली (पर्याप्त) संख्या है जो बड़ी संख्या में पंजीकृत संघों द्वारा किए गए घोर उल्लंघन का संकेत देती है। इसके अलावा, यह संशोधन देश की संप्रभुता और अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए आवश्यक था, जिसमें राज्य और आम जनता की सुरक्षा के हित भी शामिल थे। यह संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है जो विदेशी दान से संबंधित गतिविधियों और विशेष रूप से निर्धारित तरीके से इसकी स्वीकृति और संसद द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र/अनुमति में परिभाषित उद्देश्यों के लिए उपयोग के बारे में ऐसा कानून बनाने के लिए सक्षम है।

सक्षम प्राधिकारी। इसका एक वैध उद्देश्य है और मूल अधिनियम और विषय संशोधन के अंतर्निहित उद्देश्य के साथ इसे हासिल करने की कोशिश की गई है। यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि इस अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक संघों को अपने प्रमुख अधिकारियों से संबंधित आधिकारिक पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 83] [974-सी-एच; 975-ए]

18. उपरोक्त के बावजूद, प्रावधान (धारा 12 ए) में परिकल्पना की गई है कि पासपोर्ट की एक प्रति इस प्रकार भी प्रदान की जा सकती है -

इसके सभी पदाधिकारियों या निदेशकों या एन. ओ. ई. एल. हार्पर और ओ. आर. एस. का पहचान दस्तावेज।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

विदेशी के मामले में अन्य प्रमुख पदाधिकारी या प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड। इस प्रावधान का अंतर्निहित उद्देश्य केवल पंजीकृत के प्रमुख अधिकारियों की पहचान करना है।

संगठन ताकि उन्हें उल्लंघन, यदि कोई हो, के लिए जवाबदेह बनाया जा सके। चूंकि किसी विदेशी के मामले में पासपोर्ट को पर्याप्त पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारतीय नागरिक के ऐसे पासपोर्ट पर उसी उद्देश्य के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि इस प्रावधान को चुनौती देना अनुचित है। जबकि, प्रावधान को कुंजी के भारतीय पासपोर्ट को प्रस्तुत करने की अनुमति के रूप में समझने की आवश्यकता है। आवेदक के पदाधिकारी जो भारतीय नागरिक हैं, उनकी पहचान के उद्देश्य से। [पैरा 84] [975-बी-डी]

निष्कर्ष

19. 2020 के अधिनियम द्वारा संशोधित प्रावधान, अर्थात् 2010 के अधिनियम की धारा 7,12 (1 ए), 12 ए और 17 संविधान और प्रधान अधिनियम के अंतर्गत हैं। धारा 12 ए के संबंध में,

उक्त प्रावधान को पढ़ा जाना चाहिए और यह समझा जाना चाहिए कि आवेदक (संघों/गैर सरकारी संगठनों) के प्रमुख पदाधिकारी/पदाधिकारी जो भारतीय नागरिक हैं, अपनी पहचान के उद्देश्य से भारतीय पासपोर्ट पेश करने की अनुमति देते हैं। यह माना जाएगा कि

पहचान से संबंधित धारा 12 ए में अधिदेश का पर्याप्त अनुपालन। [पैरा 87] [975-एफ-एच]

रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ (1970) 1 एस. सी. सी. 248 [1970] 3 एस. सी. आर. 530; आर. के. गर्ग बनाम। भारत संघ और अन्य। (1981) 4 एससीसी 675: [1982] 1 एस. सी. आर. 947; ओम्बलिका दास बनाम। हुलिसा शॉ (2002) 4 एससीसी 539:

[2002] 2 एससीआर 902; शायरा बानो बनाम। भारत संघ और अन्य। (2017) 9 एससीसी 1: [2017] 9 एससीआर 797; डॉ. अश्विनी कुमार बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (2020) 13 एससीसी 585: [2019] 12 एस. सी. आर. 30; लक्ष्मी खंडसारी और अन्य। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। (1981) 2 एससीसी 600: [1981] 3 एस. सी. आर. 92 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद बनाम सुरिंदर

कुमार धवन और ओआरएस। (2009) 11 एससीसी 726: [2009] 3 एस. सी. आर. 859 पर भरोसा किया। श्रेया सिंघल बनाम। भारत संघ (2015) 5 एससीसी 1: [2015] 5 एससीआर 963; के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्र।

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(आधार) वी। भारत संघ और ए. एन. आर. (2019) 1 एससीसी 1: [2018] 8 एस. सी. आर. 1 और अनुराधा भसीन बनाम। भारत संघ और अन्य। (2020) 3 एससीसी 637: [2020] 1 एससीआर 812-प्रतिष्ठित।

भारतीय सामाजिक कार्रवाई मंच (आई. एन. एस. ए. एफ.) v. भारत संघ ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 1363-स्पष्ट किया।

पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज v. टी. एन. और अन्य का राज्य। (2004) 12 एससीसी 381: [2004] 2 पूरक। एससीआर 64; के. सी. गजपति नारायण देव और अन्य। वी. उड़ीसा राज्य ए. आई. आर 1953 एस. सी. 375: [1954] एस. सी. आर. 1; मेनका गांधी बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (1978) 1 एस. सी. सी. 248 [1978] 2 एस. सी. आर.; अजय हासिया और अन्य। वी. खालिद मुजीब सहरावर्दी और अन्य। (1981) 1 एससीसी 722: [1981] 2 एस. सी. आर. 79; इंद्र साहनी और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1992) 3 मान लीजिए एस. सी. सी. 217; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। वी. की स्थिति

कर्नाटक और ओआरएस। (2002) 8 एस. सी. सी. 481; प्राकृतिक संसाधन आवंटन, 2012 का विशेष संदर्भ संख्या 1, (2012) 10 एस. सी. सी. 1: [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 454; आधुनिक दंत महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य। वी. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। (2016) 7 एससीसी 353: [2016] 3 एससीआर 579; नवतेज सिंह जौहर और अन्य। वी. भारत संघ (2018) 10 एससीसी 1: [2018] 7 एससीआर 379; महामारी 2021 के दौरान आवश्यक आपूर्ति सेवाओं का वितरण एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 339; तीस्ता अतुल

सीतलवाड़ बनाम. गुजरात राज्य (2018) 2 एससीसी 372: [2017] 12 एससीआर 774; रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम। मध्य राज्य

प्रदेश और ओआरएस। (1977) 1 एससीसी 677: [1977] 2 एस. सी. आर. 611; राजीव सूरी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य। 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन 7; हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। वी. हिमाचल प्रदेश निज़ी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र

संघ (2011) 6 एससीसी 597: [2011] 5 एस. सी. आर. 533; रवींद्र रामचंद्र वाघमारे वाघमारे बनाम। . इंदौर नगरपालिका

निगम और अन्य। (2017) 1 एससीसी 667 [2016] 9 एससीआर 373; हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। वी. सतपाल सैनी (2017) 11 एससीसी 42: [2017] 1 एस. सी. आर. 658; भारत संघ बनाम इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन एंड

ओआरएस। (2018) 5 एससीसी 773: [2018] 3 एस. सी. आर. 649; पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर. वी.

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

भारतीय रिजर्व बैंक (1992) 2 एससीसी 343: [1992] 1 एस. सी. आर. 406; प्रीमियम ग्रेनाइट और एन. आर. वी. टी. एन. और अन्य का राज्य। (1994) 2 एस. सी. सी. 691 [1994] 1 एस. सी. आर. 579; दिल्ली विज्ञान मंच और अन्य। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. (1996) 2 एससीसी 405 [1996] 2 एससीआर 767; बाल्को कर्मचारी '

संघ (विनियमित) v. भारत संघ और अन्य। (2002) 2 एस. सी. सी. 333 [2001] 5 पूरक। एस. सी. आर. 511; मध्य राज्य

प्रदेश बनाम. नर्मदा बचाओ आंदोलन और अन्र। (2011) 7 एस. सी. सी. 239 [2011] 6 एस. सी. आर. 443; चरणजीत लाल चौधरी

वी. भारत संघ और ओआरएस। ए. आई. आर 1951 एस. सी 41: [1950] एस. सी. आर. 869; द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अन्र। वी. एफ. एन. बलसारा एयर 1951 एस. सी. 318: [1951] एस. सी. आर. 682; काथी रनिंग रावत बनाम। सौराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 123: [1952] एस. सी. आर. 435; गुरबचन सिंह बनाम बॉम्बे राज्य और ए. एन. आर. ए. आई. आर 1952 एस. सी 221: [1952] एस. सी. आर. 737; पंजाब राज्य बनाम अजैब सिंह और अन्र। ए. आई. आर. 1953 एससी 10: [1953] एससीआर 254; हबीब मोहम्मद बनाम। हैदराबाद राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 287 [1953] एस. सी. आर. 661; केदार नाथ

बाजोरिया बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 404

: [1954] एस. सी. आर. 30; बाबूराव शांताराम मोरे बनाम। बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड एंड एन. आर. ए. आई. आर 1954 एस. सी. 153: [1954]

एससीआर 572; हरमन सिंह और अन्य। वी. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, कलकत्ता क्षेत्र और अन्य। ए. आई. आर 1954 एस. सी. 190:

[1954] एस. सी. आर. 371; सखवंत अली बनाम। उड़ीसा राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 166 [1955] 1 एस. सी. आर. 1004; बुधन चौधरी और अन्य। वी. बिहार राज्य ए. आई. आर 1955 एस. सी. 191: [1955] 1 एससीआर 1045; डी. पी. जोशी बनाम मध्य भारत और अन्र राज्य। आकाशवाणी 1955 एस. सी. 334: [1955] 1 एस. सी. आर. 1215; न्यूरेनबर्ग बनाम के हंस मुलर। अधीक्षक, प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता और अन्य। ए. आई. आर 1955 एस. सी. 367 [1955] 1

एससीआर 1284; किशन सिंह और अन्य। वी. राजस्थान राज्य और अन्य। ए. आई. आर 1955 एस. सी. 795 [1955] 2 एस. सी. आर. 531;

पी. बालाकोटैया बनाम भारत संघ और अन्य। ए. आई. आर 1958 एस. सी. 232 [1958] एस. सी. आर. 1052; श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर और अन्य। ए. आई. आर 1958 एस. सी 538: [1959] एस. सी. आर. 279; एक्सप्रेस न्यूजपेपर (प्राइवेट) लिमिटेड, और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य। आकाशवाणी 1958 एससी 578: [1959] एस. सी. आर. 12; खांडिगे शाम भट बनाम। कृषि आय

कर अधिकारी, कासरगोड और अन्न। ए. आई. आर 1963 एस. सी 591:

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1963] 3 एससीआर 809; राजा बीरा किशोर देब, वंशानुगत अधीक्षक, जगन्नाथ मंदिर बनाम। उड़ीसा राज्य

एयर 1964 एससी 1501: [1964] 7 एस. सी. आर. 32; गंगा राम और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1970) 1 एस. सी. सी. 377: [1970] 3 एस. सी. आर. 481; अनंत मिल्स कं. लिमिटेड बनाम की स्थिति गुजरात और ओआरएस। (1975) 2 एससीसी 175: [1975] 3 एससीआर 220; मोहन कुमार सिंघानिया और अन्य। वी. भारत संघ और

ओआरएस। (1992) 1 एस. सी. सी. 594: [1991] 1 पूरक। एससीआर 46; वेंकटेश्वर थिएटर बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (1993) 3 एससीसी 677: [1993] 3 एस. सी. आर. 616; धरम दत्त और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (2004) 1 एससीसी 712: [2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. 151; बशीर @एन. पी. बशीर बनाम केरल राज्य (2004) 3 एस. सी. सी. 609: [2004] 2 एस. सी. आर. 224; ओ. के. घोष और अन्न। वी. ई. एक्स. जोसेफ एयर 1963 एससी 812: [1963] पूरक। एससीआर 789; सागीर अहमद

& एन. आर. वी. यू. पी. और अन्य का राज्य। आकाशवाणी 1954 एससी 728: [1955] 1 एस. सी. आर. 707; बाबूलाल पाराटे बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य। ए. आई. आर 1961 एस. सी 884: [1961] 3 एस. सी. आर. 423; दया बनाम। आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक। एयर

1962 एससी 1796: [1963] 2 एस. सी. आर. 73; अकादमी पधान बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1963 एससी 1047: [1963] 2 पूरक। एस. सी. आर. 691; नगरपालिका समिति, अमृतसर और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य। (1969) 1 एससीसी 475: [1969] 3 एससीआर 447; मधु लिमये बनाम। उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मोंघिर और अन्य। (1970) 3 एससीसी 746: [1971] 2

एस. सी. आर. 711; दारुका एंड कंपनी v. भारत संघ और अन्य। (1973) 2 एससीसी 617 [1974] 1 एससीआर 570; मो। सेराजुद्दीन और

ओआरएस। वी. उड़ीसा राज्य (1975) 2 एस. सी. सी 47: [1975] पूरक। एस. सी. आर. 169; नगर निगम

अहमदाबाद और ओआरएस। वी. जान मोहम्मद उस्मानभाई और एन. आर. (1986) 3 एससीसी 20: [1986] 2 एससीआर 700; सुशीला सॉ मिल बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य। (1995) 5 एससीसी 615:

[1995] 2 पूरक। एस. सी. आर. 426; कृष्णन कक्कंत बनाम। केरल सरकार और अन्य। (1997) 9 एससीसी 495:

[1996] 7 पूरक। एस. सी. आर. 487; लक्ष्मीकांत बनाम। भारत संघ और अन्य। (1997) 4 एससीसी 739: [1997] 3 एस. सी. आर. 861; भारतीय हस्तशिल्प एम्पोरियम और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (2003) 7 एस. सी. सी. 589 [2003] 3 पूरक। एससीआर 43; ओम प्रकाश और ओआरएस। वी. यू. पी. और अन्य का राज्य।

(2004) 3 एस. सी. सी. नोएल हार्पर और ओ. आर. एस. वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

402 [2004] 2 एस. सी. आर. 900; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल स्वतंत्रताएँ और ए. एन. आर. वी. भारत संघ (2004) 9 एससीसी 580:

[2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. 860; गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर

मोती कुरैशी कसाब जमात और अन्य। (2005) 8 एस. सी. सी. 534

: [2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 582; केरल बार होटल्स

एसोसिएशन और ए. एन. आर. बनाम केरल राज्य और अन्य। (2015)

16 एससीसी 421; के. एस. पुट्टास्वामी और अन्र. वी. भारत संघ & ओआरएस। (2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एस. सी. आर. 569; गोविंद

बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्र। (1975) 2 एससीसी 148

: [1975] 3 एस. सी. आर. 946; चिंतामनराव और अन्र। वी. राज्य

मध्य प्रदेश आकाशवाणी 1951 एस. सी. 118: [1950] एससीआर

759 ; मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो एयर 1952 एससी

196 : [1952] एस. सी. आर. 597; टेरी ओट एस्टेट (पी) लिमिटेड v. यू. टी.,

चंडीगढ़ और ओआरएस। (2004) 2 एससीसी 130: [2003] 6 पूरक।

एस. सी. आर. 1235; रामलीला मैदान घटना, इन रे (2012) 5

एससीसी 1: [2012] 4 एस. सी. आर. 971; सहारा इंडिया रियल एस्टेट निगम लिमिटेड और अन्य। वी. प्रतिभूति और विनिमय

भारतीय बोर्ड और ए. एन. आर. (2012) 10 एससीसी 603: [2012] 12 एस. सी. आर. 256; एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड v. प्रतियोगिता

भारत आयोग और ए. एन. आर (2017) 8 एससीसी 47: [2017]

5 एससीआर 901; ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. 1950 एससी 27: [1950] एससीआर 88; और मनोहर लाल शर्मा बनाम।

भारत संघ और अन्य। [2021] 6 एससीआर 1006-संदर्भित

को।

जोसेफ लोच्नर बनाम। न्यूयॉर्क राज्य के लोग 198

यूएस 45 (1905); न्यू स्टेट आइस कंपनी बनाम। अर्नेस्ट ए।

लिबमैन 285 यू. एस. 262 (1932); वेस्ट कोस्ट होटल कंपनी वी। अर्नेस्ट पैरिश 300 यू. एस. 379 (1937); यूनाइटेड अमेरिका के राज्य बनाम। कैरोलीन उत्पाद कंपनी 304 यू. एस. 144 (1938); अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, एरिजोना स्टेट फेडरेशन ऑफ लेबर एट अल। वी. अमेरिकी सैश एंड डोर कंपनी एट अल। 335 अमेरिका 538 (1949) और फर्ग्यूसन बनाम। स्क्रूपा 372 यू. एस. 726 (1963)-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

पैरा 2 (डी)

3] 8 एससीआर 1

प्रतिष्ठित

4] 2 पूरक। एससीआर 64

पैरा 3 (ए)

संदर्भित [2022] 1

[1954] एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1978] 2 एससीआर 621

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1981] 2 एससीआर 79

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

(1992) 3 पूरक एस. सी. सी. 217

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

सी

(2002) 8 एस. सी. सी. 481

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[1992] 2 पूरक। एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2016] 3 एससीआर 579

पैरा 3

संदर्भित किया गया है

[2017] 9 एससीआर 797

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2018] 7 एससीआर 379

पैरा 3

संदर्भित किया गया है

[2020] 1 एससीआर 812

पैरा 3

प्रतिष्ठित

स्पष्ट कीजिए।

आकाशवाणी 2020 एससी 1363

पैरा 3

[2017] 12 एससीआर 774

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[1977] 2 एससीआर 611

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[1981] 3 एससीआर 92

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[2009] 3 एससीआर 859

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[2011] 5 एससीआर 533

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[2016] 9 एससीआर 373

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2017] 1 एससीआर 658

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2018] 3 एससीआर 649

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2019] 12 एससीआर 30

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[1970] 3 एससीआर 530

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[1982] 1 एससीआर 947

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[1992] 1 एससीआर 406

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[1994] 1 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[1996] 2 एससीआर 767

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[2001] 5 पूरक। एससीआर 511

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2011] 6 एससीआर 443

पैरा 5

संदर्भित किया गया है

[1950] एससीआर 869

संदर्भित किया गया है

पैरा 50 नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

[1951] एससीआर 682

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1952] एससीआर 435

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1952] एससीआर 737

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

(आर)

[1953] एससीआर 254

संदर्भित किया गया है

[1953] एससीआर 661

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1954] एससीआर 30

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1954] एससीआर 572

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1954] एससीआर 371

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 1004

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 1045

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 1215

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

(आर)

[1955] 1 एससीआर 1284

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1955] 2 एससीआर 531

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1958] एससीआर 1052

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

(आर)

[1959] एससीआर 279

संदर्भित किया गया है

[1959] एससीआर 12

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1963] 3 एससीआर 809

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1964] 7 एससीआर 32

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1970] 3 एससीआर 481

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1975] 3 एससीआर 220

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1991] 1 पूरक। एससीआर 46

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1993] 3 एससीआर 616

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[2002] 2 एससीआर 902

पैरा 5

(आर)

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

(आर)

[2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. 151 संदर्भित

[2004] 2 एससीआर 224

पैरा 5

(आर)

संदर्भित किया गया है

[1963] पूरक। एससीआर 789

पैरा 5

(यू)

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 707

पैरा 5

(वी)

संदर्भित किया गया है

[1961] 3 एससीआर 423

पैरा 5

(वी)

संदर्भित [2022] 19

[1963] 2 एससीआर 73

संदर्भित किया गया है

पैरा 5 (

[1963] 2 पूरक। एससीआर 691

पैरा 5 (

संदर्भित किया गया है

[1969] 3 एससीआर 447

संदर्भित किया गया है

पैरा 5 (

[1971] 2 एससीआर 711

पैरा 5 (

संदर्भित किया गया है

[1974] 1 एससीआर 570

संदर्भित किया गया है

पैरा 5 (

[1975] पूरक। एससीआर 169

पैरा 5 (

संदर्भित किया गया है

[1986] 2 एससीआर 700

संदर्भित किया गया है

पैरा 5 (

[1995] 2 पूरक। एससीआर 426

पैरा 5 (

संदर्भित किया गया है

[1996] 7 पूरक। एससीआर 487

पैरा 5 (

संदर्भित किया गया है

[1997] 3 एससीआर 861

पैरा 5 (

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 पूरक। एससीआर 43

संदर्भित किया गया है

पैरा 5 (

[2004] 2 एससीआर 900

संदर्भित किया गया है

पैरा 5 (

[2003] 6 पूरक। एससीआर 860

पैरा 5 (

संदर्भित किया गया है

[2005] 4 पूरक। एससीआर 582

संदर्भित किया गया है

पैरा 5 (

(2015) 16 एस. सी. सी. 421

पैरा 5 (

संदर्भित किया गया है

[2017] 10 एससीआर 569

पैरा 5

(y)

संदर्भित किया गया है

[1975] 3 एससीआर 946

पैरा 5

(y)

संदर्भित किया गया है

[1950] एससीआर 759

पैरा 5

(y)

संदर्भित किया गया है

[1952] एससीआर 597

पैरा 5

(y)

संदर्भित किया गया है

[2003] 6 पूरक। एससीआर 1235

पैरा 5

(y)

संदर्भित किया गया है

[2012] 4 एससीआर 971

पैरा 5

(y)

संदर्भित किया गया है

[2012] 12 एससीआर 256

पैरा 5

(y)

संदर्भित किया गया है

[2017] 5 एससीआर 901

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

(y)

[1950] एससीआर 88

संदर्भित किया गया है

पैरा 8 (

[2015] 5 एससीआर 963

प्रतिष्ठित

पैरा 8 (

[2021] 6 एससीआर 1006

पैरा 8 (

नोएल हार्पर एंड ओआरएस को संदर्भित किया जाता है। वी. भारत संघ और ए. एन. आर.

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सी) संख्या 566

2021 से।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

लिखित याचिका (सिविल) सं। 634 और 2021 का 751।

गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिषेक जेबराज, सुश्री सृष्टि

अग्निहोत्री, सुश्री नूपुर राउत, सुश्री इशिता चौधरी, गौतम झा, पंकज कुमार, सुश्री श्वेता झा, सुभाष चंद्र, सुभाष छाबड़ा, बिजेंद्र सिंह, शिशित कुमार सक्सेना, मोसिम अहमद, सुश्री नेहा दुहून, सुश्री हिमांशी भोवाल, उदित ठाकुरन, जगदम्बा प्रसाद, प्रवीण स्वरूप, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., संजय जैन, ए. एस. जी., उदय खन्ना, कानू अग्रवाल, बालाजी श्रीनिवासन, रजत नायर, श्रीमती दीपावली दत्ता, बी. वी. बलराम दास, संजय कपूर, अर्जुन भाटिया, सुश्री मेघा कर्णवाल, श्रीमती शुभ्रा कपूर, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री सौम्या कपूर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिकाएं

मुख्य रूप से विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 1 के प्रावधानों में संशोधन की संवैधानिक वैधता पर हमला करता है, विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 2, जो विशेष रूप से धारा 7,12 (1 ए), 12 ए और 17 (1) पर लागू हुआ है, स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के तहत याचिकाकर्ताओं को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण है।

2. रीः 2021 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 566

(क) इस याचिका में याचिकाकर्ता नंबर 1 ने कैरोल फाइसन के साथ मिलकर "द केयर एंड शेयर चैरिटेबल ट्रस्ट" के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की।

वर्ष 1997 में विजयवाड़ा, भारत (पंजीकरण संख्या 242/1997)। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि ट्रस्ट आयकर अधिकारियों और गृह मंत्रालय, सरकार के साथ भी पंजीकृत है। 1 1 संक्षेप में, "2010 अधिनियम" या "प्रधान अधिनियम", जैसा भी मामला हो, 2 संक्षेप में, "2020 अधिनियम" या "संशोधन अधिनियम", जैसा भी मामला हो, [2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत सरकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय, वर्ष 2007 में, बाल के क्षेत्र में अपने असाधारण कार्य और योगदान के लिए कल्याण।

(ख) याचिकाकर्ता सं। 3 और 4 राष्ट्रीय श्रमिक कल्याण न्यास (एन. डब्ल्यू. डब्ल्यू. टी.) के न्यासी भी हैं, जो भारतीय न्यासों के तहत पंजीकृत है।

17.5.2016 पर सिकंदराबाद, तेलंगाना में अधिनियम, 18824। यहां तक कि यह न्यास विदेशी धन की प्राप्ति के लिए 2010 के अधिनियम (एफ. सी. आर. ए. पंजीकरण संख्या. 0230883) के तहत गृह मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) के साथ प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास में लगा हुआ है और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिला श्रमिकों और संभावित प्रवासी श्रमिकों (अंतरराज्यीय और पर्यवेक्षी), प्रवासियों के परिवारों, समुदायों, समुदायों के नेताओं, लौटने वालों, महिला संगठनों की चिंताओं को संबोधित करता है।

ट्रेड यूनियन, स्थानीय पंचायतें, मंडल, जिला और राज्य विभाग इन श्रमिकों से संबंधित श्रम और प्रशासन और शासन से जुड़े हुए हैं। यह आग्रह किया जाता है कि ये दोनों न्यास अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए विदेशी योगदान पर निर्भर हैं। हालाँकि, 2010 के अधिनियम के प्रावधानों में वर्ष 2020 में किए गए संशोधनों के साथ, एक नई व्यवस्था निर्धारित की गई है, जो उनकी राय में स्पष्ट रूप से मनमाना है। क्योंकि, इसमें अनुमति देने वाले न्यास के प्रमाणपत्रों को रद्द करना शामिल है। 3 3 संक्षेप में, "1976 का अधिनियम"

4 संक्षेप में, "1882 अधिनियम" 5 2010 के अधिनियम की धारा 2 (1) (ई) में परिभाषित "प्रमाण पत्र" अभिव्यक्ति इस प्रकार है:

" 2. परिभाषाएँ। - (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

(a) से (e) XXXXXXX

(ई) "प्रमाणपत्र" का अर्थ है उप-धारा (3) के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र।

धारा 12; "नोएल हार्पर एंड ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले विदेशी योगदान की प्राप्ति

संबंधित न्यास का। इसी तरह, चालू "एफ. सी. आर. ए. खाते" को विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। याचिकाकर्ता-न्यास और इसी तरह से नियुक्त व्यक्तियों (व्यक्तियों/गैर-लाभकारी संगठनों) को अनिवार्य रूप से नई व्यवस्था में स्थानांतरित होना होगा और निर्दिष्ट तिथि पर या उससे पहले निर्दिष्ट शाखा में एफ. सी. आर. ए. खाते (खाते) खोलने होंगे। व्यवस्था में इस तरह के बदलाव को लागू करने के लिए कोई ठोस औचित्य नहीं है।

(ग) याचिकाकर्ताओं ने द्वारा जारी परिपत्र का उल्लेख किया है

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 6.2.2012 दिनांकित किया

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (1) (ए) के तहत, जिसमें पूरे भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/आर. आर. बी. को छोड़कर) में एफ. सी. आर. ए. खाते खोलने सहित 2010 के अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश शामिल हैं। वर्ष 2020 में 2010 के अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन के कारण परिवर्तित व्यवस्था के आगमन के बाद प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किया गया सार्वजनिक नोटिस इसलिए अत्यधिक और अधिकार क्षेत्र के बिना है और इस प्रकार, कानून में अप्रवर्तनीय है। इसके अलावा, 2010 के अधिनियम की धारा 7 का संशोधन पंजीकृत व्यक्ति को स्थानांतरण करने से रोकता है।

कोई भी विदेशी योगदान चाहे वह व्यक्ति विधिवत हो।

पंजीकृत हो या न हो, जिसे अन्यथा असंशोधित प्रावधान के तहत अनुमति दी गई थी। यह परिवर्तन भी मनमाना है और सीधे तौर पर प्रभावित करता है

न्यासों की सामाजिक उत्थान योजनाओं का कार्यान्वयन

विदेशी योगदान। यह विदेशी योगदानों के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध है, इस प्रकार पर्यावरण प्रणाली के विकास में सहयोग को प्रभावित करता है, विशेष रूप से छोटे और कम दिखाई देने वाले जमीनी संगठनों के लिए जो मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते हैं या अनुदान प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

विदेशों से। जमीनी स्तर के संगठनों के पास, कुछ मामलों में, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो सकता है या अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते हैं और वे पूरी तरह से वित्त पोषण/हस्तांतरण पर निर्भर हैं। फाउंडेशन, जैसे कि याचिकाकर्ता-ट्रस्ट। मध्यस्थ संगठन,

" 2010 के संशोधित अधिनियम की धारा 2 (1) (एम) में परिभाषित "व्यक्ति" अभिव्यक्ति इस प्रकार हैः

" 2. परिभाषाएँ। (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

(a) से (1) XXXXXXXX

(एम) "व्यक्ति" में शामिल हैं

((i) एक व्यक्ति;

((ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार;

((ग) एक संगठन;

((iv) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी (1)

का); "[2022] 19 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो आवश्यक पहचान, निगरानी और क्षमता प्रदान करते हैं।

छोटे गैर-लाभकारी संगठनों का निर्माण, जो बदली हुई व्यवस्था के कारण पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएंगे। परिणामस्वरूप, धारा 17 (1) के साथ पठित धारा 7, जैसा कि संशोधित किया गया है, गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) और 19 (1) (ए) के तहत। ये प्रावधान अस्पष्टता और अति विस्तार के दुष्प्रभाव से भी ग्रस्त हैं या

अति-शासन, जिससे अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन होता है।

(घ) याचिकाकर्ताओं ने धारा 12 ए की वैधता पर भी हमला किया है, जिसके तहत आधार कार्ड का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से पहचान दस्तावेज के रूप में समितियों/न्यासों के पदाधिकारी/पदाधिकारी/निदेशक, यहां तक कि

हालाँकि उनसे धारा 12 के तहत प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन दायर करने या धारा 16 के तहत अपने प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने की अपेक्षा की जाती है। इस हमले को मजबूत करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और ए. एन. आर. मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के आदेश पर भरोसा किया है। (आधार) बनाम भारत संघ और Anr.7।

(ई) याचिकाकर्ताओं ने धारा 17 (1) और 12 (1 ए) की वैधता को भी इस आधार पर चुनौती दी है कि वे स्पष्ट अनुचितता, अस्पष्टता, अति विस्तार और अधिरोपण के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं।

अनुचित प्रतिबंध। धारा 17 (1) भी भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यह

"एफ. सी. आर. ए. खाता" खोलने और विदेशी धन प्राप्त करने का आदेश

विभिन्न स्थानों पर खातों के सत्यापन के लिए लॉजिस्टिक मुद्दों के विशिष्ट आधार पर केवल नई दिल्ली में एक बैंक, यानी भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली मुख्य शाखा 3,11, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में योगदान। मोटे तौर पर इन दावों पर, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की हैः -

" ए। यह अभिनिर्धारित करना और घोषित करना कि विदेशी सरकार द्वारा एफ. सी. आर. ए., 2010 में अंतःस्थापित की गई धारा 7,12 ए, 12 (1 ए) और 17

योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

असंवैधानिक के रूप में खारिज किया जाए।

बी। प्रमाणपत्र और/या किसी अन्य रिट, आदेश या समान प्रकृति के निर्देश की प्रकृति में एक रिट, जो 13 अक्टूबर, 2020 को जारी किए गए विवादित सार्वजनिक नोटिस को अलग करती है और रद्द करती है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 को अवैध और असंवैधानिक बताया गया है।

7 (2019) 1 एस. सी. सी. 1 (पैरा 490 और 494) 8 संक्षेप में, "एन. डी. एम. बी".

9 संक्षेप में, "एस. बी. आई". नोएल हार्पर एंड ओ. आर. एस.।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सी। प्रत्यर्थियों को विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग, अनुसूचित बैंकों में मौजूदा बैंक खातों के संचालन और उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश देना।

याचिकाकर्ताओं और उसके प्रामाणिक सदस्यों, और

3. रीः 2021 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 751 (क) याचिकाकर्ता सं। 1 इस याचिका में 4 गैर-लाभकारी होने का दावा करते हैं

2010 के अधिनियम के तहत पंजीकरण रखने वाले देश भर के संगठन/न्यास और याचिकाकर्ता संख्या 5 एक व्यक्ति है। याचिकाकर्ता-न्यास स्वैच्छिक संगठन हैं, जो बिना संशोधन के 2010 के तहत विधिवत पंजीकृत हैं।

(ख) यहाँ तक कि इन याचिकाकर्ताओं ने 2010 के अधिनियम के संशोधित प्रावधानों पर भी हमला किया है, विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 17 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (सी), 19 (1) (जी) और 21 का उल्लंघन करती है। केवल एस. बी. आई., एन. डी. एम. बी. में प्राथमिक एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने की आवश्यकता है। यह उनका मामला है कि गैर-लाभकारी संगठन और याचिकाकर्ता संगठन जैसे स्वैच्छिक संगठन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में बहुत अधिक योगदान करते हैं और उनके द्वारा किए गए प्रत्यक्ष रोजगार और सामाजिक कल्याण गतिविधियों के माध्यम से लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। उनकी भूमिका सेवा वितरण और कल्याणकारी गतिविधियों और सामुदायिक विकास के लिए कल्याणकारी कार्यों, लोकतंत्र, मानवाधिकार, न्यायसंगत शासन और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने से लेकर है। वे वैश्विक परोपकार का दोहन करके विशेष रूप से भारत में कम सामाजिक क्षेत्र के खर्च में अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह कहा गया है कि विदेशी योगदान Rs.10,2009-2010 में 282 करोड़ से बढ़कर Rs.16,2018-2019 में 343 करोड़ हो गया है, जो विदेशी निधियों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण योगदान है। 2010 के संशोधित प्रावधान

10 (2004) 12 एस. सी. सी. 381 (पैरा 5)

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, अधिनियम ने विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले न्यासों के पंजीकरण सहित अनुपालन प्रक्रिया को बदल दिया है। हालाँकि, यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन और अनुचित है। धारा 17 (अपरिवर्तित) और अधिनियम के तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों जैसे प्रावधानों के उद्देश्य ने विदेशों की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य को पूरा किया।

ऐसी निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्राप्त योगदान। हालांकि, संशोधित प्रावधान अत्यधिक, तर्कहीन, मनमाना है और आनुपातिकता की कसौटी के खिलाफ है। यह बुराई से पीड़ित है

असमान प्रतिबंध और उचित प्रक्रिया प्रदान करने में विफलता। चुनौती के आधार को मजबूत करने के लिए, के. सी. गजपति नारायण देव और अन्य पर निर्भरता रखी गई है। बनाम उड़ीसा राज्य "; मेनका गांधी बनाम भारत संघ & Anr.[1]2; अजय हासिया और अन्य। बनाम खालिद मुजीब सहरावर्दी और Ors.[13] 13; इंद्र साहनी और अन्य। बनाम भारत संघ & Ors.[1]; T. M. A. पाई फाउंडेशन और ओआरएस। बनाम कर्नाटक राज्य & Ors.[1]; प्राकृतिक संसाधन आवंटन, 2012 का विशेष संदर्भ संख्या 1; आधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र और अन्य। बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य "। ; शायरा बानो बनाम भारत संघ & Ors.[1]8; नवतेज सिंह जौहर & अन्य। बनाम भारत संघ "; के. एस. पुट्टास्वामी 20; अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ और इंडियन सोशल एक्शन फोरम (आई. एन. एस. ए. एफ.) बनाम भारत संघ 2 2.

(ग) इस तरह के दावे पर, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित के लिए प्रार्थना की हैः

राहत की चीज़ेंः -

" ए।

परमादेश की एक रिट या कोई अन्य रिट/आदेश जो यह घोषणा करता है कि

एफ. सी. आर. ए. की धारा 17 संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (सी), 19 (1) (जी) और 21 का उल्लंघन करती है, जहां तक यह आवश्यक है कि प्राथमिक एफ. सी. आर. ए. खाता विशेष रूप से खोला जाना है। भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की एक शाखा में, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिसूचित किया गया है;

11 आकाशवाणी 1953 एस. सी. 375

12 (1978) 1 एस. सी. सी. 248

13 (1981) 1 एस. सी. सी. 722 (पैरा 16)

14 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217

15 (2002) 8 एस. सी. सी. 481 (पैरा 25)

16 (2012) 10 एस. सी. सी. 1 (पैरा 107)

17 (2016) 7 एस. सी. सी. 353 (पैरा 60)

18 (2017) 9 एस. सी. सी. 1 (पैरा 101)

19 (2018) 10 एस. सी. सी. 1 20 फुटनोट संख्या 7 (पैरा 157) 21 (2020) 3 एस. सी. सी. 637 (पैरा 78 से 80) 22 ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 1363 (संक्षेप में, "आई. एन. एस. ए. एफ".) (पैरा 15)

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रमाणपत्र का एक रिट या कोई अन्य रिट/आदेश जो रद्द करता है

बी।

एमएचए अधिसूचना सं। एस. ओ. 3479 (ई) दिनांक 7 अक्टूबर 2020 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (सी), 19 (1) (जी) और 21 का उल्लंघन करने के रूप में जारी किया गया;
प्रमाणपत्र का एक रिट या कोई अन्य रिट/आदेश जो रद्द करता है

सी।

एफ. एन. वाली सार्वजनिक सूचना II/21022/23/(35)/2019-एफ. सी. आर. ए. III दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (सी), 19 (1) (जी) और 21 का उल्लंघन करने वाला बताया गया है।
प्रमाणपत्र का एक रिट या कोई अन्य रिट/आदेश जो रद्द करता है

डी।

संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (सी), 19 (1) (जी) और 21 का उल्लंघन करते हुए 18 मई 2021 को आई./21022/36/(58)/2021-एफ. सी. आर. ए.-III वाला सार्वजनिक नोटिस।
न्याय के हित में उपयुक्त समझे जाने वाले कोई अन्य आदेश।

ई.

4. रीः 2021 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 634

(क) यह याचिका अनुच्छेद के तहत जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है।

32 2010 के अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण और अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को चुनौती देना अनावश्यक और प्राधिकरण से अधिक है। यह 2020 के अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों 23 को और विस्तार देने से बचने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 (भारत संघ) के खिलाफ निर्देश और अनिवार्य रिट जारी करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा दायर जवाबी कार्रवाई है। और संशोधित 2010 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विदेशों से धन प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों के रजिस्टर को सख्ती से बनाए रखना। यह याचिकाकर्ता 2010 के अधिनियम के उद्देश्य की ओर इशारा करते हुए आई. एन. एस. ए. एफ. 24 के उक्ति पर भी भरोसा कर रहा है। रिलायंस को इस न्यायालय के स्पष्टीकरण में भी रखा गया हैः महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का वितरण ", एक आकस्मिक रिट जारी करने के लिए। इसके अलावा, तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम गुजरात राज्य के फैसले पर भी निर्भरता रखी गई है।

यह आग्रह करने के लिए कि गैर सरकारी संगठनों द्वारा धन के दुरुपयोग के संबंध में अतीत में मामले सामने आए हैं। अंत में, रेव. स्टेनिस्लॉस बनाम पर निर्भरता रखी गई है। मध्य प्रदेश राज्य & Ors.27

23 संक्षेप में, फुटनोट पर "एन. जी. ओ. एस". 24 ऊपर No.22 (पैरा 18) 25 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 339 (2021 की सुओ मोटो रिट याचिका (सी) संख्या 3) 26 (2018) 2 एस. सी. सी. 372 27 (1977) 1 एससीसी 677 [2022] 19 एस. सी. आर.

(ख) हालाँकि, इस याचिका में दावा की गई मुख्य राहत विचार के लिए नहीं है। के लिए, द्वारा दी गई अंतिम विस्तार की तारीख सक्षम प्राधिकारी की अवधि समाप्त हो गई है और आगे कोई विस्तार नहीं किया गया था।

इसके बाद इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रदान किया गया। फिर भी, हम इस रिट याचिका में दावा किए गए राहतों को पुनः प्रस्तुत करते हैं, जो इस प्रकार हैंः -

" ए. एफ. सी. आर. ए. (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अधिदेश का पालन करने से गैर सरकारी संगठनों को आगे कोई विस्तार नहीं देने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को निर्देश देते हुए मैंडमस का एक पम्प्टरी रिट जारी करें।

बी. प्रत्यक्ष उत्तरदाता संख्या 1 और उत्तरदाता संख्या 2 उन सभी गैर सरकारी संगठनों का एक रजिस्टर बनाए रखें जो विशेष रूप से कोविड के समय में एफसीआरए के तहत प्राप्त धन प्राप्त करने में शामिल हैं।

ग. प्रत्यर्थी संख्या 3 को एफ. सी. आर. ए. उल्लंघन के संबंध में उसके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सभी जानकारी दर्ज करने का निर्देश दें।

बाल अधिकारों के संदर्भ में गैर सरकारी संगठनों द्वारा?

घ. इस माननीय न्यायालय के रूप में अन्य आदेश या निर्देश पारित करें।

के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझ सकते हैं

मामले में पूर्ण न्याय करना। "

5. उत्तरदाता का सामान्य जवाब-भारत संघ

(क) उत्तरदाताओं ने तीन रिट याचिकाओं में किए गए कथनों के जवाब में एक सामान्य हलफनामा दायर किया है। उनकी दलील का जोर है

कि संशोधन किसी भी व्यक्ति को विदेशी योगदान में लेन-देन करने से नहीं रोकता है बशर्ते कि यह एफ. सी. आर. ए. पंजीकरण या पूर्व अनुमति सहित 2010 के अधिनियम में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन करता हो। कार्यपालिका के पिछले अनुभव के कारण संशोधन आवश्यक थे और यह विधायी विवेक का विषय है। इन संशोधनों का उद्देश्य विदेशी निधियों के प्रवाह और उपयोग के संबंध में प्रभावी नियामक उपायों को सुनिश्चित करना है। ये समान रूप से लागू होते हैं और विदेशी दानदाताओं से विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले किसी भी गैर सरकारी संगठन के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। और उसका उपयोग। यह कहा गया है कि संशोधन किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (सी), 19 (1) (जी) और 21 के तहत बहुत कम, जैसा कि तर्क दिया गया है।

(ख) 2010 का अधिनियम विदेशी योगदान और देश में निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए इसके उपयोग के संबंध में सख्त नियंत्रण की एक स्पष्ट विधायी नीति निर्धारित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संबंधित से

इनपुट हितधारकों और शुल्क धारकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि विदेशी योगदान नोएल हार्पर एंड ओआरएस है।

इसकी प्रकृति और विशाल विस्तार के कारण कुछ पंजीकृत संगठनों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। निर्विवाद रूप से, संसद द्वारा चित्रित और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए ढांचे के बाहर विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए किसी में भी कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति विदेशी योगदान नियामक और प्रक्रियात्मक पूर्व शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है। विनियामक और प्रक्रियात्मक पूर्व शर्तों को 2010 के अधिनियम के रूप में कानून द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और 2020 के अधिनियम के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया है। विदेशी योगदान को स्वीकार करने और उसके उपयोग के लिए उसी सार को पूरा करने की आवश्यकता है।

(ग) विशेष रूप से, इन याचिकाओं में, संशोधित प्रावधानों के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गई है, जैसा कि लागू होने से पहले प्राप्त किया गया था। 2020 एक्ट करें। बिना किसी आपत्ति के सभी संबंधितों द्वारा इनका पालन किया गया।

(घ) 2020 के संशोधन के पीछे का उद्देश्य है -

सार्थक और प्रभावी विनियामक व्यवस्था और उस गतिविधि के लिए विदेशी योगदान के उपयोग की वास्तविक समय की रिपोर्टिंग जिसके लिए इसे निर्धारित किया गया है और पंजीकरण प्रमाण पत्र या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के संदर्भ में इस तरह से उपयोग करने की अनुमति दी गई है। (ई) विदेशी योगदान प्राप्त करने की अनुमति व्यक्तियों को समाज के लाभ के लिए एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए दी जाती है, जैसा कि 2010 के अधिनियम की धारा 11 और 12 में अनिवार्य है। अधिनियम में परिकल्पित व्यवस्था की मांग करना है

विदेशी योगदान प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का पंजीकरण या पूर्व अनुमति। जिस व्यक्ति ने ऐसा प्राप्त किया है

पंजीकरण का प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति, निर्धारित गतिविधियों के लिए इसके उपयोग के संबंध में नियामक प्रावधानों के बारे में शिकायत नहीं कर सकता है। क्योंकि, 2010 के अधिनियम को लागू करने के पीछे विधायी इरादा यह है कि विदेशी योगदान की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि इसे सख्ती से विनियमित और नियंत्रित नहीं किया जाता है।

(च) 2010 के अधिनियम के कार्यान्वयन से तेजी से पता चला कि कुछ गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से विदेशी योगदान के मार्ग में शामिल थे।

केवल। उन्होंने विदेशी योगदान प्राप्त किया और इसे अन्य गैर सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करके उपयोग किया, जिससे एक प्रमुख-ग्राहक संबंध स्थापित हुआ। इस शरारत को दूर करने के लिए, विदेशी योगदान की प्राप्ति और उपयोग के संबंध में प्रभावी नियामक और नियंत्रण उपायों के प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया। ये संशोधन हाल के दिनों में विदेशी योगदान के बड़े पैमाने पर हस्तांतरण और उसके प्रवाह में अचानक वृद्धि के कारण आवश्यक हो गए थे, जिससे कई परिचालन [2022] 19 एस. सी. आर.

कठिनाइयाँ और कदाचार, जिनसे 2010 के अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने का खतरा था। विनियामक एजेंसियों को हस्तांतरणकर्ता द्वारा विदेशी योगदान के अंतिम उपयोग की निगरानी करना मुश्किल हो रहा था। इस तरह के उल्लंघनों और कदाचारों को रोकने और जवाबदेही तय करने के लिए, विदेशी योगदान के हस्तांतरण को रोकना आवश्यक माना गया और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया कि विदेशी योगदान का प्राप्तकर्ता स्वयं इसका उपयोग करता है।

एक ही।

(छ) द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अनिवार्य करने की आवश्यकता

स्वयं प्राप्तकर्ता एन. जी. ओ. भी अधिनियम की धारा 11 और 12 के उद्देश्य के कारण है। वही भविष्यवाणी है कि एफ. सी. आर. ए. पंजीकरण की पेशकश किसी ऐसे संघ को की जाए जिसके पास विदेश में खर्च करने के लिए निश्चित कार्यक्रम हो।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर सरकारी संगठनों की कथित वैध गतिविधियों के परिणामस्वरूप विदेशी योगदान को गतिविधि के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं भेजा जा रहा है, जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो, संसद ने स्वीकृत गतिविधियों के लिए स्वयं प्राप्तकर्ता गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी योगदान के सीमित उपयोग की सख्त व्यवस्था का विकल्प चुना। संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य प्राप्तकर्ता गैर सरकारी संगठनों से अन्य पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को विदेशी योगदान के अंतहीन हस्तांतरण की श्रृंखला की शरारत को दूर करना है। धन के प्रवाह और उसके वैध उपयोग का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

(ज) स्थानान्तरण की क्रमिक एकाधिक श्रृंखला न केवल एक

धन की परतों का स्तर, लेकिन यह भी कि विदेशी योगदान के पर्याप्त हिस्से का उपयोग संबंधित संस्था द्वारा प्रशासनिक व्यय के रूप में किया जा रहा है, इसे प्राप्ति के 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रशासनिक व्यय के लिए अपने स्वयं के भत्ते के रूप में दावा करके। यदि इस तरह के प्रशासनिक व्यय की गणना मूल प्राप्तकर्ता द्वारा धन के प्रवाह की कुल मात्रा के साथ की जाती है, तो यह किसी भी स्थिति में प्राप्त कुल योगदान के 50 प्रतिशत की वैधानिक सीमा से कहीं अधिक होगा।

28 2010 के संशोधित अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) में परिभाषित "संगठन" अभिव्यक्ति इस प्रकार हैः

" 2. परिभाषाएँ। - (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

(क) "संघ" से व्यक्तियों का एक संघ अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका भारत में कार्यालय हो और इसमें एक सोसायटी शामिल है, चाहे वह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत हो या नहीं, और कोई अन्य संगठन, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए; "नोएल हार्पर एंड ओआरएस"।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विदेश से एनजीओ। इसके अलावा, संसद का विवेक भी प्रशासनिक व्यय की अनुमति को कम करने के पक्ष में था।

इसे 20 प्रतिशत तक सीमित करें, ताकि गैर सरकारी संगठन की अनुमेय गतिविधियों के लिए इसके उपयोग के कारण समाज को बड़े पैमाने पर अधिकतम लाभ मिल सके।

(i) विदेशी शक्तियों और विदेशी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की शरारत को मिटाने के लिए भी विषय संशोधन आवश्यक हो गया।

गतिविधियों में लिप्त होने के परिणामस्वरूप देश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप होता है। परिणामस्वरूप, उप-धारा (1 ए) लागू की गई है।

2010 के अधिनियम की धारा 12 में जोड़ा गया है, जिससे एफ. सी. आर. ए. खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह अधिनियम की धारा 17 में निर्दिष्ट तरीके के अनुरूप है। दूसरे शब्दों में, उप-धारा (1 ए) को शामिल करने का उद्देश्य 2010 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ अनुकूलता पैदा करना था। इसके लिए एक नई धारा-धारा 12 ए भी जोड़ी गई है।

पहचान दस्तावेज के बदले आधार कार्ड का विवरण प्रस्तुत करना। यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने स्पष्टीकरण को गलत तरीके से लागू किया है

के. एस. पुट्टास्वामी 2 9 में संविधान पीठ। उक्त निर्णय किसी व्यक्ति की निजता में घुसपैठ की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं करता है, जो एक न्यायपूर्ण कानून द्वारा समर्थित है।

(जे) धारा 12 ए जैसे प्रावधानों के पीछे मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों और संघों की उचित पहचान को सुविधाजनक बनाना है जिनके साथ

व्यक्ति जुड़े हुए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों की वास्तविक समय की निगरानी भी करते हैं कि वे राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक नहीं हैं। वास्तव में, 2010 का अधिनियम (अपरिवर्तित) स्वयं यह आदेश देता है कि बेनामी और काल्पनिक गतिविधियों को अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रकार, पंजीकरण के समय व्यक्ति की उचित पहचान एफ. सी. आर. ए./एन. जी. ओ. के कार्यकर्ताओं की उचित पहचान सुनिश्चित करेगी। इस तरह के प्रावधान को वैध उद्देश्य और आनुपातिकता परीक्षण की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

(के) संशोधित धारा 17 (1) विदेशी धन की प्राप्ति को निर्दिष्ट करती है।

एस. बी. आई., एन. डी. एम. बी. में निर्दिष्ट एफ. सी. आर. ए. खाते में योगदान। एक एनजीओ

विदेशी योगदान के प्रेषण के उद्देश्य से ऐसा खाता खोलना आवश्यक है। धारा 17 (1) के प्रावधान में यह परिकल्पना की गई है कि एफ. सी. आर. ए. खाताधारक अपने एफ. सी. आर. ए. खाते में प्राप्त विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग के उद्देश्य से अपनी पसंद के किसी भी अनुसूचित बैंक में किसी भी एफ. सी. आर. ए. खाते को जोड़ने के लिए स्वतंत्र है।

नई दिल्ली में एस. बी. आई. अर्थात एस. बी. आई., एन. डी. एम. बी.। एफ. सी. आर. ए. खाते का संचालन खाताधारक द्वारा ही नियंत्रित किया जाएगा। इस शर्त के तहत केवल निर्दिष्ट चैनल के माध्यम से

विदेशी योगदान के प्रवाह की आवश्यकता है
में ऊपर दिया गया है।

29 फुटनोट संख्या 7 [2022] 19 एस. सी. आर.

नियंत्रित उपाय। एफ. सी. आर. ए. खाताधारक को नई व्यवस्था के अनुसार औपचारिकताओं का पालन करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। (1) प्रारंभ में, निर्दिष्ट एफ. सी. आर. ए. खाते की प्रक्रिया और संचालन के लिए 13.10.2020 पर एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी, जिसमें समय दिया गया था।

31.3.2021 तक, जिसे समय-समय पर दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया जाता रहा। यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने सभी एफ. सी. आर. ए. पंजीकृत संघों/संगठनों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पते पर एस. एम. एस. और ई-मेल के माध्यम से दिनांकित 13.10.2020 सार्वजनिक सूचना के बारे में सूचित किया। सक्षम प्राधिकारी ने विदेशी योगदान (विनियमन) नियम, 2011-30 में भी संशोधन किया। यह आग्रह किया जाता है कि पंजीकृत संघों को कुछ व्यक्तिगत कठिनाई हो सकती है

परिवर्तन के कारण, लेकिन यह 2020 के अधिनियम के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानून को अमान्य घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है। रिलायंस को मेसर्स पर रखा गया है। लक्ष्मी खंडसारी और अन्य। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य & Ors.[31] और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद बनाम सुरिंदर कुमार धवन और अन्य। 3 2 32, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को कुछ व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत कठिनाई के विशिष्ट आधार पर नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

(एम) यह आगे कहा गया है कि 2010 के अधिनियम में गृह मंत्रालय को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करने का आदेश दिया गया है

इसके नीचे। यह विस्तार से बताया गया है कि वर्तमान में लगभग 22,600 गैर-सरकारी संगठन हैं जो विशिष्ट परियोजना/कार्यक्रम के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति रखते हैं। ये गैर सरकारी संगठन भारत के किसी भी बैंक में अपनी पसंद के विशेष बैंक खाते में विदेशी योगदान प्राप्त करते थे। इसके परिणामस्वरूप देश भर में फैली सैकड़ों शाखाओं में कई खाते खोले गए। इससे अनिवार्य रूप से संबंधित खातों से राशि के प्रवाह या बहिर्वाह की निगरानी में और लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान भी भारी कठिनाई हुई। भले ही कानून का अधिदेश गैर सरकारी संगठनों को आवधिक वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य करता है, हालांकि, अंतर्वाह और बहिर्वाह का विवरण 30 संक्षेप में, "2011 नियम" 31 (1981) 2 एस. सी. सी. 600

32 (2009) 11 एस. सी. सी. 726 33 संक्षेप में, "द एम. एच. ए". नॉइल हार्पर एंड ओ. आर. एस.।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

प्रौद्योगिकी, विदेशी योगदान की मात्रा में भारी उछाल पंजीकृत संगठनों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है, जिसके लिए व्यापक विधायी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस विधेयक को गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। आखिरकार, 2010 का अधिनियम माना गया। आई. एन. एस. ए. एफ. 34 के मामले में इस विधायी इतिहास पर ध्यान दिया गया है। अधिनियम के उद्देश्य को कुशलता से प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2020 में किए गए संशोधन आवश्यक हो गए थे।

(o) यह आग्रह किया जाता है कि 2010 के अधिनियम की तुलना किसी अन्य सामान्य विधान के साथ नहीं की जा सकती है। इस अधिनियम के पीछे का उद्देश्य लोकतांत्रिक को अलग करना है।

राजनीति और सार्वजनिक संस्थान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति विदेशी योगदान या विदेशी स्रोत से प्राप्त विदेशी आतिथ्य की सहायता से अनुचित रूप से प्रभावित होने से। वस्तु।

34 फुटनोट No.22 [2022] 19 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

इस अधिनियम के पीछे सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक हितों सहित भारत की संप्रभुता और अखंडता को सुरक्षित करना है। संसद के इस विवेक को विधायी नीति होने के नाते हल्के में नहीं लिया जा सकता है। रिलायंस को राजीव सूरी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और Ors.35 पर रखा गया है यह तर्क। रिलायंस को जोसेफ लोच्नर बनाम न्यूयॉर्क राज्य के लोगों पर भी रखा गया है; न्यू स्टेट आइस कंपनी बनाम अर्नेस्ट ए. लिबमैन 3 7; वेस्ट कोस्ट होटल कंपनी बनाम अर्नेस्ट पैरिश 3 8; संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम कैरोलीन उत्पाद कंपनी 3 9; अमेरिकी

फेडरेशन ऑफ लेबर, एरिजोना स्टेट फेडरेशन ऑफ लेबर एट अल। बनाम अमेरिकन सैश एंड डोर कंपनी आदि। 4 ओ; और फर्ग्यूसन बनाम स्क्रूपा 1 1 1।

यह आग्रह किया जाता है कि जोसेफ लोच्नर 1 2 में प्रचलित सिद्धांत कि उचित प्रक्रिया अदालतों को जब भी वे कानून बनाते हैं तो उन्हें असंवैधानिक ठहराने के लिए अधिकृत करता है।

उनका मानना है कि विधायिका ने अनजाने में काम किया है-जिसे लंबे समय से खारिज कर दिया गया है।

डॉ. अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ और Anr.47 यह तर्क देते हुए कि संविधान भविष्यवाणी करता है कि विधायिका सर्वोच्च है और कानून के मामलों में अंतिम निर्णय लेता है जब यह लोकतांत्रिक जवाबदेही के रूप में एक जांच के साथ विभिन्न वर्गों से इनपुट के साथ विकल्पों और विकल्पों पर प्रतिबिंबित करता है और अदालतों द्वारा आगे की जांच जो प्रयोग करते हैं 35 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन 7 (पैरा 570 और 571) 36 198 यू. एस. 45 (1905)

38 300 अमेरिका 379 (1937) 39 304 अमेरिका 144 (1938)

40 335 अमेरिका 538 (1949) 4372 यू. एस. 726 (1963)

42 फुटनोट No.36 43 (2011) 6 SCC 597 (पैरा 21) 44 (2017) 1 SCC 667 (पैरा 46) 45 (2017) 11 SCC 42 (पैरा 6) 46 (2018) 5 SCC 773 (पैरा 16) 47 (2020) 13 SCC 585 (पैरा 25-27)

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

न्यायिक समीक्षा की शक्ति। इस निर्णय में आगे यह माना गया है कि यह इसके लिए नहीं है न्यायाधीशों को कानून के नए सर्वसमावेशक सिद्धांतों को इस तरह से विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जो व्यक्तिगत न्यायाधीशों के रुख और राय को दर्शाता है जब समग्र रूप से समाज/विधानमंडल अस्पष्ट हैं और प्रासंगिक मुद्दों पर काफी विभाजित हैं।

कानून बनाने में संसद की नीति पर अपील नहीं करेंगे। रिलायंस को आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ और Ors.4[9] 49 पर भी रखा गया है, जिसमें यह देखा गया है कि न्यायालयों के पास केवल नष्ट करना और पुनर्निर्माण नहीं करना। इसके अलावा, आर्थिक विनियमन के जटिलता से भरे होने के संबंध में, आत्म-सीमा की आवश्यकता है

न्यायालयों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिससे न्यायिक ज्ञान के मार्ग का अनुसरण किया जाता है। रिलायंस को पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड एंड ए. एन. आर. में भी रखा गया है। बनाम भारतीय रिजर्व बैंक; प्रीमियम ग्रेनाइट और ए. एन. आर. बनाम टी. एन. राज्य & Ors.5[1]; दिल्ली विज्ञान मंच और अन्य। बनाम भारत संघ & Anr.52; बाल्को कर्मचारी संघ (विनियमित) बनाम भारत संघ और मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन। उक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत की गंभीरता अनिवार्य रूप से उन्हें होने वाली परिचालन संबंधी असुविधा के बारे में है। यह संशोधित प्रावधानों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित करने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि विदेशी स्रोतों से विदेशी योगदान के दुरुपयोग को दूर करने के लिए ये आवश्यक हैं।

राष्ट्र की संप्रभुता।

(आर) संशोधित प्रावधानों के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के संबंध में याचिका पर विचार करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि संविधान यह भविष्यवाणी नहीं करता है कि सभी कानून चरित्र में सामान्य और अनुप्रयोग में सार्वभौमिक होने चाहिए। दूसरी ओर, विधान के प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों या चीजों को अलग करने और वर्गीकृत करने के लिए विधायिका के लिए यह खुला है। वास्तव में,

ऐसा भेदभाव और वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए और होना चाहिए।

समझदार अंतर के अनुरूप होने के लिए एक उचित

48 (1970) 1 एस. सी. सी. 248 (पैरा 63,70) 4 9 49 (1981) 4 एस. सी. सी. 675 (पैरा 8) 50 (1992) 2 एस. सी. सी. 343 (पैरा 31) 51 (1994) 2 एस. सी. सी. 691 (पैरा 54) 52 (1996) 2 एस. सी. सी. 405 (पैरा 7) 53 (2002) 2 एस. सी. सी. 333 (पैरा 38) 54 (2011) 7 एस. सी. सी. 239 (पैरा 36)

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विचाराधीन कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के संबंध में। 2020 के विवादित संशोधन पूरी तरह से अनुरूप हैं। ये संशोधन इस तथ्य पर आधारित "वर्गीकरण की दोहरी परीक्षा" को पूरा करते हैं - भारतीय नागरिकों और विदेशियों के बीच वर्गीकरण, इतना ही नहीं, भारतीय योगदान और विदेशी योगदान। संशोधनों से पूरा होता है

अनुमेय वर्गीकरण सिद्धांत और समझदार अंतर पर आधारित हैं और गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योगदानों में अंतर करते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई एनजीओ विदेशी योगदान प्राप्त करने का इरादा रखता है, तो उसे आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा और उसके लिए निर्दिष्ट औपचारिकताओं का पालन करना होगा। इस प्रकार समझा जाए तो 'शायरा बानो' में दिया गया बयान, जिसे रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा सेवा में लगाया गया था, कोई लाभ नहीं होगा। जबकि, कानून द्वारा वर्गीकरण निषिद्ध नहीं है। यह संशोधनों के पीछे के विधायी इरादे को मैनिफेस्ट का रंग देकर कम करने के लिए खुला नहीं है

मनमानी। यह तर्क कि कानून स्पष्ट मनमानेपन के दोष से ग्रस्त है, इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में उच्चारण की कसौटी पर जांच की जानी चाहिए। रिलायंस को चरणजीत लाल चौधरी बनाम पर रखा गया है। भारत संघ & Ors.56; बॉम्बे राज्य & ए. एन. आर. बनाम एफ. एन. बलसारा "; काठी रानींग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य 58; गुरबचन सिंह बनाम बॉम्बे राज्य 59; पंजाब राज्य बनाम अजैब सिंह और अन्र। 0 ; हबीब मोहम्मद बनाम। हैदराबाद राज्य "1; केदार नाथ बाजोरिया बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य 62; बाबूराव शांताराम मोरे बनाम बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड और अन्र। 63 ; हरमन सिंह और ओआरएस। बनाम। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण,

56 ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 41 (पैरा 8-10,18,27-29,61-65) 57 ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 318 (पैरा 37-42,47,62) 58 ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 123 (पैरा 7,19,32-36,45-48) 59 ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 221 (पैरा 3-6,8)

66 ए. आई. आर 1955 एस. सी. 191 (पैरा 5,7,9) 67 ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 334 (पैरा 14-16) 68 ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 367 (पैरा 14,24-25)

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

72 ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 578 (पैरा 210-218) 73 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 591 (पैरा 7-9) 74 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1501 (पैरा 5) 75 (1970) 1 एस. सी. सी. 377 (पैरा 2) 76 (1975) 2 एस. सी. सी. 175 (पैरा 24-25) 77 1992 सप. (1) एस. सी. सी. 594 (पैरा 127,130) 78 (1993) 3 एस. सी. सी. 677 (पैरा 20-23,29) 79 (2002) 4 एससीसी 539 (पैरा 11) 80 (2004) 1 एससीसी 712 (पैरा 56)

81 (2004) 3 एस. सी. सी. 609 (पैरा 20,23)

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विदेशी योगदान के माध्यम से प्राप्त निधि प्रवाह की प्रभावी निगरानी के लिए एक स्रोत से विदेशी योगदान के आंकड़ों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना।

इस विधायी इरादे को किसी भी तरह से इसके साथ टकराव में नहीं कहा जा सकता है

प्रधान अधिनियम के उद्देश्य और किसी भी मामले में, इसे स्पष्ट रूप से मनमाना भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 2010 के अधिनियम की धारा 17 (1) पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को देश में अपनी पसंद के किसी भी अनुसूचित बैंक/शाखा में एक और एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति देगी। तदनुसार, यह आग्रह किया जाता है कि संशोधित प्रावधानों के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के बारे में तर्क गुणदोष से रहित है।

(टी) अनुच्छेद 19 (1) (सी) और 19 (1) (जी) के आधार पर चुनौती का मुकाबला करते हुए, यह कहा गया है कि विदेशी नागरिक की मांग करने का कोई अधिकार मौजूद नहीं है।

विनियमन के बिना योगदान। इसके अलावा, 2010 का अधिनियम विदेशी योगदान या स्वयं संघ बनाने के अधिकार या किसी भी पेशे का अभ्यास करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है। बल्कि, यह केवल ऐसे संघों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विदेशी योगदान के संबंध में प्रभावी नियामक व्यवस्था प्रदान करना चाहता है। इसलिए अनुच्छेद 19 (1) (सी) और 19 (1) (जी) के तहत अधिकार अप्रभावित रहते हैं। यह आग्रह किया जाता है कि एक संघ बनाने का अधिकार और व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं है

बेलगाम और अनियमित विदेशी योगदान प्राप्त करने का अधिकार और अनुमेय गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए इसका उपयोग। दूसरे शब्दों में, विचाराधीन कानून संविधान के अनुच्छेद 19 (4) और 19 (6) के अर्थ के भीतर प्रदान किए गए अपवादों द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

(यू) अनुच्छेद 19 (1) (सी) की कसौटी पर किए गए संशोधनों को चुनौती देने पर मूल अधिनियम के उद्देश्य के आलोक में विचार करने की आवश्यकता है। यह "भारत की संप्रभुता और अखंडता" और "सार्वजनिक व्यवस्था" की व्यापक शर्तों की रक्षा करने के लिए एक अधिनियम है। रिलायंस को ओ. के. घोष एंड अन्न पर रखा गया है। बनाम। ई. एक्स. जोसेफ 3 2 2, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 19 का खंड (4) जनता के हित में लगाए गए प्रतिबंध को संदर्भित करता है।

आदेश दें। निकटवर्ती और प्रत्यक्ष प्रतिबंध का सार्वजनिक व्यवस्था के साथ कारणात्मक संबंध होना चाहिए।

(v) रिलायंस को निम्नलिखित निर्णयों में भी प्रदर्शनी पर रखा गया है: -

सागीर अहमद और अन्न। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य & Ors.[33]; बाबूलाल

पैराटे बनाम। महाराष्ट्र राज्य बनाम दया बनाम आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक बनाम अकादमी पालन बनाम राज्य

ए. आई. आर 1963 एस. सी. 812 (पैरा 9-10) ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 728 (पैरा 23)

84 ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 884 (पैरा 26,28-32)

ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1796 (पैरा 14-19)

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

उड़ीसा की नगरपालिका समिति, अमृतसर और अन्य। बनाम पंजाब राज्य और Ors.³7; मधु लिमये बनाम उप-मंडल मजिस्ट्रेट, मोंघिर और Ors.88; दारुका एंड कंपनी बनाम भारत संघ और अन्य। ; मो. सेराजुद्दीन और ओआरएस। बनाम उड़ीसा राज्य "; अहमदाबाद शहर का नगर निगम और अन्य। बनाम जान मोहम्मद उस्मानभाई और अन्न। 1; सुशीला सॉ मिल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य। 2 ; लक्ष्मीकांत बनाम भारत संघ और अन्य "। ; कृष्णन कक्कंत बनाम केरल सरकार और भारतीय हस्तशिल्प एम्पोरियम और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य "। ; ओम प्रकाश और ओआरएस। बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। % ; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एन. आर. बनाम भारत संघ "; गुजरात राज्य बनाम मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात और अन्य"। ; केरल बार होटल्स एसोसिएशन एंड एन. आर. बनाम केरल राज्य और अन्य "। ; और अनुराधा भसीन 1 100

(ड) यह आग्रह किया जाता है कि विवादित संशोधन सीधे 2010 के अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से संबंधित हैं। पीछे की वस्तु प्रमुख अधिनियम देश की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए है। यह उद्देश्य पिछले पांच दशकों से देश की विधायी नीति का सुसंगत हिस्सा होने के कारण न्यायिक समीक्षा से परे है। चूंकि विवादित संशोधनों का मूल अधिनियम के बताए गए उद्देश्य के साथ प्रत्यक्ष और निकट संबंध है, इसलिए वे अनुच्छेद 19 (4) और 19 (6) के अर्थ के भीतर पूरी तरह से संरक्षित हैं।

(x) यह आगे तर्क दिया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थ के भीतर जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल नहीं हो सकता है और न ही इसमें शामिल है।

अनियमित धन और योगदान प्राप्त करने का अधिकार; जिसका दुरुपयोग अनिवार्य रूप से देश की राजनीति और संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है।

86 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1047 (पैरा 1,14-15) 87 (1969) 1 एस. सी. सी. 475 (पैरा 10,14)

88 (1970) 3 एससीसी 746 (पैरा 12-16,24,26-28,46) 89 (1973) 2 एससीसी 617 (पैरा 16-20,24-25)

90 (1975) 2 एस. सी. सी. 47 (पैरा 28) 9 91 (1986) 3 एस. सी. सी. 20 (पैरा 15-24) 92 (1995) 5 एस. सी. सी. 615 (पैरा 4) 93 (1997) 4 एससीसी 739 (पैरा 10) 94 (1997) 9 एससीसी 495 (पैरा 27-29) 95 (2003) 7 एससीसी 589 (पैरा 31-41) 96 (2004) 3 एससीसी 402 (पैरा 31-40) 97 (2004) 9 एससीसी 580 (पैरा 40-45)

98 9 8 (2005) 8 एस. सी. सी. 534 (पैरा 73-79,135-137) 99 (2015) 16 एस. सी. सी. 421 (पैरा 30-38)

100 फुटनोट पर ऊपर No.21 (पैरा 154-159)

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संशोधित प्रावधान, कल्पना के किसी भी विस्तार से, विदेशी योगदान के प्रवाह या स्वयं संघ बनाने के अधिकार या किसी भी पेशे का अभ्यास करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियामक तंत्र प्रदान करता है कि विदेशी स्रोत से प्राप्त विदेशी योगदान का उपयोग केवल प्राप्तकर्ता द्वारा उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए वह करता है।

इसकी अनुमति दी गई है और यह प्रतिबंध केवल राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए है। किसी भी मामले में, यह (नियामक)

तंत्र) प्रक्रियात्मक मामला होने के कारण, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के दायरे में आएगा। एक उचित प्रतिबंध होने के कारण मूल अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने और बोधगम्य अंतर पर आधारित, इसे तर्कसंगत और आनुपातिक माना जाना चाहिए, और राज्य के हितों को आगे बढ़ाने के रूप में माना जाना चाहिए।

(y) उत्तरदाताओं ने के. एस. पुट्टास्वामी और अन्न पर भी भरोसा रखा है। बनाम भारत संघ और Ors.¹0¹ 101 इस तर्क के समर्थन में कि

संशोधित प्रावधान मूल अधिनियम में प्रदान किए गए नियामक उपायों में शामिल राज्य के वैध हितों को आगे बढ़ाने के लिए हैं। रिलायंस को गोबिंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्न पर भी रखा गया है। 102 , जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि भले ही गोपनीयता और गरिमा के दावों की उचित सावधानी के साथ जांच होनी चाहिए, लेकिन उन दावों को अनिवार्य रूप से मामले-दर-मामले विकास की प्रक्रिया से गुजरना होगा। रिलायंस को चिंतामनराव और अन्न पर भी रखा गया है। बनाम। मध्य प्रदेश राज्य 1 0 3; मद्रास राज्य बनाम वी. जी. पंक्ति 1 04; टेरी ओट एस्टेट्स (पी) लिमिटेड बनाम। यू. टी., चंडीगढ़ और अन्य 1 05 105; रामलीला मैदान घटना, 0 0 में; सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन

लिमिटेड और ओआरएस। बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और एएनआर। 1 07 107;। और एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और Anr.108 का तर्क है कि अनुच्छेद 21 अत्यंत व्यापक है। जबकि, संशोधित प्रावधानों में निर्दिष्ट तरीके से विदेशी योगदान के हस्तांतरण और विदेशी योगदान की प्राप्ति पर प्रतिबंध है -

अनुपालन तंत्र में सुधार करना, इसकी प्राप्ति और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। इस मायने में, यह याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को बाधित नहीं करता है, बहुत कम

101 (2017) 10 एस. सी. सी. 1 (पैरा 310-311,377,380,526,558,582 और 639) 102 (1975) 2 एस. सी. सी. 148 (पैरा 22-23,28)

103 ए. आई. आर 1951 एस. सी. 118 (पैरा 7) 104 ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 196 (पैरा 15) 105 (2004) 2 एस. सी. सी. 130 (पैरा 40,44-46,49) 106 (2012) 5 एस. सी. सी. 1

107 (2012) 10 एस. सी. सी. 603 108 (2017) 8 एस. सी. सी. 47 (पैरा 29,92,94-95)

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संविधान का अनुच्छेद 21। विनियमन और नियंत्रण सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और आम जनता के हितों के लिए हानिकारक गतिविधियों/कार्यक्रमों और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों से संबंधित हैं। यह एक उचित और आनुपातिक प्रतिबंध होने के नाते, विदेशी दानदाताओं से विदेशी योगदान प्राप्त करना जारी रखने के लिए पंजीकृत संघों के अधिकार को प्रभावित किए बिना प्रधान अधिनियम के उद्देश्य के साथ स्पष्ट संबंध रखने और देश में अपनी पसंद के विभिन्न अनुसूचित बैंकों/शाखाओं में खाते खोलकर इसका उपयोग करने के लिए, किसी भी तरह की कल्पना नहीं की जा सकती है। कहा जाए कि यह पंजीकृत संघों या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति रखने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

(जेड) जहां तक रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि उन्हें निर्दिष्ट बैंक और शाखा यानी एस. बी. आई. में खाता खोलने और संचालित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है,

एन. डी. एम. बी. ने जवाब के हलफनामे में कहा है कि दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित बाहरी एफ. सी. आर. ए. संगठनों के लिए और किसी भी एफ. सी. आर. ए. संगठन के संचालन में आसानी के लिए, एम. एच. ए. और एस. बी. आई. ने संघों/एफ. सी. आर. ए. संगठनों/एन. जी. ओ. को बिना किसी शारीरिक रूप से दिल्ली आने की आवश्यकता के एस. बी. आई., एन. डी. एम. बी. में मुख्य बैंक खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। यह निश्चित रूप से रिट याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत को दूर करता है और उनका निवारण करता है कि उन्हें पंजीकृत संघों को अनुमति देने वाले सक्षम प्रावधान के साथ निर्दिष्ट शाखा में खाता खोलने के लिए दिल्ली जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

देश में अपनी पसंद के किसी भी अनुसूचित बैंक/शाखा से उपयोग और लेनदेन करना। इसलिए, संशोधित प्रावधानों पर हमले का मूल आधार जमीन पर गिरता है।

संबंधित संघों के अधिकृत व्यक्तियों की नई दिल्ली की भौतिक यात्रा के बिना भी संभव है। खाता खोलने की यह सुविधा निर्दिष्ट बैंक और शाखा में डिजिटल या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्राप्तकर्ता संगठनों के निर्देशों पर एस. बी. आई. द्वारा वास्तविक समय के आधार पर बिना किसी बैंक शुल्क के मुफ्त/निःशुल्क आधार पर प्रदान किया जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ये व्यवस्थाएँ प्रभावी [2022] 19 एस. सी. आर. के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं।

प्रवर्तन और संचालन का दृष्टिकोण और एक केंद्रीकृत स्थान से वास्तविक समय के आधार पर विदेशी योगदान और उससे संबंधित जानकारी के प्रवाह की निगरानी करना। अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ और सभी संबंधित लोगों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसका उचित संबंध और निकट संबंध है। पंजीकृत संघों/गैर-सरकारी संगठनों को किसी भी अनुचित कठिनाई या अतिरिक्त वित्तीय लागत/अनुपालन बोझ का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए, संशोधित प्रावधानों को चुनौती कमजोर दावों पर आधारित है।

(ख) यह भी दावा किया जाता है कि निर्दिष्ट खाते में मुख्य खाता खोलते समय दिए गए विवरणों में किसी भी बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए आवेदन

एफ. सी. आर. ए. के तहत पंजीकृत, 23,000 से कम के पंजीकरण प्रमाणपत्र सक्रिय हैं। इसके अलावा, 20,600 गैर-अनुपालन व्यक्तियों का पंजीकरण पहले ही रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा, परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार संशोधित प्रावधानों (2020 अधिनियम के) के अनुसार, अक्टूबर, 2021 तक निर्दिष्ट शाखा (यानी, एस. बी. आई., एन. डी. एम. बी.) में 19,000 से अधिक खाते पहले ही खोले जा चुके हैं। इस प्रकार, यह आग्रह किया जाता है कि संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य मूल अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है और वे संबंधित प्रकृति के नियामक हैं।

कुछ व्यक्तियों या संघों या कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की प्राप्ति और उपयोग और आकस्मिक मामले; और प्रिंसिपल में बताए गए अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(ग) ऊपर के रूप में कहने के बाद, हलफनामा इस बात पर प्रकाश डालता है कि संशोधित प्रावधानों में से कोई भी दूरस्थ रूप से अनुमति या प्रयास नहीं करता है। बैंकिंग कार्यों की देखरेख करना। अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के साथ-साथ विनियमों का उद्देश्य केवल 2010 के मूल अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में बैंकों को सौंपी गई महत्वपूर्ण भूमिका पर स्पष्टता लाना है। इसी तरह, उक्त परिपत्र 2010 के अधिनियम के प्रावधानों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए केवल एक प्रशासनिक मार्गदर्शन है।

(घ) इस प्रकार, प्रत्यर्थियों ने पंजीकृत संघों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने के लिए प्रार्थना की है, जिसके परिणामस्वरूप छोड़ दिया गया है।

विनय विनायक जोशी द्वारा दायर रिट याचिका में विचार के लिए कुछ भी नहीं

109 डब्ल्यू. पी. (ग) 2021 का No.566 और W. P. (ग) 2021 110 डब्ल्यूपी का No.751। (ग) 2021 का नोएल हार्पर और ओआरएस का No.634।

6. प्रत्यर्थी संख्या 3-एस. बी. आई. 1 1 1 द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामा

(क) एस. बी. आई. ने 2021 की रिट याचिका (सी) No.751 में दिनांकित 20.10.2021 का जवाबी हलफनामा भी दायर किया है, जिसकी शपथ अंजना टंडन, डिप्टी गवर्नर ने ली है। महाप्रबंधक, एस. बी. आई., नई दिल्ली मुख्य शाखा। यह हलफनामा अनिवार्य रूप से एस. बी. आई. से संबंधित मुद्दों से संबंधित है। यह कहा गया है कि एस. बी. आई. भारत में 22,219 शाखाओं के नेटवर्क के साथ भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों/शाखाओं सहित देश के कोने-कोने में फैला हुआ है। एस. बी. आई. के 223 विदेशी कार्यालय और लगभग 40 देशों में लगभग 230 विदेशी शाखाएँ भी हैं।

(ख) यह कहा गया है कि एफ. सी. आर. ए. खाता सामान्य चालू/बचत खाता नहीं है। इस खाते में किए गए लेन-देन सख्ती से होने चाहिए।

विनियमित, जैसा कि 2010 के अधिनियम में बताया गया है। एस. बी. आई. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप काम करता है। भारत सरकार ने एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने और संचालन के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) जारी की है। उस संबंध में जानकारी खाताधारकों को प्रसारित की गई है और सार्वजनिक क्षेत्र में है, जिसमें समय-समय पर वेबिनार आयोजित करना भी शामिल है। मुख्य बात एस. बी. आई. की शाखा ने एस. बी. आई., एन. डी. एम. बी. में सभी एफ. सी. आर. ए. खातों से निपटने के लिए चालीस से अधिक अधिकारियों के साथ एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाया है। वे विशेष रूप से एफ. सी. आर. ए. खातों से निपटते हैं और उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

बुनियादी ढांचा। एस. बी. आई. ने साझा करने के संबंध में आंतरिक व्यवस्था की है।

पूरे भारत में एस. बी. आई. की शाखाओं वाली 23,000 संस्थाओं का विवरण; विदेशी हितधारकों के प्रमाणिक सत्यापन के लिए एस. बी. आई. के विदेशी कार्यालयों के साथ संपर्क करना; और एफ. सी. आर. ए. खातों के संचालन के लिए पूरे भारत में फैले 17 स्थानीय मुख्य कार्यालयों में सहायक महाप्रबंधक के पद तक के नोडल अधिकारी को नामित किया है। इस हलफनामे द्वारा, एस. बी. आई. ने नई दिल्ली में नामित शाखा में खाता लेनदेन/खोलने में उनके द्वारा सामना की जा रही परिचालन और अन्य कठिनाइयों के बारे में रिट याचिकाकर्ताओं/पंजीकृत संघों की शिकायत का खंडन किया है।

(ग) यह दृढ़ता से कहा गया है कि एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने या धन प्राप्त करने के इच्छुक संस्थाओं को दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि

दिनांकित 9.6.2021 संचार में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। इसे एम. एच. ए. की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विधिवत अधिसूचित किया जाता है। एस. बी. आई. ने एफ. सी. आर. ए. खाते खोलने/संचालित करने के लिए संगठनों की सुविधा के लिए पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। यह कहा गया है कि संस्थाएं इंटरनेट की शक्ति और सुविधा के साथ कहीं भी और कभी भी इंटरनेट बैंकिंग गतिविधि सहित बैंकिंग गतिविधियों को कर सकती हैं। संस्थाएं ले सकती हैं लाभ

सी. आई. एन. बी. और कोई भी वित्तीय लेनदेन करने के लिए अपने प्राधिकरण मैट्रिक्स को अनुकूलित कर सकते हैं। यह संस्थाओं के लिए अपनी पसंद के अनुसूचित बैंकों की एक या अधिक शाखाओं में एफ. सी. आर. ए. खाता (उपयोग खाता) खोलने और संचालित करने के लिए भी खुला है। वैकल्पिक रूप से, वे अपने पिछले खातों का उपयोग उपयोग खातों के रूप में करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिन पर धन हस्तांतरित किया जा सकता है।

एस. बी. आई., एन. डी. एम. बी. में नामित एफ. सी. आर. ए. खाता।

(घ) यह भी कहा जाता है कि संस्थाओं को एफ. सी. आर. ए. खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, वे काम करने के लिए स्वतंत्र हैं

यदि वे इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, तो किसी अन्य सामान्य खाता धारक की तरह नियमित रूप से एस. बी. आई. शाखा से संपर्क किए बिना उनका खाता। इस बात से इनकार किया जाता है कि पंजीकृत संघों/संबंधित संस्थाओं को नई दिल्ली में एक नामित व्यक्ति को नियुक्त करने और ऑफ़लाइन केवाईसी सत्यापन के लिए बार-बार यात्रा करने की आवश्यकता होती है जैसा कि आरोप लगाया गया है। इसके बजाय, वे निकटतम एस. बी. आई. शाखा से संपर्क कर सकते हैं और ऑफ़लाइन प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त शाखा में ही किए गए दस्तावेज़ का सत्यापन। दूसरे शब्दों में, रिट याचिकाकर्ताओं और समान रूप से रखे गए व्यक्तियों द्वारा दी गई असुविधा के तर्क का न केवल खंडन किया गया है, बल्कि जानकारी भी दी गई है

प्रत्यर्थी द्वारा की गई पर्याप्त रसद व्यवस्था के संबंध में

इस न्यायालय के समक्ष दायर जवाब में अधिकृत व्यक्तियों द्वारा एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने के साथ-साथ संचालन की सुविधा के लिए बैंक (एस. बी. आई.) का वर्णन किया गया है। यही इस तथ्य का संकेत है कि एफ. सी. आर. ए. खाताधारकों को नई दिल्ली में मुख्य शाखा में जाने की आवश्यकता के बिना स्थानीय स्तर पर ही संबंधित संस्थाओं को सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ई) इस हलफनामे से यह भी पता चलता है कि एस. बी. आई. के दो लाख से अधिक कर्मचारी देश के विभिन्न हिस्सों में शाखाओं में काम कर रहे हैं।

पूरे देश के साथ-साथ विदेश में भी नेटवर्क। यह कहा गया है कि 23,000 एफ. सी. आर. ए. खातों के संचालन के उद्देश्यों के लिए, उच्च प्रशासनिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, बैंक ने अतिरिक्त वृद्धि की है।

नई दिल्ली में नामित शाखा में उस उद्देश्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा।

(च) यह आगे कहा गया है कि जब तक हलफनामा दायर किया गया था, तब तक लगभग 20,000 एफसीआरए खाते पहले ही खोले जा चुके थे।

लगभग 23,000 सक्रिय संगठन और शेष पंजीकृत संघ नई दिल्ली में मुख्य शाखा से संपर्क करके अपने खाते खोलने की प्रक्रिया में थे। यह आग्रह किया जाता है कि प्रतिवादी-बैंक (एस. बी. आई.) संबंधित खाताधारक द्वारा अनुरोध/मांग के अनुसार सभी बैंकिंग सुविधाओं की पेशकश कर रहा है। एस. बी. आई. ने इस बात से इनकार किया है कि खाता खोलने और विदेशी एन. ओ. ई. एल. हार्पर और ओ. आर. एस. प्राप्त करने की प्रक्रिया में कोई देरी हुई है।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

लेन-देन की मात्रा या हजारों लोगों के प्रश्नों को संभालने के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक क्षमता नहीं होने के कारण प्रेषण संगठन, जैसा कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है। साथ ही, यह उचित रूप से स्वीकार किया गया है कि कोविड-19 के दूसरे चरण के दौरान, असाधारण स्थिति के कारण, कुछ मामलों में देरी हुई होगी, लेकिन सभी खातों को चालू कर दिया गया है और संबंधित एफसीआरए खाताधारकों द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है। हलफनामे में एफसीआरए खातों के संबंध में परिचालन मुद्दों को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया गया है। इस हलफनामे का सार यह प्रदर्शित करना है कि एफसीआरए खाताधारकों को किसी भी तरह से कोई असुविधा नहीं हो रही है और बैंक मुख्य शाखा के साथ-साथ देश भर की अन्य शाखाओं में एफसीआरए खातों से संबंधित लॉजिस्टिक मुद्दों को संभालने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है।

7. रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर जवाबी हलफनामा

(क) रिट याचिकाकर्ताओं ने जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसके तहत रिट याचिकाओं में किए गए दावों को दोहराया जाता है। इस पर जोर दिया जा रहा है कि

अनिवार्य रूप से संशोधित की वैधता पर हमला करने के आधारों के संबंध में

2010 के अधिनियम के प्रावधान, विशेष रूप से धारा 7,12 (1ए), 12ए और 17 (1)। जवाबी हलफनामे में पंजीकरण और बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का कारण भी बताया गया है। हालाँकि, वे मामले प्रावधानों की वैधता का परीक्षण करने का आधार नहीं हो सकते हैं। इसलिए, इसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। वे पंजीकरण की प्रक्रिया और एफ. सी. आर. ए. खातों के संचालन के संबंध में होने वाली असुविधा की प्रकृति में अधिक हैं।

8. रिट याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ 1 1 2

(क) पंजीकृत संघ/रिट याचिकाकर्ता आग्रह करेंगे कि विधायी नीति के अनुल्लंघनीय होने के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। के लिए, ए. के. गोपालन बनाम इस न्यायालय में। मद्रास राज्य ने कहा कि न्यायालय नागरिकों पर कानून के प्रभाव पर विचार करने के लिए बाध्य है और क्या यह संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।

(ख) यह आग्रह किया जाता है कि आई. एन. एस. ए. एफ. 1.14 में यह न्यायालय पहले ही मान्यता दे चुका है।

विदेशी योगदान प्राप्त करने का अधिकार। इस प्रकार, यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने का कोई मौलिक अधिकार मौजूद नहीं है। द.

112 2021 की रिट याचिका (सी) Nos.566 और 751 में 113 एआईआर 1950 एससी 27

114 फुटनोट No.22 पर उपर्युक्त (पैरा 18 से 22)

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संशोधित प्रावधान विदेशी धन प्राप्त करने के अधिकार पर मनमाने और व्यापक प्रतिबंध हैं, इस प्रकार, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

संविधान। इसके अलावा, आई. एन. एस. ए. एफ. 1 5 के मामले में इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों पर विवादित प्रावधानों के प्रभाव की जांच नहीं की क्योंकि न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत क्षमता में कोई याचिकाकर्ता नहीं था। 2020 के अधिनियम के माध्यम से किए गए संशोधन न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 के दुष्प्रभाव से प्रभावित हैं, बल्कि

अनुच्छेद 19 (1) (ए), 19 (1) (सी) और 19 (1) (जी) के साथ-साथ संविधान का अनुच्छेद 21।

(ग) जहां तक अधिनियम की धारा 7 का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधन से पहले, अन्य व्यक्ति को विदेशी योगदान का विधिवत हस्तांतरण।

पंजीकृत था और उसे प्रमाण पत्र दिया गया था या 2010 के अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी। परंतुक ने प्राप्तकर्ता पंजीकृत संघ द्वारा विदेशी योगदान के हस्तांतरण की अनुमति दी। संशोधित प्रावधान द्वारा इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो व्यापक प्रतिबंध है। क्योंकि, यह निषेध अनिवार्य रूप से उन संस्थाओं के वित्तपोषण को प्रभावित करेगा जिन्हें अन्यथा विदेशी योगदान प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। इस तरह से अनुमति देने के बाद, विनियामक उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए हो सकते हैं कि विदेशी योगदान का उपयोग अंततः उस उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए इसे अनुमति दी गई है। संशोधित धारा 7 के संदर्भ में पूर्ण निषेध स्पष्ट रूप से मनमाना है और इसका कोई कारण नहीं है मूल अधिनियम या संशोधन अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध। इस तर्क के समर्थन में, के. एस. पुट्टास्वामी 1 1 6 पर निर्भरता रखी गई है। इसमें, पूर्ण निषेध का मामला होने के नाते, यह किसी भी संगठन द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को प्रभावित करता है। द.

अधिनियम की धारा 2 (1) (एम) में "व्यक्ति" अभिव्यक्ति का एक विस्तृत अर्थ है। इस प्रकार, संशोधन के बाद विदेशी योगदान का हस्तांतरण

व्यक्ति या संगठन प्रभावित होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि "स्थानांतरण" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, पंजीकृत संस्थाओं द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग के तरीके के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, जिन्हें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए इसे प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

"उपयोग" अभिव्यक्ति के सामान्य अर्थ में किसी अन्य इकाई को विदेशी योगदान का हस्तांतरण शामिल होगा और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के बीच स्पष्ट संघर्ष है। नतीजतन, संशोधित धारा 7 न केवल बेतुकी है, बल्कि प्रधानाचार्य के उद्देश्य को विफल करती है।

115 फुटनोट पर ऊपर No.22 116 फुटनोट संख्या 7 पर उपर्युक्त (पैरा 105 और 106)

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

संस्था द्वारा योगदान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का जोखिम होगा।

(घ) यह आग्रह किया जाता है कि धारा 7 व्यापक और अस्पष्ट है। इस बारे में अस्पष्टता है कि विभिन्न सामाजिक या शैक्षिक या सांस्कृतिक क्या है।

या अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत आर्थिक या धार्मिक उद्देश्य और साथ ही, अधिनियम की धारा 35 अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सजा का आह्वान करती है। इस कारण से, धारा 7 स्पष्ट मनमानेपन के दोष से ग्रस्त है और संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित है। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ "मामले में इस न्यायालय के कथन पर भरोसा किया गया है। इसके अलावा, संशोधित धारा 7 पंजीकृत गैर-लाभ के बीच सहयोग की अनुमति नहीं देगी। किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के साथ देश भर में बड़ी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संगठन। यह जमीनी स्तर के संगठनों के काम में बाधा डालने के लिए बाध्य है जो अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं में एक संघ के प्रमुख भागीदार से भारत में उप-अनुदान प्राप्त करते हैं। वे परियोजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावित होंगी जहां पंजीकृत संगठन हो सकते हैं।

अपने दम पर पूरा करने में सक्षम नहीं होना।

(ई) तब यह आग्रह किया जाता है कि भले ही धारा 7 का उद्देश्य धन के दुरुपयोग को रोकना है, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

के भाग III के तहत अनुच्छेद 19 (1) (ए), 19 (1) (सी) और 19 (1) (जी) में गारंटी

संविधान, एक अनुचित प्रतिबंध है। इस तरह के प्रतिबंध किसी वैध सरकारी उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं। प्रधान अधिनियम सहित अधिनियम के उद्देश्य के साथ इसका कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। अपरिवर्तित प्रावधान कम प्रतिबंधात्मक था और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था, जो प्रधान अधिनियम के उद्देश्य को पूरा कर रहा था। इसके अलावा, पूर्ण निषेध का मामला होने के कारण, पंजीकृत संगठन जमीनी स्तर पर अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग जारी रखने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही वे संस्थाएं भी अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत हों। यह विदेशी योगदान के प्राप्तकर्ता (पंजीकृत संगठन) को ऐसी इकाई के माध्यम से जमीनी स्तर पर निर्दिष्ट गतिविधियों तक पहुंचने और उन्हें शुरू करने से वंचित करने के लिए बाध्य है। इस तरह के कठोर प्रतिबंध आनुपातिकता या उचित प्रतिबंध होने की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं जैसा कि के. एस. पुट्टास्वामी के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। भारत संघ और Ors.[119] 119 ने तर्क दिया कि राज्य 2010 के अधिनियम में संशोधनों को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को विशेष रूप से स्थापित करने में विफल रहा है। इसके अभाव में, कोई सर्वव्यापी निषेध नहीं है

117 (2015) 5 एस. सी. सी. 118 फुटनोट संख्या 7 (पैरा 157 और 158) 1 1 9 डब्ल्यू. पी. पर ऊपर दिया गया है। (सीआरएल।) 2021 आदि का No.314,27.10.2021 पर तय किया गया (पैरा 49 और 50)

न्यायालय द्वारा मान्य किया जा सकता है। यह आग्रह किया जाता है कि धारा 7, स्पष्ट रूप से मनमाना होने और किसी भी निर्धारण सिद्धांत का अभाव होने के कारण, पूरी तरह से अनुचित है और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

(च) इसी तर्ज पर, धारा 17 (1) के साथ पठित धारा 12 (1 ए) पर हमला किया गया है, जो स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित है। चुनौती

यह देश भर के सभी संगठनों के लिए नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की केवल एक विशिष्ट शाखा में बैंक खाता खोलने की शर्त तक सीमित है।

विदेशी योगदान प्राप्त करना। इस तरह की आवश्यकता बेतुकी, तर्कहीन है और 2010 के अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत कोई वैध उद्देश्य पूरा नहीं करती है। यह आग्रह किया जाता है कि चुनौती धारा 17 की संशोधित उप-धारा (2) के लिए नहीं है जिसमें प्राधिकरण को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। इसे बैंक का दायित्व होने के कारण बैंक द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। धारा 17 (1) के साथ पठित धारा 12 (1 ए) की आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए कोई ठोस तर्क सामने नहीं आ रहा है, कि उस व्यवस्था का पालन नहीं करने से राष्ट्रीय हित कैसे खतरे में पड़ जाएगा, विशेष रूप से जब सभी अनुसूचित बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसमें अन्य सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या यहां तक कि एस. बी. आई. की स्थानीय शाखाएं भी शामिल हैं। उनमें से प्रत्येक को 48 घंटों के भीतर ऐसे सभी लेन-देनों की सूचना एमएचए को देनी होगी। इसलिए इस तरह का प्रावधान बेतुका और तर्कहीन है।

(छ) यह तर्क दिया जाता है कि संशोधित प्रावधानों का प्रभाव पंजीकृत संघों को उनकी प्राथमिक संस्थाओं तक भौतिक पहुंच से वंचित करना है।

दिल्ली में कई अन्य प्रतिबंधों के साथ। यह भी आग्रह किया जाता है कि संशोधित प्रावधान वैध लक्ष्य की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, जिसके लिए इस तरह की व्यवस्था आवश्यक है और न ही यह बताता है कि विदेशी योगदान की मांग करने वाले व्यक्तियों को केवल नई दिल्ली में निर्दिष्ट शाखा में बैंक खाते खोलने के लिए मजबूर किया जाता है और यह कैसे किया जाता है। यह राज्य के हितों को आगे बढ़ाएगा। यहां तक कि राज्य द्वारा आवश्यकता के सिद्धांत की पुष्टि नहीं की गई है, विशेष रूप से जब प्रधान अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पहले से ही मौजूदा प्रतिबंध और उचित तंत्र हैं, जिसके तहत प्रत्येक संगठन को अपनी पसंद के अनुसूचित बैंक में एक एफ. सी. आर. ए. खाता खोलना अनिवार्य है, जिसके खाते के विवरण को एम. एच. ए. को सूचित करने और संगठनों के एफ. सी. आर. ए. पंजीकरण संख्या से जोड़ने की आवश्यकता थी। सभी पंजीकृत संगठन पहले से ही उस आवश्यकता का पालन कर रहे थे और उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल 'दर्पण' पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें उन्हें विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया गया है। इसके अलावा, पंजीकृत संगठन 2011 के एन. ओ. ई. एल. हार्पर एंड ओ. आर. एस. के नियम 17 के साथ पठित धारा 18 में निर्दिष्ट नियमित विवरणी जमा करने के लिए भी बाध्य थे।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

नियम। उक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है

और 48 घंटों के भीतर उपयुक्त प्राधिकारी को सूचित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा के विशिष्ट अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसकी पुष्टि नहीं की गई है और इस संबंध में कानून के पक्ष में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ज) इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 3-एस. बी. आई. ने स्वीकार किया है कि केवल 40

कर्मियों को मुख्य शाखा में एफ. सी. आर. ए. खातों के संचालन का काम सौंपा जाता है। यह समझ से परे है कि इतनी कम संख्या में कर्मी 23,000 पंजीकृत संगठनों के लिए हजारों व्यक्तियों के लेनदेन के कार्यभार को कैसे संभाल सकेंगे। अनुराधा भसीन 1 20 और मेनका गांधी 1 2 1 में दिए गए स्पष्टीकरणों पर भरोसा करते हुए, यह आग्रह किया जाता है कि धारा 17 (1) के साथ पठित धारा 12 (1 ए) असंवैधानिक है, जो स्पष्ट रूप से मनमाना और तर्कहीन है।

(i) यहां तक कि, धारा 12 ए के रूप में प्रावधान का उल्लंघन है

पंजीकृत संगठनों के पदाधिकारियों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाती है क्योंकि इसके लिए धारा 12 के तहत एफ. सी. आर. ए. प्रमाण पत्र देने या धारा 16 के तहत नवीनीकरण या धारा 17 के तहत बैंक खाता खोलने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार संख्या का अनिवार्य प्रकटीकरण आवश्यक है। इस तरह का प्रावधान स्पष्ट रूप से के. एस. पुट्टास्वामी 1 22 में आयोजित आनुपातिकता की कसौटी के खिलाफ है। चूंकि, भारत के विदेशी नागरिक या पदाधिकारी के रूप में सेवारत विदेशी नागरिक समान उद्देश्यों के लिए आधार कार्ड के विकल्प के रूप में एक पहचान प्रदान कर सकते हैं। मूल अधिनियम में धारा 12 ए को शामिल करने के लिए कोई वैध लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। यह आग्रह किया जाता है कि इस प्रावधान का भी मूल अधिनियम के तहत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन से ग्रस्त है।

9. हमने श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री गौतम झा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और श्री तुषार मेहता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल और श्री संजय जैन, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को सुना है।

विधायी इतिहास

10. सबसे पहले, हमें 2020 में संशोधित 2010 के अधिनियम के साथ समाप्त होने वाले विधायी इतिहास का विज्ञापन करना चाहिए। वर्ष 1973 में राज्यसभा में "विदेशी योगदान" शीर्षक से एक विधेयक पेश किया गया था।

121 फुटनोट पर ऊपर No.12 122 फुटनोट संख्या 7 [2022] 19 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

(विनियमन) विधेयक, 1973 "। उक्त विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः -

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

विदेशी योगदान या आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे संसदीय संस्थान, राजनीतिक

संघ, शैक्षणिक और अन्य स्वैच्छिक संगठन भी

एक संप्रभु के मूल्यों के अनुरूप तरीके से कार्य करना लोकतांत्रिक गणराज्य "।

(जोर दिया गया)

19.2.1974 पर, सदन ने विधेयक को एक संयुक्त समिति के पास भेज दिया

60 सदस्यों वाले सदन, जिनमें से 20 को राज्यसभा से नामित किया जाना था। विधेयक को पेश करते समय, मंत्री ने विदेशी योगदान के संबंध में आवश्यक महसूस किए गए नियामक उपायों की रूपरेखा को रेखांकित किया। उन्होंने तीन विकल्पों की ओर रुख किया। स्पष्ट रूप से पहला

विधेयक में बताए गए उद्देश्यों को हासिल करने के इच्छुक। सदस्यों के बीच व्यापक सहमति थी कि इस मुद्दे को गहराई से उठाने की आवश्यकता है। जाँच।

11. तत्कालीन गृह मंत्री ने प्रस्तुत किया

25.3.1974 पर लोकसभा के समक्ष राज्यसभा की सिफारिश। प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया और उक्त सदन के 40 सदस्यों को सदनों की संयुक्त समिति के लिए नामित किया गया।

12. विधेयक को विनियमित करने के लिए संयुक्त समिति की रिपोर्ट

कुछ व्यक्तियों या संघों द्वारा विदेशी योगदान या आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए अतः, 6.1.1976 पर लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसी तरह, विधेयक पर सदनों की संयुक्त समिति की रिपोर्ट 6.1.1976 पर राज्यसभा में प्रस्तुत की गई थी।

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

13. प्रस्तावित विधेयक और रिपोर्ट के संबंध में विचार-विमर्श

योगदान को उसके प्रवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित किए बिना विनियमित तरीके से अनुमति दी जा सकती है। आखिरकार, हमारे देश में विदेशी दान के प्रवाह के कारण बढ़ते विदेशी प्रभाव की शरारत को दूर करने के लिए, विधेयक पारित किया गया, जिसने अधिनियम यानी विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 का रूप ले लिया। यह अधिनियम हमारे विधायी शस्त्रागार में एक ढाल के रूप में 5.8.1976[1]23 पर लागू हुआ। की प्रस्तावना 1976 का अधिनियम इस प्रकार हैः

संघ, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि संसदीय संस्थान, राजनीतिक संगठन और शैक्षणिक और अन्य

स्वैच्छिक संगठनों के साथ-साथ काम करने वाले व्यक्ति

राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र इस तरह से काम कर सकते हैं

एक संप्रभु लोकतांत्रिक के मूल्यों के अनुरूप

गणराज्य, और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए

वहाँ "।

(जोर दिया गया)

समय के साथ इस अधिनियम में संशोधन किया गया। ऐसा ही एक

संशोधन 1985 में किया गया था। उल्लिखित संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः

123 अधिसूचना सं. जीएसआर 755 (ई), दिनांक 5.8.1976 भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II, धारा 3 (i)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 1976, विदेशी योगदान या विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने का प्रयास करता है।

व्यक्तियों या संघों की कुछ श्रेणियों द्वारा आतिथ्य। कुछ अपर्याप्तताओं और व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए

अधिनियम के प्रशासन, अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक मई, 1984 में राज्यसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक को राज्यसभा ने कुछ संशोधनों के साथ पारित किया था। लेकिन इसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका, जब तक कि यह अपने मानसून सत्र के अंत में स्थगित नहीं हो गया और विधेयक अब समाप्त हो गया है। चूंकि राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक के प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक समझा गया था, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा 20 अक्टूबर, 1984 को विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 जारी किया गया था। उक्त अध्यादेश ने अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए, अर्थात्:

(i) अधिनियम में निहित "विदेशी योगदान" की परिभाषा में केवल दान, वितरण शामिल था।

((ii) "राजनीतिक दल" की परिभाषा, जैसा कि अधिनियम में निहित है, में जम्मू राज्य के राजनीतिक दल शामिल नहीं थे। और कश्मीर और राजनीतिक दल जो चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के दायरे में नहीं आते हैं। अध्यादेश ने ऐसे राजनीतिक दलों को भी शामिल करने के लिए इस परिभाषा में संशोधन किया।

((ग) अधिनियम की धारा 6 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम रखने वाले प्रत्येक संगठन को विदेशी सहायता प्राप्त हो सकती है।

योगदान, लेकिन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ऐसे समय और तरीके के भीतर केंद्र सरकार को ऐसी रसीद के बारे में सूचना भेजना आवश्यक था। यह देखा गया था कि कई संघों ने ऐसी सूचना नहीं भेजी थी। एन. ओ. ई. एल. हार्पर और ओ. आर. एस. की प्रभावी ढंग से निगरानी करना।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

विदेशी अंशदान की प्राप्ति के लिए, इस उप-धारा में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया था कि उसमें निर्दिष्ट संघ विदेशी अंशदान को तभी स्वीकार करेंगे जब वे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत हों और ऐसे अंशदान को केवल बैंक की एक निर्दिष्ट शाखा के माध्यम से स्वीकार करें। तथापि, उन्हें निर्धारित समय के भीतर और उस तरीके से केंद्र सरकार को उनके द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान की राशि, वह स्रोत जिससे और जिस तरीके से उन्हें ऐसा विदेशी योगदान प्राप्त हुआ, आदि के बारे में सूचित करना आवश्यक होगा। जहाँ कोई

पंजीकृत संघ किसी निर्दिष्ट बैंक की निर्दिष्ट शाखा के माध्यम से विदेशी योगदान स्वीकार नहीं करता है या सूचना आदि प्रस्तुत नहीं करता है, समय के साथ, केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अधिकार दिया गया है कि ऐसा संघ केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार नहीं करेगा। इस धारा में एक नई उप-धारा (1ए) भी शामिल की गई थी ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि केंद्र सरकार के साथ इस तरह से पंजीकृत कोई संघ किसी भी विदेशी को स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

योगदान दें और केंद्र सरकार को उसके द्वारा प्राप्त योगदान की राशि के बारे में भी सूचित करें।

संगठन या संघ या उनके द्वारा इस तरह से प्रस्तुत विवरणी कानून के अनुसार नहीं हैं या उनकी जांच से संदेह की गुंजाइश रहती है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। (v) अधिनियम में एक नई धारा 25ए भी जोड़ी गई थी ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां कोई व्यक्ति [2022] 19 एस. सी. आर. से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

एक सेकंड के लिए विदेशी योगदान की स्वीकृति या उपयोग के लिए उस समय, उसे किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

दूसरी सजा की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए।

2. यह विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है।

(जोर दिया गया)

14. 1976 के अधिनियम के लागू होने के बाद, जिसमें

इसके बाद के संशोधनों में, 1984 के बाद से प्राप्त अनुभव और महत्वपूर्ण विकास जैसे कि आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव, स्वैच्छिक संगठनों का प्रभाव बढ़ना, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रसार, संचार में तेजी आना आदि शामिल हैं।

प्राप्त किए जा रहे विदेशी योगदान की राशि और पंजीकृत संगठनों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि, एक विधेयक जिसे "विदेशी" के रूप में जाना जाता है

योगदान (विनियमन) विधेयक, 2006 पेश किया गया। विधेयक में प्रस्ताव 1976 के अधिनियम को निरस्त करने और इसे प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के साथ बदलने का था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 1976

विदेशी मुद्रा की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए अधिनियमित यह सुनिश्चित करने के लिए योगदान या आतिथ्य

संसदीय संस्थान, राजनीतिक संगठन, अकादमिक

और अन्य स्वैच्छिक संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों

राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करना एक में कार्य कर सकता है

एक संप्रभु लोकतांत्रिक के मूल्यों के अनुरूप तरीका

गणराज्य। इस अधिनियम का विस्तार करने के लिए 1984 में संशोधन किया गया था। अधिनियम के दूसरे और बाद के प्रावधान

विदेशी प्राप्त करने वाले संघों के लिए पंजीकरण योगदान दें।

2. 1984 के बाद से महत्वपूर्ण विकास हुआ है।

जैसे कि आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में परिवर्तन, एक वृद्धि

स्वैच्छिक संगठनों का प्रभाव, उपयोग का प्रसार

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, क्वांटम जंप प्राप्त किए जा रहे विदेशी योगदान की राशि में, और

पंजीकृत लोगों की संख्या में भारी वृद्धि

संगठन। इसके कारण बड़े पैमाने पर एन. ओ. ई. एल. हार्पर और ओ. आर. एस. में बदलाव की आवश्यकता पड़ी है।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

मौजूदा अधिनियम में। इसलिए यह सोचा गया है कि

वर्तमान अधिनियम को एक नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त स्वीकृति, उपयोग और लेखांकन को विनियमित करना

विदेशी योगदान और विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति

किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा।

3. विदेशी योगदान (विनियमन) विधेयक, 2006 में निम्नलिखित प्रावधान हैं -

अलिया, से -

((i) विनियमन, स्वीकृति और उपयोग के लिए कानून को समेकित करना।

((ii) राजनीतिक प्रकृति के संगठनों को प्रतिबंधित करना, न कि राजनीतिक दलों को। विदेशी योगदान प्राप्त करने से;

व्यवसाय; (v) प्रशासनिक व्यय को पचास प्रतिशत पर सीमित करें। प्राप्ति की

विदेशी योगदान;

(vi) विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से प्राप्त विदेशी धन को बाहर कर दें;

(vii) पंजीकरण से इनकार करने के लिए आधारों को सूचित करने का प्रावधान करें।

या विधेयक के तहत पूर्व अनुमति;

(viii) प्राप्त होने पर जानकारी साझा करने की व्यवस्था प्रदान करें।

संबंधित एजेंसियों द्वारा विदेशी प्रेषण को मजबूत करने के लिए

निगरानी;

पंजीकरण का निलंबन; (x) कुछ अपराधों के चक्रवृद्धि का प्रावधान करना।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(जोर दिया गया)

अंत में, नियुक्त समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद विधेयक

ई हाउस ने इसे लोकसभा में 27.8.2010 पर प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक [2022] 19 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 "। सदस्यों ने व्यक्त किया कि भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है और जैसा कि प्रस्तावित किया गया है, यह विधेयक राजनीतिक एजेंडा वाले संगठनों को विदेशी वित्त पोषण के माध्यम से देश को अस्थिर करने से रोकने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किए और अंत में विधेयक को स्वीकार कर लिया जो 2010 का अधिनियम बन गया। इस अधिनियम ने 1976 के अधिनियम को निरस्त कर दिया। 2010 के अधिनियम की शुरुआत ने माना कि कुछ विदेशी देश व्यक्तियों, संघों, राजनीतिक दलों, चुनावों के उम्मीदवारों, संवाददाताओं, स्तंभकारों, संपादकों, मालिकों, मुद्रकों या समाचार पत्रों के प्रकाशकों को धन दे रहे थे। वे आतिथ्य भी दे रहे थे। परिचय

अधिनियम इस प्रकार हैः -

" यह देखा गया था कि कुछ विदेशी देश थे

व्यक्तियों, संघों, राजनीतिक दलों को धन देना,

चुनाव के लिए उम्मीदवार, संवाददाता, स्तंभकार,

समाचार पत्रों के संपादक, मालिक, मुद्रक या प्रकाशक। वे. आतिथ्य भी दे रहे थे। इस तरह के वित्तपोषण के प्रभाव

और आतिथ्य काफी ध्यान देने योग्य था और कुछ इस तरह के वित्त पोषण और आतिथ्य पर नियंत्रण और विनियमन करना

विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग या

कुछ व्यक्तियों या संघों द्वारा विदेशी आतिथ्य

संगठनों के साथ-साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय जीवन के क्षेत्र सुसंगत तरीके से कार्य कर सकते हैं।

एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के साथ

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) अधिनियमित किया गया। 1976 में इसके अधिनियमन के बाद से कई कमियां हैं।

पाया गया था और इस पर एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव किया गया था 1976 के अधिनियम 49 को निरस्त करने के अधीन। तदनुसार विदेशी

योगदान (विनियमन) विधेयक संसद में पेश किया गया था।

(जोर दिया गया)

2010 के अधिनियम की प्रस्तावना का विज्ञापन करना उपयोगी होगा। द.

वही इस प्रकार पढ़ता है:

" स्वीकृति को विनियमित करने के लिए कानून को समेकित करने के लिए एक अधिनियम और

कुछ लोगों द्वारा विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य का उपयोग

व्यक्तियों या संघों या कंपनियों और स्वीकृति को प्रतिबंधित करने के लिए और किसी भी नोएल हार्पर और ओ. आर. एस. के लिए विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य का उपयोग।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

राष्ट्रीय हित और मामलों के लिए हानिकारक गतिविधियाँ

इसके साथ जुड़ा हुआ या आनुषंगिक।

उद्देश्यों और कारणों के कथन और सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से अंतर्निहित कारण स्पष्ट है

संबंधित सदनों में बहस, यह स्पष्ट करें कि अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट तरीके से विदेशी योगदान के प्रवाह को सख्ती से विनियमित करने की आवश्यकता थी। 2010 के अधिनियम के नियामक प्रावधानों में आंतरिक रूप से विदेशी योगदान के प्रवाह की अनुमति केवल अधिनियम में निर्दिष्ट तरीके से दी गई है जिसमें इसका उपयोग भी शामिल है और 2010 के अधिनियम से असंगत किसी भी गतिविधि के लिए दंडात्मक परिणाम भुगतने होते हैं। 2010 के अधिनियम की प्रस्तावना विदेशी योगदान के प्रवाह को सख्ती से विनियमित करने की आवश्यकता को दोहराती है, क्योंकि इसकी कमी अनिवार्य रूप से देश की संप्रभुता और अखंडता सहित राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करेगी।

16. केंद्र सरकार ने 2010 के अधिनियम की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2011 के नियम बनाए, जो 1.5.2011 पर बल लगाएं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने "विदेशी योगदान (उपहार या प्रस्तुतियों की स्वीकृति या प्रतिधारण) नियम, 2012" के रूप में जाने जाने वाले नियम भी बनाए, जो 17.6.2012 पर लागू हुए। 2011 के नियमों को (संशोधन) नियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था। हम उपयुक्त समय पर संशोधित प्रावधानों सहित इन नियमों का विज्ञापन करेंगे।

जगह।

17. वर्तमान मामलों में, हम विदेशी योगदान (विनियमन) के माध्यम से किए गए नवीनतम संशोधन की चुनौती से चिंतित हैं।

संशोधन अधिनियम, 2020, जो 29.9.2020 से लागू हुआ है। 2020 के अधिनियम के माध्यम से, धारा 3 (1) में खंड (सी) में संशोधन किया गया। यह संशोधन 2010 के अधिनियम की धारा 7,8,11,12,13,15,16 और 17 में भी लागू किया गया है। हमलावर संशोधित प्रावधानों तक ही सीमित है (वीडियो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (ए), 19 (1) (सी), 19 (1) (जी) और 21 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों के संक्षिप्तकरण के आधार पर 2020 का संशोधन अधिनियम)।

18. विशेष रूप से, हमें केवल धारा 7,12 (1ए), 17 से संबंधित संशोधन और अधिनियम में धारा 12ए को शामिल करने की वैधता पर विचार करने के लिए कहा जाता है। असंशोधित धारा 7,12 और 17 इस प्रकार हैं:

" 7. विदेशी योगदान को अन्य देशों में स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध व्यक्ति। - कोई भी व्यक्ति जो-(ए) पंजीकृत है और उसे प्रमाण पत्र दिया गया है या जिसने इस अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त की है; और

(ख) कोई विदेशी योगदान प्राप्त करता है,

ऐसा अन्य व्यक्ति भी पंजीकृत है और उसे इस अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र दिया गया था या पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थीः बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ऐसे विदेशी निकाय के एक हिस्से का हस्तांतरण कर सकता है।

किसी अन्य व्यक्ति को योगदान जिसे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र या अनुमति नहीं दी गई है।

***

12. पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करना। - (1) द्वारा एक आवेदन

धारा 11 में प्रमाण पत्र देने या पूर्व अनुमति देने के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति को केंद्र सरकार को ऐसे प्रपत्र और तरीके से और ऐसे शुल्क के साथ दिया जाएगा, जो निर्धारित किया जाए।

(2) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार, एक आदेश द्वारा, यदि आवेदन में नहीं है

निर्धारित प्रपत्र या उस प्रपत्र में निर्दिष्ट कोई भी विवरण नहीं है, आवेदन को अस्वीकार कर दें।

(3) यदि प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर या पूर्व अनुमति देने पर और ऐसी जांच करने के बाद जैसे कि केंद्रीय

सरकार उचित समझती है, यह राय है कि उप-धारा (4) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है, वह सामान्य रूप से उप-धारा के तहत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर आवेदन कर सकती है। धारा (1), ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत करती है और उसे एक प्रमाण पत्र प्रदान करती है या उसे पूर्व अनुमति देती है, जैसा भी मामला हो, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित किए जाएं:

बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर एक प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करती है या पूर्व में नहीं देती है

अनुमति देने पर, यह आवेदक को इसके कारणों से अवगत कराएगाः

बशर्ते कि कोई व्यक्ति अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा

प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति देना, यदि उसका प्रमाण पत्र नोएल हार्पर एंड ओआरएस रहा है।

(4) उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी, अर्थात्: - (क) उप-धारा (1) के तहत पंजीकरण या पूर्व अनुमति देने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति -

((ii) प्रलोभन या बल के माध्यम से धर्मांतरण के उद्देश्य से गतिविधियों में लिप्त होने के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया है या दोषी नहीं ठहराया गया है; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, एक धार्मिक विश्वास से दूसरे में;

((घ) उसे दोषी नहीं पाया गया है या उसके धन का दुरुपयोग या दुरुपयोग नहीं किया गया है; (v) राजद्रोह के प्रचार में शामिल नहीं है या शामिल होने की संभावना नहीं है

या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक तरीकों की वकालत करना; (vi) विदेशी योगदान का उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए करने की संभावना नहीं है।

लाभ या इसे अवांछनीय उद्देश्यों के लिए मोड़ना;

((vii) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है;

(viii) विदेशी योगदान स्वीकार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है;

(ख) उप के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति

धारा (1) ने उस समाज के लाभ के लिए दायर अपनी चुनी हुई फाइल में उचित गतिविधि की है जिसके लिए विदेशी योगदान का उपयोग करने का प्रस्ताव है;

(ग) उप-धारा (1) के तहत पूर्व अनुमति देने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने समाज के लाभ के लिए एक उचित परियोजना तैयार की है जिसके लिए विदेशी योगदान का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

(घ) यदि व्यक्ति एक व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को न तो किसी कानून के तहत दोषी ठहराया गया है और न ही किसी अन्य कानून के तहत दोषी ठहराया गया है।

उसके खिलाफ लंबित किसी भी अपराध के लिए अभियोजन; [2022] 19 एस. सी. आर.

(ङ) यदि व्यक्ति एक व्यक्ति के अलावा अन्य है, तो इसके किसी भी निदेशक या पदाधिकारी को न तो किसी कानून के तहत दोषी ठहराया गया है और न ही उसके खिलाफ किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित है।

(च) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

((i) भारत की संप्रभुता और अखंडता; या ((ii) सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित

राज्य; या

((v) किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध; या (vi) धार्मिक, जातीय, सामाजिक, भाषाई, क्षेत्रीय समूहों, जातियों या समुदायों के बीच सद्भावः

(छ) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विदेशी अंशदान की स्वीकृति, -

((i) अपराध को उकसाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा; ((ii) किसी भी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा।

(5) जहां केंद्र सरकार प्रमाण पत्र देने से इनकार करती है या पूर्व अनुमति नहीं देती है, वह अपने आदेश में इसके कारणों को दर्ज करेगी और आवेदक को इसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगीः

बशर्ते कि केंद्र सरकार प्रमाण पत्र देने से इनकार करने या न देने के कारणों की जानकारी न दे

इस धारा के तहत आवेदक को उन मामलों में पूर्व अनुमति दी जाए जहां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई जानकारी या दस्तावेज या रिकॉर्ड या कागजात देने की कोई बाध्यता नहीं है।

(6) उप-धारा (3) के तहत दिया गया प्रमाण पत्र पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा और पूर्व अनुमति होगी -

जैसा भी मामला हो, विशिष्ट उद्देश्य या प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित विदेशी योगदान की विशिष्ट राशि के लिए वैध।

*** नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

17. अनुसूचित बैंक के माध्यम से विदेशी योगदान। - (1) प्रत्येक

जिस व्यक्ति को धारा 12 के तहत प्रमाण पत्र दिया गया है या पूर्व अनुमति दी गई है, उसे एकल में विदेशी योगदान प्राप्त होगा।

केवल बैंक की ऐसी शाखाओं में से एक के माध्यम से खाता जिसमें वह

प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अपने आवेदन में निर्दिष्ट कर सकते हैं:

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति प्राप्त विदेशी योगदान का उपयोग करने के लिए एक या अधिक बैंकों में एक या अधिक खाते खोल सकता है।

उनके द्वारा:

बशर्ते कि विदेशी योगदान के अलावा कोई अन्य निधि न हो

ऐसे खाते या खातों में प्राप्त या जमा किया जाएगा।

(2) विदेशी मुद्रा में प्रत्येक बैंक या अधिकृत व्यक्ति

ऐसे प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो निर्दिष्ट किया जाए

(क) विदेशी प्रेषण की निर्धारित राशि; (ख) स्रोत और तरीका जिसमें विदेशी प्रेषण

प्राप्त किया गया; और ((ग) अन्य विवरण,

ऐसे प्रपत्र और रीति से जो विहित की जाए।

19. जैसा कि पूर्व में बताया गया है, 2010 अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई, जैसा कि 2010 के वक्तव्य से स्पष्ट है।

सी. टी. एस. और कारण विधेयक सं. 123/2020 के साथ जोड़े गए, जो अंततः 2020 के संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया। वही इस प्रकार पढ़ता है: -

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 को विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था या

कंपनियों और विदेशी की स्वीकृति और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए किसी भी हानिकारक गतिविधि के लिए योगदान या विदेशी आतिथ्य

राष्ट्रीय हित और उससे संबंधित मामलों के लिए या

आनुषंगिक।

2. उक्त अधिनियम 1 मई को लागू हुआ है।

2011 और दो बार संशोधित किया गया है। पहला संशोधन था

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 236 द्वारा किया गया और दूसरा संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 220 द्वारा किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. विदेशी योगदान का वार्षिक प्रवाह लगभग

वर्ष 2010 और 2019 के बीच दोगुना हो गया, लेकिन कई

विदेशी योगदान के प्राप्तकर्ताओं ने इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया है जिसके लिए उन्हें पंजीकृत किया गया था या उक्त अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति दी गई थी। उनमें से कई को वार्षिक विवरणी जमा करने और उचित खातों के रखरखाव जैसे बुनियादी वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने में भी कमी पाई गई। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि केंद्र सरकार को प्रमाणपत्रों को रद्द करना पड़ा है।

2011 और 2019 के बीच की अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों सहित 19,000 से अधिक प्राप्तकर्ता संगठनों का पंजीकरण। ऐसे दर्जनों गैर-लोगों के खिलाफ आपराधिक जांच भी शुरू करनी पड़ी

सरकारी संगठन जो प्रत्यक्ष रूप से विदेशी योगदान के दुरुपयोग या दुरुपयोग में लिप्त थे।

4. इसलिए, इसे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है

अनुपालन तंत्र को मजबूत करके, हर साल हजारों करोड़ रुपये के विदेशी योगदान की प्राप्ति और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाकर और सुविधा प्रदान करके उक्त अधिनियम के प्रावधान

वास्तविक गैर-सरकारी संगठन या संघ जो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। 5. विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान करना चाहता है -

(क) धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) का संशोधन "लोक सेवक" को भी इसके दायरे में शामिल करने के लिए, यह प्रावधान करने के लिए कि कोई भी विदेशी योगदान किसी भी सार्वजनिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सेवक;

(ख) किसी भी संघ/व्यक्ति को विदेशी योगदान के किसी भी हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए धारा 7 का संशोधन;

(ग) प्रशासनिक खर्चों के भुगतान की सीमा को मौजूदा खर्चों से कम करने के लिए धारा 8 की उप-धारा (1) में संशोधन।

" पचास प्रतिशत "। "बीस प्रतिशत" तक। ;

(घ) केंद्र को सशक्त बनाने के लिए एक नई धारा 12 ए को शामिल करना।

सरकार को आधार संख्या आदि की आवश्यकता होगी

पहचान दस्तावेज; नोएल हार्पर और ओआरएस।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जिसके तहत प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति दी गई है धारा 12 में केवल विदेशी अंशदान प्राप्त होगा

"एफ. सी. आर. ए. खाता" के रूप में नामित खाता जो होगा

भारतीय स्टेट बैंक की ऐसी शाखा में उनके द्वारा खोला गया

नई दिल्ली, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा,

विनिर्दिष्ट करें और उससे संबंधित अन्य परिणामी मामलों के लिए।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(जोर दिया गया)

जब उक्त प्रावधानों में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक था

माना जाता है, सदस्यों ने मात्रा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की

विदेशी योगदान का प्रवाह। यह ध्यान दिया गया कि गैर सरकारी संगठनों नेएड, जो बदले में विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं और धन को अपनी इच्छा के उत्तराधिकारी के रूप में खर्च करते हैं और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे देश के तंत्र और संप्रभुता को खतरा है।

20. 2020 अधिनियम के परिणामस्वरूप, प्रासंगिक प्रावधानों में शामिल हैं -

ईवली अंतःस्थापित खंड इस प्रकार हैंः

-

" 7. विदेशी योगदान को अन्य देशों में स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध

व्यक्ति। - कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो -

(क) पंजीकृत है और उसे प्रमाण पत्र दिया गया है या उसने पूर्व में प्राप्त किया है।

इस अधिनियम के तहत अनुमति; और

(ख) कोई विदेशी योगदान प्राप्त करता है,

ऐसा विदेशी अंशदान किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करेगा।

***

12. पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करना। - (1) द्वारा एक आवेदन

धारा 11 में प्रमाण पत्र देने या देने के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति केंद्र सरकार को इस संबंध में पूर्व अनुमति दी जाएगी

प्रपत्र और रीति और उस शुल्क के साथ, जो विहित किया जाए।

(1 ए) प्रत्येक व्यक्ति जो उप के तहत आवेदन करता है

धारा (1) को [2022] 19 एस. सी. आर. में "एफ. सी. आर. ए. खाता" खोलने की आवश्यकता होगी।

धारा 17 में निर्दिष्ट तरीका और उसके आवेदन में ऐसे खाते के विवरण का उल्लेख करें।

(2) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार, एक आदेश द्वारा, यदि आवेदन में नहीं है

निर्धारित प्रपत्र या उस प्रपत्र में निर्दिष्ट कोई भी विवरण नहीं है, आवेदन को अस्वीकार कर दें।

(3) यदि प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर या पूर्व अनुमति देने पर और ऐसी जांच करने के बाद जैसे कि केंद्रीय सरकार उचित समझती है, यह राय है कि शर्तें

उप-धारा (4) में विनिर्दिष्ट संतुष्ट हैं, यह सामान्य रूप से उप-धारा के तहत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर संतुष्ट हो सकता है।

धारा (1), ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत करती है और उसे एक प्रमाण पत्र प्रदान करती है या उसे पूर्व अनुमति देती है, जैसा भी मामला हो, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित किए जाएं: बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर एक प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करती है या पूर्व में नहीं देती है

अनुमति देने पर, यह आवेदक को इसके कारणों से अवगत कराएगा:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति अनुदान के लिए पात्र नहीं होगा

प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति देना, यदि उसका प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया है और प्रमाण पत्र का ऐसा निलंबन आवेदन करने की तारीख से जारी है। (4) उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी, अर्थात्: —

(क) उप-धारा (1) के तहत पंजीकरण या पूर्व अनुमति देने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति,

((ग) किसी भी निर्दिष्ट जिले या देश के किसी अन्य हिस्से में सांप्रदायिक तनाव या वैमनस्य पैदा करने के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया है या दोषी नहीं ठहराया गया है; ((iv) दोषी या भटकाने या गलत उपयोग नहीं पाया गया है।

इसकी निधियों में से; नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

(v) राजद्रोह के प्रचार में शामिल नहीं है या शामिल होने की संभावना नहीं है

या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक तरीकों की वकालत करना;

((vii) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है; (viii) विदेशी स्वीकार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है

योगदान;

(बी) उप के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति

(ङ) यदि व्यक्ति एक व्यक्ति के अलावा अन्य है, तो इसके किसी भी निदेशक या पदाधिकारी को न तो किसी कानून के तहत दोषी ठहराया गया है और न ही उसके खिलाफ किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन लंबित है। (च) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा विदेशी योगदान की स्वीकृति से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

((ग) लोकहित; या ((iv) किसी भी विधानमंडल के लिए चुनाव की स्वतंत्रता या निष्पक्षता; या

((v) किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध; या

(vi) धार्मिक, जातीय, सामाजिक, भाषाई, क्षेत्रीय के बीच सद्भाव

समूह, जाति या समुदाय; [2022] 19 एस. सी. आर.

(छ) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विदेशी अंशदान की स्वीकृति, -

((i) अपराध को उकसाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा; ((ii) किसी भी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा।

(6) उप-धारा (3) के तहत दिया गया प्रमाण पत्र पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा और पूर्व अनुमति होगी - जैसा भी मामला हो, विशिष्ट उद्देश्य या प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित विदेशी योगदान की विशिष्ट राशि के लिए वैध।

***

12 ए. आधार की आवश्यकता के लिए केंद्र सरकार की शक्ति

पहचान दस्तावेज के रूप में संख्या आदि। - इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार यह अपेक्षा कर सकती है कि कोई भी व्यक्ति जो धारा 11 के तहत पूर्व अनुमति या पूर्व अनुमोदन चाहता है, या इसके तहत प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन करता है।

धारा 12, या, जैसा भी मामला हो, धारा 16 के तहत प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए, पहचान दस्तावेज के रूप में, इसके सभी पदाधिकारियों या निदेशकों या अन्य प्रमुख लोगों की आधार संख्या प्रदान करेगा।

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के तहत जारी किए गए पदाधिकारी, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए, या किसी विदेशी के मामले में पासपोर्ट या प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड की एक प्रति।

***

17. अनुसूचित बैंक के माध्यम से विदेशी योगदान। - (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 12 के तहत प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति दी गई है, उसे केवल एक खाते में विदेशी योगदान प्राप्त होगा।

बैंक द्वारा "एफ. सी. आर. ए. खाता" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिसे नोएल हार्पर एंड ओ. आर. एस. खोला जाएगा।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

में विदेशी योगदान के प्रेषण के उद्देश्य से उसके द्वारा

नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की ऐसी शाखा, जैसे केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती हैः

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति दूसरा "एफ. सी. आर. ए". भी खोल सकता है।

अपनी पसंद के किसी भी अनुसूचित बैंक में "खाता"

विदेशी योगदान को रखने या उपयोग करने का उद्देश्य

नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा में उनके "एफसीआरए खाते" से प्राप्त किया गया थाः

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद के एक या अधिक अनुसूचित बैंकों में एक या अधिक खाते भी खोल सकता है - जिसे वह प्राप्त किसी भी विदेशी योगदान का उपयोग करने के लिए हस्तांतरित कर सकता है।

उसके द्वारा निर्दिष्ट शाखा में अपने "एफ. सी. आर. ए. खाते" में

भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली में या उसके द्वारा किसी अन्य एफ. सी. आर. ए. में रखा गया है।

अपनी पसंद के अनुसूचित बैंक में खाताः

बशर्ते कि विदेशी योगदान के अलावा कोई अन्य निधि न हो

ऐसे किसी खाते में प्राप्त या जमा किया जाएगा।

(2) भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा नई दिल्ली में

दिल्ली या अनुसूचित बैंक की शाखा जहाँ व्यक्ति उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति ने अपना विदेशी योगदान खाता खोला है या विदेशी मुद्रा में अधिकृत व्यक्ति रिपोर्ट करेगा।

ऐसे प्राधिकारी को जो विनिर्दिष्ट किया जाए,

(क) विदेशी प्रेषण की निर्धारित राशि;

(ख) वह स्रोत और तरीका जिसमें विदेशी प्रेषण प्राप्त किया गया था; और

((ग) अन्य विवरण,

ऐसे प्रपत्र और रीति से जो विहित की जाए।

21. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संस्थान के भाग III और विशेष रूप से अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं हैं। ये उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं, जैसा कि अनुच्छेद 19 के खंड (2) 6 में बताया गया है। क्योंकि, यह राज्य के लिए एक कानून बनाने के लिए खुला है, ताकि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या

अदालत की अवमानना के संबंध में [अनुच्छेद (ए) के तहत] ऐसे अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकें।

अनुच्छेद 19 (1) (सी) के मामले में-[2022] 19 एस. सी. आर. के हित में।

भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता; और अनुच्छेद 19 (1) (जी) के मामले में-आम जनता के हित में। उत्तरदाताओं द्वारा यह उचित रूप से आग्रह किया जाता है कि जब भी संशोधित प्रावधानों को चुनौती दी जाए, तो जांच का दायरा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह होना चाहिए कि क्या यह मूल अधिनियम के अनुरूप है, मूल अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करता है और अन्यथा न्यायसंगत, तर्कसंगत और उचित है। इसके अलावा, किसी में भी कोई मौलिक अधिकार निहित नहीं है विदेशी योगदान (दान) या विदेशी मुद्रा प्राप्त करना; और यह कि मूल अधिनियम और विवादित संशोधनों का उद्देश्य केवल एक नियामक ढांचा प्रदान करना है, न कि पूर्ण निषेध।

22. निर्विवाद रूप से, एक संप्रभु लोकतांत्रिक के मूल्यों पर विदेशी योगदान के व्यापक प्रवाह के प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता

संसद। इसके लिए यह विधेयक 1973 में संसद में पेश किया गया था। 1976 के अधिनियम के अधिनियमन के पीछे विधायी इरादा आज भी अपरिवर्तित है-नहीं, यह अब अधिक प्रासंगिक हो गया है। इसमें, 1976 के अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद प्राप्त अनुभव से पता चला कि विदेशी दान के प्रवाह में वृद्धि के कारण नकारात्मक प्रभाव को कम करने और एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों को बनाए रखने के लिए अधिक सख्त व्यवस्था की आवश्यकता थी, जिसके लिए 2010 का अधिनियम लागू किया गया था। इसमें, 1976 के अधिनियम में 1985 में किया गया संशोधन भी लागू कानून की कमियों से निपटने, विदेशी योगदान के प्रवाह को विनियमित करने और निरंतर मध्यम उपयोग के लिए अपर्याप्त पाया गया। इस कारण से, संसद ने अंततः इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए एक नया कानून (2010 अधिनियम) लागू करके नियामक व्यवस्था को बदलने का फैसला किया। 23. हालांकि, समय के साथ, यह महसूस किया गया कि 2010 के अधिनियम में उल्लिखित व्यवस्था भी वांछित परिणाम नहीं दे रही थी। इसने संसद को 2010 के अधिनियम (2020 अधिनियम के अनुसार) में संशोधन करने के लिए प्रेरित किया ताकि मूल अधिनियम के उद्देश्य और इरादे को कम करने के लिए इसे और अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके-न केवल निर्धारित तरीके से विदेशी योगदान की स्वीकृति के तौर-तरीकों के संबंध में बल्कि

विदेशी योगदान के प्राप्तकर्ता के लिए यह अनिवार्य बनाना कि वह उसी "स्वयं" का उपयोग निर्दिष्ट या निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए करे जिसके लिए इसकी अनुमति दी गई थी। 24. दार्शनिक रूप से, विदेशी योगदान (दान) औषधीय गुणों से भरपूर मादक पदार्थ को संतुष्ट करने के समान है और यह अमृत की तरह काम कर सकता है। हालाँकि, यह एक दवा के रूप में तब तक काम करता है जब तक इसका सेवन नोएल हार्पर और ओआरएस के रूप में किया जाता है।

(उपयोग किया जाता है) मध्यम और विवेकपूर्ण रूप से, मानवता के बड़े कारण की सेवा के लिए। अन्यथा, इस कलाकृति में विषाक्त पदार्थ (शक्तिशाली उपकरण) के कारण पूरे देश में दर्द, पीड़ा और उथल-पुथल पैदा करने की क्षमता है। इसमें, विदेशी योगदान के स्वतंत्र और अनियंत्रित प्रवाह में राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता, इसकी सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने और आम जनता के हितों के खिलाफ काम करने की क्षमता है। 25. 2010 के अधिनियम के संदर्भ में दृढ़ शासन के बावजूद, अतीत में विदेशी योगदान के दुरुपयोग और दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए,

संसद ने अब अपने विवेक से (2020 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से) सभी के लिए केवल एक माध्यम के माध्यम से विदेशी योगदान को स्वीकार करना और उसी "स्वयं" का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए करना अनिवार्य बनाकर संयम का मार्ग अपनाया है जिनके लिए अनुमति दी गई है। निर्विवाद रूप से,

26. 2020 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण यह स्पष्ट करता है कि विदेशी मुद्रा का वार्षिक प्रवाह वर्ष 2010 और 2019 के बीच योगदान लगभग दोगुना हो गया था और विदेशी योगदान के कई प्राप्तकर्ताओं ने इसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया था जिनके लिए उन्हें पंजीकृत किया गया था या अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, कई प्राप्तकर्ता वैधानिक अनुपालनों का पालन करने और उन्हें पूरा करने में भी विफल रहे-जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान संबंधित व्यक्तियों/संगठनों के 19,000 प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए, जिसमें विदेशी योगदान के पूरी तरह से दुरुपयोग या दुरुपयोग से संबंधित आपराधिक जांच शुरू करना शामिल है। यह तेजी से बताया जा रहा था कि कुछ गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से उनके द्वारा स्वीकार किए गए विदेशी योगदान के मार्ग में शामिल थे और उसी का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं कर रहे थे जिनके लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इस तरह के हस्तांतरण ने सीमा से लगे कई परिचालन मुद्दे पैदा किए

प्रधान अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कदाचार। क्योंकि, विदेशी योगदान के मार्ग-परिवर्तन में इसे गतिविधि के दूसरे क्षेत्र में मोड़ना शामिल है, जिसमें इसका दुरुपयोग भी शामिल है। लगातार हस्तांतरण और धन के एक स्तरित निशान के निर्माण के मामले सामने आए थे, जिससे [2022] 19 एस. सी. आर. का पता लगाना मुश्किल हो गया था।

योगदान एक विदेशी स्रोत से कथित रूप से निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए स्वीकार किया गया दान है। और मानवता के कारण की सेवा करने के लिए। 2010 के अधिनियम की धारा 2 (1) (एच) में अभिव्यक्ति "विदेशी योगदान" को दान के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी भी विदेशी द्वारा किए गए वितरण या हस्तांतरण के रूप में हो सकता है।

किसी भी वस्तु, मुद्रा, प्रतिभूति आदि का स्रोत। 28. यह एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए इस आधार पर विदेशी दान की स्वीकृति को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए खुला है कि यह

राष्ट्र की संवैधानिक नैतिकता, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि राष्ट्र अपने मामलों और अपने नागरिकों की जरूरतों की देखभाल करने में असमर्थ है। तीसरी दुनिया के देश विदेशी दान का स्वागत कर सकते हैं, लेकिन यह एक के लिए खुला है राष्ट्र, जो आत्मनिर्भर होने के लिए प्रतिबद्ध और स्थायी है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में विभिन्न रूप से सक्षम है, विदेशी स्रोत से विदेशी योगदान (दान) के प्रवाह/स्वीकृति के पूर्ण निषेध की नीति का विकल्प चुनने के लिए। संसद द्वारा 1976 के अधिनियम से संबंधित विधेयक पर विचार करते समय यह पहला विकल्प था।

29. जब 1976 का अधिनियम लागू किया गया था, तो संसद ने तीन विकल्पों पर चर्चा की थी। पहला पूर्ण निषेध का था; दूसरा

सरकार की पूर्व अनुमति के अधीन स्वीकृति होना; और

तीसरा-सरकार को दी जा रही सूचना के अधीन स्वीकृति। संसद ने दूसरा विकल्प चुना और वह आज भी 2010 के अधिनियम के रूप में जारी है, जैसा कि 2020 में संशोधित किया गया था। साथ ही, विदेशी स्रोत से विदेशी योगदान के प्रवाह और इसके उपयोग को विनियमित करने के लिए निर्धारित व्यवस्था के कार्यान्वयन के बाद प्राप्त अनुभव से, इसे और अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। 2020 के अधिनियम में किए गए संशोधन, उस अनुभव का परिणाम हैं

और संसद ने प्रधान अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था और आम जनता के हित में शासन की शुरुआत की, जिसमें विदेशी स्रोतों से विदेशी योगदान की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, केवल नोएल हार्पर और ओआरएस।

एक चैनल के माध्यम से और प्राप्तकर्ता द्वारा स्वयं उन गतिविधियों के लिए इसका उपयोग करना जिनके लिए उसे उस संबंध में पूर्व अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुमति निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों के लिए सामान्य अनुमति या किसी विशेष कार्यक्रम के संबंध में विशेष अनुमति हो सकती है।

इस संबंध में गतिविधि। किसी भी मामले में, इसे केंद्र से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के रूप में पूर्व अनुमति लेनी होगी।

सरकार या ऐसे व्यक्ति द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना जो इस तरह से पंजीकृत नहीं है।

30. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि विधायी इतिहास पर विचार करते हुए

और जैसा कि अधिकारियों द्वारा देखा गया है कि विदेशी योगदान की उच्च मात्रा और बड़े पैमाने पर अनुचित उपयोग और गबन के कारण राष्ट्र की राजनीति पर बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए संसद को समय-समय पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, और संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रमुख अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी धन निर्धारित तरीके से स्वीकार किया जाता है और प्राप्तकर्ता द्वारा स्वयं उपयोग किया जाता है और अधिक सख्त अनुपालन तंत्र बनाने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया गया है, उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए इसे प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

उस व्यक्ति द्वारा, संशोधित प्रावधानों को उचित प्रतिबंध को पारित करना चाहिए। निश्चित रूप से, इस तरह के परिवर्तन को अतार्किक के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब यह बिना किसी भेदभाव के व्यक्तियों के एक वर्ग पर समान रूप से लागू होता है। हमें खुद को रुस्तम कावासजी कूपर 1 24 और आर. के. गर्ग 1 25 में इस न्यायालय के कथन को याद दिलाने की आवश्यकता है-कि यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों या आर्थिक नीतियों के सापेक्ष गुणों पर विचार करे, जिसमें यह भी शामिल है कि एक आर्थिक कानून कठोरता, असमानताओं, अनिश्चितताओं से परेशान हो सकता है या दुरुपयोग की संभावना इसे खत्म करने का आधार नहीं हो सकती है।

31. इसका पालन करना चाहिए कि विदेशी योगदान की स्वीकृति अन्यथा कानून द्वारा निषिद्ध है और इस तरह के प्रतिबंध के उल्लंघन को 2010 अधिनियम के अध्याय VIII के तहत अपराध बनाया गया है। कुछ भी नहीं रोकता है

देश के भीतर योगदान बढ़ाने में धर्मार्थ कार्य करने में रुचि रखने वाले संगठन। इस मायने में, 2010 का अधिनियम विदेशी स्रोत से विदेशी योगदान स्वीकार करने वाले व्यक्तियों के एक वर्ग से संबंधित है। ऐसे सभी व्यक्तियों के साथ समान और बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाता है।

124 फुटनोट पर ऊपर No.48 125 फुटनोट No.49 [2022] 19 एस. सी. आर. में ऊपर दिया गया है।

2010 के संशोधित अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

32. अब हम प्रावधानों की रूपरेखा को व्यापक रूप से चित्रित कर सकते हैं।

इससे पहले कि हम 2020 अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के लिए विशिष्ट चुनौती की जांच करने के लिए आगे बढ़ें। 2010 के अधिनियम का अध्याय I अधिनियम के संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, अनुप्रयोग और प्रारंभ के साथ-साथ उसमें निर्दिष्ट कुछ अभिव्यक्तियों की परिभाषाओं से संबंधित है।

33. दूसरा अध्याय विदेशी योगदान और विदेशी निवेश के विनियमन के बारे में है।

आतिथ्य। धारा 3 1 26 विदेशी स्वीकार करने के निषेध से संबंधित है।

126 3. विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर प्रतिबंध। (1) कोई भी विदेशी योगदान किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(क) चुनाव के लिए उम्मीदवार;

(ख) संवाददाता, स्तंभकार, कार्टूनिस्ट, संपादक, मालिक, मुद्रक या प्रकाशक

एक पंजीकृत समाचार पत्र;
(ग) लोक सेवक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी या किसी निगम या सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाले किसी अन्य निकाय के कर्मचारी;

((घ) किसी भी विधानमंडल का सदस्य;
(ई) राजनीतिक दल या उसके पदाधिकारी;

(च) केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट राजनीतिक प्रकृति का संगठन;

(छ) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑडियो समाचार या ऑडियो विजुअल समाचार या वर्तमान मामलों के कार्यक्रमों के उत्पादन या प्रसारण में लगी संस्था या संगठन। मोड, या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (आर) में परिभाषित कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप या कोई अन्य

जन संचार का तरीका;
(ज) खंड (छ) में निर्दिष्ट संवाददाता या स्तंभकार, कार्टूनिस्ट, संपादक, संघ या कंपनी का मालिक।

स्पष्टीकरण। 1 - खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, "लोक सेवक" से भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 में परिभाषित एक लोक सेवक अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2. - खंड (ग) और धारा 6 में, "निगम" पद का अर्थ है सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला निगम और इसमें सरकार भी शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में परिभाषित कंपनी।

(2) ((क) भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति और भारत के बाहर रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार नहीं करेगा, या किसी देश से कोई मुद्रा प्राप्त करने या प्राप्त करने के लिए सहमत नहीं होगा।

विदेशी स्रोत, किसी राजनीतिक दल की ओर से, या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, या दोनों।

(ख) भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, कोई भी मुद्रा, जो किसी विदेशी स्रोत से स्वीकार की गई हो, किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा, यदि वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसा अन्य व्यक्ति किसी राजनीतिक दल या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या दोनों को ऐसी मुद्रा देने का इरादा रखता है या उसकी संभावना है। (ग) भारत के बाहर रहने वाला भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी स्रोत से स्वीकार की गई कोई भी मुद्रा, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, भारत को नहीं देगा।

((i) कोई राजनीतिक दल या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, या दोनों; या (ii) कोई अन्य व्यक्ति, यदि वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसा अन्य व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को ऐसी मुद्रा देने का इरादा रखता है, या इसकी संभावना है, या

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को, या दोनों को।

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा योगदान। धारा 4 1 27 यह घोषणा करने के लिए है कि धारा 3 में कुछ भी किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकृति पर लागू नहीं होगा।

उस धारा में उपबंधित मामलों के संबंध में धारा 10 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी विदेशी योगदान की वह धारा, जिसमें ऐसा योगदान उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। धारा 5 राजनीतिक प्रकृति के संगठन को अधिसूचित करने की प्रक्रिया के बारे में है। धारा 6 विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति पर प्रतिबंध से संबंधित है। धारा 7 अन्य व्यक्तियों को विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर प्रतिबंध के बारे में है। धारा 8128 प्रतिबंध के बारे में है।

(3) धारा 9 में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की ओर से विदेशी स्रोत से कोई भी मुद्रा, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी मुद्रा नहीं देगा।

((क) उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जिसके लिए वह प्राप्त किया गया था, या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति को, यदि वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का उचित कारण है कि ऐसा अन्य व्यक्ति ऐसी मुद्रा को किसी अन्य व्यक्ति को वितरित करने का इरादा रखता है या करने की संभावना है।

वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसी मुद्रा प्राप्त की गई थी। 127 4. जिन व्यक्तियों पर धारा 3 लागू नहीं होगी। धारा 3 में निहित कुछ भी उस धारा में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी विदेशी योगदान की स्वीकृति पर लागू नहीं होगा, जहां ऐसा योगदान उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, धारा 10 के प्रावधानों के अधीन,

-

(क) उसके या उसके अधीन काम करने वाले व्यक्तियों के किसी समूह के देय वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक के रूप में, किसी विदेशी स्रोत से या ऐसे विदेशी स्रोत द्वारा भारत में किए गए व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में भुगतान के रूप में; या (ख) भुगतान के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, या भारत के बाहर उसके द्वारा किए गए व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में; या

(ग) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के साथ ऐसे विदेशी स्रोत द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन के संबंध में विदेशी स्रोत के एजेंट के रूप में; या

(घ) किसी भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में उन्हें दिए गए उपहार या भेंट के माध्यम से, बशर्ते कि ऐसा उपहार या उपहार स्वीकृति के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया हो या

इस तरह के उपहार या प्रस्तुति को बनाए रखना; या
((ङ) अपने रिश्तेदार से; या

(च) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत किसी भी आधिकारिक चैनल, डाकघर, या विदेशी मुद्रा में किसी भी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त प्रेषण के माध्यम से; या

(छ) किसी भी छात्रवृत्ति, वजीफे या समान प्रकृति के किसी भी भुगतान के माध्यम से: बशर्ते कि धारा 3 के तहत निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्राप्त किसी भी विदेशी योगदान के मामले में, ऐसा योगदान स्वीकार किया गया माना जाएगा।

धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन।

128 8. प्रशासनिक उद्देश्य के लिए विदेशी योगदान का उपयोग करने पर प्रतिबंध। (1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे पंजीकृत किया गया है और इस अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र दिया गया है या पूर्व अनुमति दी गई है और जो कोई विदेशी योगदान प्राप्त करता है, -

(क) ऐसे अंशदान का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए करेगा जिनके लिए -

योगदान प्राप्त हुआ है:

बशर्ते कि कोई विदेशी योगदान या उससे उत्पन्न होने वाली कोई आय

सट्टा व्यवसाय के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा:

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान का उपयोग करना। धारा 9 1 29 विदेशी योगदान की प्राप्ति और उससे जुड़े मामलों को प्रतिबंधित करने की केंद्र सरकार की शक्ति के बारे में बात करती है। धारा 10130 के बारे में है

बशर्ते कि केंद्र सरकार, नियमों द्वारा, उन गतिविधियों या व्यवसाय को निर्दिष्ट करेगी जिन्हें सट्टा व्यवसाय के रूप में समझा जाएगा। इस खंड का उद्देश्य;

(2) केंद्र सरकार उन तत्वों को निर्धारित कर सकती है जिन्हें प्रशासनिक खर्चों में शामिल किया जाएगा और जिस तरीके से प्रशासनिक खर्चों को किया जाएगा। उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यय की गणना की जाएगी।

129 9. कुछ मामलों में विदेशी अंशदान आदि की प्राप्ति को प्रतिबंधित करने की केंद्र सरकार की शक्ति। केंद्र सरकार कर सकती है (क) धारा 3 में विनिर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति या संगठन को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है;

(ख) किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से, जो धारा 6 में निर्दिष्ट नहीं है, किसी भी विदेशी को स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की अपेक्षा करता है।

आतिथ्य;

(ग) धारा 11 में विनिर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग द्वारा प्राप्त किसी विदेशी योगदान की राशि के बारे में, और वह स्रोत जिससे और जिस तरीके से ऐसा योगदान प्राप्त किया गया था और वह उद्देश्य जिसके लिए और जिस तरीके से ऐसे विदेशी योगदान का उपयोग किया गया था, के बारे में ऐसे समय के भीतर और उस तरीके से सूचना देने की अपेक्षा करता है जो निर्धारित की जाए। (घ) धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से पूर्व प्राप्त करने की अपेक्षा करता है।

किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति; (ई) किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से, जो धारा 6 में निर्दिष्ट नहीं है, किसी भी विदेशी आतिथ्य की प्राप्ति के बारे में, उस स्रोत और तरीके से, जिससे ऐसा आतिथ्य प्राप्त किया गया था, उस समय के भीतर और उस तरीके से सूचना देने की अपेक्षा करता है जो निर्धारित की जाए:

बशर्ते कि ऐसा कोई निषेध या आवश्यकता तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट न हो कि इस तरह के विदेशी योगदान की स्वीकृति

व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जैसा भी मामला हो, या ऐसे व्यक्ति द्वारा विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

((i) भारत की संप्रभुता और अखंडता; या

((ग) किसी भी विधानमंडल के लिए चुनाव की स्वतंत्रता या निष्पक्षता; या ((iv) किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध; या

((v) धार्मिक, जातीय, सामाजिक, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों, जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव।

130 10. अधिनियम के उल्लंघन में प्राप्त मुद्रा के भुगतान को प्रतिबंधित करने की शक्ति। जहां केंद्र सरकार को ऐसी जांच करने के बाद, जो उचित लगे, संतोष होता है कि किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में कोई वस्तु या मुद्रा या नोएल हार्पर और ओआरएस है या उसका नियंत्रण है।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिनियम के उल्लंघन में प्राप्त मुद्रा के भुगतान को प्रतिबंधित करने की केंद्र सरकार की शक्ति।

34. अध्याय III के प्रावधान इस विषय से संबंधित हैं -

पंजीकरण। धारा 11131 केंद्र सरकार के साथ कुछ व्यक्तियों के पंजीकरण के बारे में है। धारा 12 पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के बारे में है।

प्रतिभूति, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया है

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर, वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को केंद्र सरकार के लिखित आदेशों के अनुसार छोड़कर किसी भी तरह से ऐसी वस्तु या मुद्रा या प्रतिभूति का भुगतान करने, वितरित करने, स्थानांतरित करने या अन्यथा व्यवहार करने से प्रतिबंधित कर सकता है और ऐसे आदेश की एक प्रति इस तरह से निषिद्ध व्यक्ति को निर्धारित तरीके से दी जाएगी, और उस पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 7 की उप-धाराओं (2), (3), (4) और (5) के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसी वस्तु या मुद्रा या प्रतिभूति पर या उसके संबंध में लागू होंगे और उक्त उप-धाराओं में धन, प्रतिभूतियों या क्रेडिट के संदर्भ लागू होंगे।

131 11. केंद्र सरकार के साथ कुछ व्यक्तियों का पंजीकरण। — (1) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, कोई भी व्यक्ति जिसका एक निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम है, विदेशी योगदान तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति केंद्र सरकार से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता हैः

बशर्ते कि केंद्र सरकार के तहत पंजीकृत कोई भी संघ

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह उस उप-धारा के तहत केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है, तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कोई विदेशी योगदान स्वीकार कर सकता है और ऐसी पूर्व अनुमति उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए मान्य होगी जिसके लिए वह प्राप्त की जाती है और उस विशिष्ट उद्देश्य से जिसके लिए वह प्राप्त की जाती है। स्रोतः

बशर्ते कि केंद्र सरकार, किसी भी जानकारी या रिपोर्ट के आधार पर, और एक संक्षिप्त जांच करने के बाद, यह मानने का कारण है कि एक व्यक्ति जिसे पूर्व अनुमति दी गई है, उसने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है, वह कोई और जांच लंबित रहने तक, यह निर्देश दे सकती है कि ऐसा व्यक्ति अप्रयुक्त विदेशी योगदान का उपयोग नहीं करेगा या विदेशी योगदान का शेष हिस्सा प्राप्त नहीं करेगा जो केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना प्राप्त नहीं हुआ है या, जैसा भी मामला हो, कोई अतिरिक्त विदेशी योगदान प्राप्त नहीं करेगाः

बशर्ते कि यदि उप-धारा (1) या इस उप-धारा में निर्दिष्ट व्यक्ति को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन का दोषी पाया गया है या

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) के अनुसार, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, विदेशी अंशदान की अप्रयुक्त या अप्राप्त राशि का उपयोग या प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है।

(i) वह व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो विदेशी योगदान स्वीकार करने से पहले इसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा; या [2022] 19 एस. सी. आर.

और उसके लिए प्रक्रिया। धारा 12 ए को 2020 के अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है जो आधार की आवश्यकता के लिए केंद्र सरकार की शक्ति प्रदान करता है।

संख्या आदि, पंजीकरण के समय या प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में। धारा 13 उन स्थितियों से संबंधित है जहां पंजीकरण प्रमाण पत्र को निलंबित किया जा सकता है और धारा 14 1 32 ऐसे प्रमाण पत्र को रद्द करने के बारे में है। धारा 15 विदेश के प्रबंधन के मुद्दों से संबंधित है।

व्यक्ति का योगदान जिसका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है और धारा 16 1 33 पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया के बारे में है।

((ख) वह क्षेत्र या क्षेत्र जिसमें विदेशी योगदान स्वीकार किया जाएगा और

केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से उपयोग किया गया; या

((ग) वह उद्देश्य या उद्देश्य जिसके लिए विदेशी योगदान का उपयोग केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से किया जाएगा; या
((iv) वह स्रोत या स्रोत जिनसे विदेशी योगदान केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से स्वीकार किया जाएगा।

132 14. प्रमाणपत्र रद्द करना। (1) केंद्र सरकार, यदि वह ऐसी जांच करने के बाद संतुष्ट हो जाती है, जो वह किसी आदेश द्वारा उचित समझे, तो प्रमाण पत्र को रद्द कर सकती है यदि (ए) प्रमाण पत्र धारक ने पंजीकरण या नवीनीकरण के अनुदान के लिए आवेदन में या उसके संबंध में एक बयान दिया है, जो गलत या गलत है; या

(बी) प्रमाण पत्र के धारक ने किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है

प्रमाणपत्र या उसका नवीकरण; या

(ग) केंद्र सरकार की राय में, सार्वजनिक हित में प्रमाण पत्र को रद्द करना आवश्यक है; या
(घ) प्रमाणपत्र धारक ने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है या

इसके तहत बनाए गए नियम या आदेश; या

(ङ) यदि प्रमाणपत्र धारक लगातार दो वर्षों से समाज के लाभ के लिए अपने चुने हुए क्षेत्र में किसी भी उचित गतिविधि में संलग्न नहीं है या निष्क्रिय हो गया है।

(2) इस धारा के तहत प्रमाण पत्र को रद्द करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसका प्रमाण पत्र इस धारा के तहत रद्द कर दिया गया है, वह ऐसे प्रमाण पत्र के रद्द होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पंजीकरण या अनुदान या पूर्व अनुमति के लिए पात्र नहीं होगा।

133 16. प्रमाणपत्र का नवीनीकरण। — (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 12 के तहत प्रमाण पत्र दिया गया है, उसके पास प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने से पहले छह महीने के भीतर इस तरह के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण होगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार, प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने से पहले, नोएल हार्पर और ओआरएस कर सकती है।

ऐसी जाँच, जो वह उचित समझे, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए करे कि ऐसे व्यक्ति ने धारा 12 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है। (2) प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन केंद्र सरकार को ऐसे प्रपत्र और तरीके से और उस शुल्क के साथ किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए।

(3) केंद्र सरकार प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करेगी, जो ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी जो वह उचित समझे और पांच साल की अवधि के लिए नवीनीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगीः

35. हम धारा 17 (अध्याय IV में) को छोड़कर, 2010 के अधिनियम के अन्य अध्यायों, अर्थात् अध्याय IV से IX, से इतने चिंतित नहीं हैं।

जो अनुसूचित बैंक के माध्यम से विदेशी योगदान से संबंधित है। अध्याय IV के अन्य प्रावधान खातों, सूचना, लेखा परीक्षा और परिसंपत्तियों के निपटान आदि के बारे में हैं।

36. जैसा कि ऊपर कहा गया है, 2010 का अधिनियम धारा 2 (1) (एच) में परिभाषित विदेशी योगदान को विनियमित करने के लिए है। चूंकि याचिकाकर्ता निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के इच्छुक हैं।

और ऐसा करने के लिए विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए, उन्हें धारा 11 के संदर्भ में केंद्र सरकार से पंजीकरण का प्रमाण पत्र लेना था। पंजीकरण का प्रमाण पत्र निश्चित गतिविधियों को संदर्भित करता है जो विदेशी योगदान के उपयोग के लिए संबंधित संगठन/न्यास द्वारा किया गया कार्य। पंजीकरण का ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने या उसके नवीनीकरण के लिए रुचि दिखाने के बाद, संगठन के लिए औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें धारा 17 या धारा 12 ए के साथ पठित धारा 7,12 (1 ए) में निर्दिष्ट किया गया है। हम इस पहलू पर थोड़ी देर बाद विस्तार से चर्चा करेंगे।

37. पंजीकरण के लिए औपचारिकताओं का पालन करने के अलावा

धारा 11, ऐसे प्रमाण पत्र के अनुदान के बाद विदेशी स्रोत से विदेशी योगदान की प्राप्ति/स्वीकृति में रुचि रखने वाले व्यक्ति पंजीकरण, केवल एफ. सी. आर. ए. खाते के माध्यम से ऐसा करने के लिए बाध्य हैं जिसे अनुदान के लिए एक पूर्व शर्त होने के कारण धारा 17 के तहत खोला जाना आवश्यक है।

2010 के अधिनियम की धारा 17 के साथ पठित धारा 12 (1 ए) के संदर्भ में पंजीकरण या उसके नवीकरण का प्रमाण पत्र। इसके अलावा, पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने और निर्दिष्ट खाते के माध्यम से विदेशी स्रोत से विदेशी योगदान की स्वीकृति के बाद, इसका उपयोग प्राप्तकर्ता द्वारा केवल उन उद्देश्यों के लिए किया जाना आवश्यक है जिनके लिए ऐसी अनुमति दी गई थी, जिसमें 2010 के अधिनियम की धारा 7 के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह के विदेशी योगदान को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध है।

धारा 7 की वैधता

38. यह कहने के बाद, अब हम उन आधारों पर लौट सकते हैं जिन पर 2020 के अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 7 को चुनौती दी गई है। यह है।

बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं करती है, तो वह आवेदक को इसके कारणों से अवगत कराएगी:

बशर्ते कि केंद्र सरकार उस मामले में प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने से इनकार कर सकती है जहां किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है।

आग्रह किया कि अपरिवर्तित प्रावधान हालांकि हस्तांतरण को प्रतिबंधित करता है विदेशी योगदान, फिर भी इसने संशोधित धारा 7 के विपरीत इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया। संशोधित धारा 7 पूर्ण अभिधारणा प्रस्तुत करती है।

अन्य व्यक्ति को विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर प्रतिबंध-यहां तक कि अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को भी नहीं। में।

दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति जो पंजीकृत है और जिसे प्रमाण पत्र दिया गया है या जिसने विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त की है अब से राशि का उपयोग "स्वयं" करने की आवश्यकता होगी न कि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से।

39. यह ध्यान दिया जाए कि असंशोधित धारा 7 का परंतुक

यह परिकल्पना की गई कि यदि विदेशी योगदान का एक हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाना था, जिसे 2010 के अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था या पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, तो इसे केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करके संभव बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि संशोधित धारा 7 के कारण उस विकल्प को भी समाप्त कर दिया जाता है।

40. इस याचिका का प्रतिवाद उत्तरदाताओं द्वारा किया गया है

तर्क है कि संसद ने अपने विवेक में एक पेश करने का फैसला किया है

2010 के अधिनियम की अपरिवर्तित धारा 7 के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव की पृष्ठभूमि में सख्त शासन; और उस शरारत को मिटाने के लिए जो सामने आई थी। इसलिए नई व्यवस्था

एक सख्त व्यवस्था (संशोधित धारा 7) लागू करना आवश्यक हो गया। निर्विवाद रूप से, नई व्यवस्था विदेशी योगदान के प्रवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है। जबकि, यह केवल उन उद्देश्यों के लिए विदेशी स्रोत से इस तरह से स्वीकार/प्राप्त धन के उपयोग के संबंध में एक दृढ़ व्यवस्था है जिसके लिए प्राप्तकर्ता पंजीकृत है और उसे प्रमाण पत्र दिया गया है या उस संबंध में अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति दी गई थी।

41. अभिव्यक्ति "विदेशी योगदान" 134 और "विदेशी"

134 2. परिभाषाएँ। - (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

(a) से (g) XXX XXX

(ज) "विदेशी योगदान" का अर्थ है दान, वितरण या हस्तांतरण

कोई भी विदेशी स्रोत,

((ख) किसी भी मुद्रा की, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी। (iii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित किसी भी प्रतिभूति का और इसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2 के खंड (ओ) में परिभाषित कोई भी विदेशी प्रतिभूति शामिल है।

1999 (42 1999)।

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

ई "1 35 को 2010 की धारा 2 (1) (एच) और 2 (1) (जे) में परिभाषित किया गया है।

एस संशोधित।

स्पष्टीकरण 1. - किसी वस्तु, मुद्रा का दान, वितरण या हस्तांतरण या

इस खंड में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेशी सुरक्षा जिसे यह प्राप्त हुई है।

प्रत्यक्ष रूप से या एक या एक से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से किसी विदेशी स्रोत से

इस खंड के अर्थ के भीतर विदेशी योगदान भी माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2. में जमा विदेशी अंशदान पर उपार्जित ब्याज

धारा 17 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई बैंक या कोई अन्य आय

विदेशी अंशदान या उस पर ब्याज से प्राप्त राशि भी निम्नलिखित मानी जाएगी -

इस खंड के अर्थ के भीतर विदेशी योगदान हो। स्पष्टीकरण 3. - किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी विदेशी स्रोत से प्राप्त कोई भी राशि

भारत में, शुल्क के रूप में (विदेशी छात्र से भारत में एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा ली गई शुल्क सहित) या प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं के बदले में लागत के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य के सामान्य पाठ्यक्रम में

चाहे वह भारत के भीतर हो या भारत के बाहर या किसी से प्राप्त कोई योगदान

इस तरह के शुल्क या लागत के लिए एक विदेशी स्रोत के एजेंट को बाहर रखा जाएगा

इस खंड के अर्थ के भीतर विदेशी योगदान की परिभाषा;

परिभाषाएँ। — (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

(a) से (i) XXX XXX

(जे) "विदेशी स्रोत" में शामिल हैं:

((i) किसी विदेशी देश या क्षेत्र की सरकार और ऐसी सरकार की कोई एजेंसी;

इस ओर से; ((ग) एक विदेशी कंपनी;

((iv) एक निगम, जो एक विदेशी कंपनी नहीं है, किसी विदेशी देश या क्षेत्र में निगमित है;

(v) खंड (छ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट एक बहु-राष्ट्रीय निगम; (vi) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ के भीतर एक कंपनी, और इसकी शेयर पूंजी के नाममात्र मूल्य का आधे से अधिक, या तो अकेले या कुल मिलाकर, निम्नलिखित में से एक या अधिक द्वारा आयोजित किया जाता है, अर्थात्:

((क) किसी विदेशी देश या क्षेत्र की सरकार;

((ख) किसी विदेशी देश या क्षेत्र के नागरिक;

(ग) किसी विदेशी देश या क्षेत्र में निगमित निगम;

((घ) किसी विदेशी देश में गठित या पंजीकृत न्यास, समितियाँ या व्यक्तियों के अन्य संघ (चाहे वे निगमित हों या न हों) या

क्षेत्र;

(ई) विदेशी कंपनी;

बशर्ते कि जहां शेयर पूंजी का नाममात्र मूल्य सीमा के भीतर हो

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत विदेशी निवेश के लिए निर्दिष्ट,

1999 (42 (क) या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम, तब,

किसी कंपनी की शेयर पूंजी का नाममात्र मूल्य अधिक होने के बावजूद

किसी कंपनी के योगदान करते समय उस समय के मूल्य के आधे से अधिक होने पर ऐसी कंपनी

विदेशी स्रोत; [2022] 19 एस. सी. आर.

42. अधिनियम की धारा 11, जैसा कि संशोधन अधिनियम के अनुसार लागू होती है

2020 का, एक अर्थ में विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए पूर्ण निषेध है जब तक कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र या उनसे पूर्व अनुमति प्राप्त न हो। इस संबंध में केंद्र सरकार। इसके अलावा, धारा 11 केवल सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों जैसे निश्चित उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान की प्राप्ति या स्वीकृति की अनुमति देती है।

43. विदेशी अंशदान प्राप्त करने/स्वीकार करने का इच्छुक व्यक्ति।

ऐसे निश्चित उद्देश्यों के लिए असंशोधित प्रावधान के तहत भी केंद्र सरकार से पंजीकरण का प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। पंजीकरण का ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, विदेशी प्राप्तकर्ता

योगदान इसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है जो पंजीकृत भी है।

और 2010 के अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र दिया गया था या पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी। हालाँकि, नई व्यवस्था (संशोधित धारा 7) के तहत इसकी अनुमति नहीं है। क्योंकि, विधायी इरादा अब तीसरे पक्ष को विदेशी योगदान के हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण निषेध का एक है।

44. उल्लेखनीय है कि 2010 के अधिनियम की योजना के अनुसार, एक प्रमाण पत्र

दाता (विदेशी स्रोत) और जमीनी स्तर के संगठन के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए, संशोधित प्रावधान विदेशी धन के इस तरह के हस्तांतरण को पूरी तरह से खारिज करता है।

उस व्यक्ति द्वारा योगदान जिसने प्रथम स्थान पर इसे प्राप्त/स्वीकार किया है। यह प्राप्तकर्ता को उन उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान "स्वयं" का उपयोग करने से नहीं रोकता है जिनके लिए उसे पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है या अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त की गई है।

45. अधिनियम में "स्थानांतरण" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

विषय अधिनियम में अभिव्यक्ति "हस्तांतरण" का अर्थ यह होगा कि विदेशी योगदान को पूरी तरह या आंशिक रूप से दिया जाए।

तीसरा व्यक्ति उस पर कोई नियंत्रण बनाए बिना; और इस तरह का हाथ बदलना स्पष्ट रूप से बदले में किसी भी सेवा की पेशकश के बिना है, अर्थात् मुफ्त। तीसरा व्यक्ति तब अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट शर्तों या अधिनियम के तहत पूर्व अनुमति में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करते हुए, जैसा भी मामला हो, इस तरह के हस्तांतरित विदेशी योगदान से निपटने के लिए स्वतंत्र होगा। में।

(vii) किसी भी विदेशी देश या क्षेत्र में एक ट्रेड यूनियन, चाहे वह ऐसे विदेशी देश या क्षेत्र में पंजीकृत हो या नहीं;
((viii) एक विदेशी न्यास या एक विदेशी प्रतिष्ठान, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए, या ऐसा न्यास या प्रतिष्ठान जो मुख्य रूप से किसी विदेशी देश या क्षेत्र द्वारा वित्तपोषित हो;

((ix) भारत के बाहर गठित या पंजीकृत समाज, क्लब या व्यक्तियों का अन्य संघ;

(x) किसी विदेशी देश का नागरिक; नोएल हार्पर और ओआरएस।

इस परिदृश्य में, यह संभव था कि हस्तांतरणकर्ता (जिसने विदेशी योगदान स्वीकार किया था) ने विदेशी स्रोत को एक अनुमत उद्देश्य के लिए दान करने के लिए राजी किया हो, लेकिन दाता (विदेशी स्रोत) से परामर्श किए बिना पूरी या आंशिक राशि (विदेशी दान) को किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए तीसरे व्यक्ति (हस्तांतरणकर्ता) को हस्तांतरित किया जा सकता था, जो किसी दिए गए मामले में दाता को स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार, इसने विदेशी योगदान के दुरुपयोग और उसके दुरुपयोग की संभावना का मार्ग प्रशस्त किया।

46. विदेशी योगदान के उपयोग के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, पूर्ण प्रतिबंध की तो बात ही छोड़िए। धारा 7 का यथासंशोधित तर्क, अन्य बातों के साथ-साथ, यह है कि दाता (विदेशी स्रोत) को प्राप्तकर्ता द्वारा पहले से घोषित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत निश्चित उद्देश्यों के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जाता है और प्राप्तकर्ता पर निधियों के उपयोग के संबंध में संबंधित दायित्व है और कोई अन्य नहीं।

47. वास्तव में, अधिनियम में "उपयोग" शब्द को भी परिभाषित नहीं किया गया है। "उपयोग" अभिव्यक्ति का सामान्य अर्थ होना चाहिए

उस उद्देश्य के संदर्भ में समझा जाता है जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति दी गई है। यदि विदेशी अंशदान का उपयोग धारा 36 के तहत अनुमेय प्रशासनिक खर्चों सहित ऐसे निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

136 वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित अनुमत गतिविधियों की सचित्र सूची (2004-2005) गृह मंत्रालय, विदेशी प्रभाग, एफ. सी. आर. ए. शाखा द्वारा तैयार किया गया पाठ इस प्रकार हैः

" 1. धार्मिक • धार्मिक समारोहों/त्योहारों आदि का उत्सव। ; पूजा स्थलों, धार्मिक विद्यालयों का निर्माण/मरम्मत/रखरखाव। ; पुरोहितों और प्रचारकों की शिक्षा

2. शैक्षिक • विद्यालयों/महाविद्यालयों का निर्माण और रखरखाव। ; • गरीब छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण और संचालन। ; • नकद में वजीफा/छात्रवृत्ति/सहायता का अनुदान या गरीब/योग्य बच्चों के प्रति दयालु। ; • शैक्षणिक सामग्री-किताबें, नोटबुक आदि की खरीद और आपूर्ति। ; • वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन करना। ; • अनुसंधान का संचालन। ; • मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा/स्कूल। ; गैर-औपचारिक शिक्षा परियोजनाएं/कोचिंग कक्षाएं। ; उपरोक्त से संबंधित कोई अन्य गतिविधियाँ।

3. आर्थिक। निम्नलिखित लेकिन वाणिज्यिक या लाभ कमाने वाली गतिविधियाँ नहीं हैंः • सूक्ष्म वित्त परियोजनाएँ, जिनमें बैंकिंग सहकारी समितियाँ और स्वयं सहायता समूह स्थापित करना शामिल है। ; आत्मनिर्भर आय सृजन परियोजनाएं/योजनाएं। • कृषि गतिविधियाँ। ; • ग्रामीण विकास कार्यक्रम/योजनाएं। ; • पशुपालन परियोजनाएं। ; हस्तशिल्प केंद्र/कॉटेज और खादी उद्योग/सामाजिक वानिकी परियोजनाओं की स्थापना और संचालन। ;

8 , भले ही यह सैद्धांतिक रूप से विदेशी हस्तांतरण में निहित हो सकता है

योगदान, यह धारा 7 की कठोरता को आकर्षित करने वाला मामला नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, धारा 7 को आकर्षित किया जा सकता है यदि उपयोग उस निश्चित या अनुमत उद्देश्यों के लिए नहीं है जिसके लिए अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र या अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है। वास्तव में, यदि विदेशी योगदान का प्राप्तकर्ता किसी तीसरे पक्ष की सेवाओं को संलग्न करता है या अपनी कुछ गतिविधियों को तीसरे व्यक्ति को आउटसोर्स करता है, तो निश्चित गतिविधियों को स्वयं करते हुए और इसके लिए भुगतान करना पड़ता है, तो यह उपयोग का मामला होगा। इसलिए, धारा 7 के अर्थ के भीतर हस्तांतरण, विदेशी योगदान के प्राप्तकर्ता द्वारा तीसरे पक्ष को हस्तांतरण में संलग्न होने की आवश्यकता के बिना प्रति (सरल) हस्तांतरण का मामला होगा।

व्यावसायिक प्रशिक्षण, सिलाई, मोटर मरम्मत, कंप्यूटर आदि। ; आय सृजन गतिविधियों के लिए परियोजनाएं या शहरी झुग्गी-झोपड़ी विकास के लिए कोई अन्य विकासात्मक परियोजनाएं। ; • उपरोक्त से संबंधित कोई अन्य गतिविधियाँ, जो वाणिज्यिक गतिविधियाँ नहीं हैं।

4. सामाजिक • अस्पतालों/औषधालयों/चिकित्सालयों का निर्माण/संचालन। ; सामुदायिक भवनों आदि का निर्माण। ; • वृद्धाश्रमों का निर्माण और प्रबंधन। ; वृद्धजनों या विधवाओं का कल्याण। ; अनाथालय का निर्माण और प्रबंधन। ; . अनाथों का कल्याण। ; . धर्मशालाओं/आश्रयों का निर्माण और प्रबंधन। ; निःशुल्क चिकित्सा/स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/टीकाकरण शिविरों का आयोजन। ; श्रवण यंत्र, दृश्य उपकरण, परिवार नियोजन उपकरण आदि सहित निःशुल्क दवा और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति। ; विकलांगों के लिए तिपहिया साइकिल, कैलीपर आदि जैसी सहायता का प्रावधान। ; नशीली दवाओं के आदी लोगों का उपचार/पुनर्वास। ; महिलाओं के लिए कल्याण/सशक्तिकरण परियोजनाएं/योजनाएं। ; • बच्चों का कल्याण। ; • गरीबों, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों को मुफ्त कपड़े/भोजन का प्रावधान। ; प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत/पुनर्वास। ; • दंगों/अन्य सामाजिक अशांति के पीड़ितों की सहायता करें। ; . बोरवेलों की खुदाई। ; सामुदायिक शौचालय आदि सहित स्वच्छता। ; · जागरूकता शिविर/सेमिनार/कार्यशालाएं/बैठकें/सम्मेलन। ; मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना/कानूनी सहायता केंद्र चलाना। ; • खेल प्रतियोगिता आयोजित करना। ; • एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के अर्जित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम (एड्स)/उपचार और पुनर्वास के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। ; • शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों का कल्याण। ; . अनुसूचिका जातियों का कल्याण। ; अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। ; पिछड़े वर्गों का कल्याण। ; • पर्यावरण कार्यक्रम। ; • सामाजिक-आर्थिक और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए सर्वेक्षण। ; • वन्यजीवों का संरक्षण और रखरखाव। ; प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ; • सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता। ; • जघन्य अपराधों के पीड़ितों का पुनर्वास

अपराध। ; • भिखारियों, शराब तस्करों, बाल श्रम आदि का पुनर्वास। ; • आम जनता के लिए सरकारी योजनाओं और कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करना। ; • उपरोक्त से संबंधित कोई अन्य गतिविधियाँ।

5. राष्ट्रीय आयोजनों का सांस्कृतिक उत्सव (स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस/त्योहार)। ; • थिएटर/फिल्में/कठपुतली शो/रोड शो आदि। ; • ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों का रखरखाव

महत्व। ; • प्राचीन/जनजातीय कला रूपों का संरक्षण। ; • भारत की सांस्कृतिक विरासत या साहित्य का संरक्षण और संवर्धन। ; ● सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ। ; उपरोक्त से संबंधित कोई अन्य गतिविधियाँ। नोएल हार्पर और ओआरएस।

वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक या सामाजिक कार्यक्रमों की निश्चित गतिविधियाँ

वर्ष। हालांकि, धारा 8 (1) का प्रावधान केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ प्रशासनिक खर्चों के लिए बीस प्रतिशत से अधिक खर्च करने में सक्षम बनाता है। यह ध्यान दिया जाए कि इन याचिकाओं में संशोधित धारा 8 की वैधता को मुद्दा नहीं बनाया गया है। 49. धारा 7 और 8 के संयुक्त पठन पर, जैसा कि संशोधित किया गया है, विदेशी योगदान के उपयोग को अनिवार्य करने का विधायी इरादा

प्राप्तकर्ता स्वयं उन उद्देश्यों के लिए प्राप्त करता है जिनके लिए उसे अनुमति दी गई थी

अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है या पूर्व अनुमोदन दिया गया है, केंद्र सरकार को सूचित करने के लिए बाध्य है और इस तरह केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रत्येक विदेशी अंशदान की राशि, वह स्रोत जिससे और जिस तरीके से ऐसा विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया था, और वह उद्देश्य जिसके लिए और जिस तरीके से उसके द्वारा इस तरह के विदेशी अंशदान का उपयोग किया गया था, के बारे में अन्य प्राधिकरण जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। यह जानकारी जांच तंत्र की सुविधा प्रदान कर सकती है और यह आश्वस्त कर सकती है कि व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए गए विदेशी योगदान का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत निश्चित उद्देश्यों के लिए किया गया है। इस शर्त के किसी भी उल्लंघन पर अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

50. हमारे समक्ष यह जोरदार आग्रह किया गया था कि चूंकि हस्तांतरणकर्ता के पास पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी होगा और वह 2010 के अधिनियम के प्रावधानों से बंधा होगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति को विदेशी योगदान के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने से कोई वैध उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस तर्क को स्वीकार करने पर

उस विधायी इरादे पर पूरी तरह से प्रकाश डाला जाए जिसके लिए संशोधन किया गया है प्रभावित हुआ है। विधायी इरादा विदेशी योगदान के प्राप्तकर्ता को [2022] 19 एस. सी. आर. के लिए उसी "स्वयं" का उपयोग करने के लिए सख्त व्यवस्था शुरू करना है।

जिन उद्देश्यों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र या अनुमति के अनुसार इसकी अनुमति दी गई है सरकार। इसके अलावा, उसी संशोधन अधिनियम द्वारा, प्राप्तकर्ता द्वारा प्रशासनिक उद्देश्य के लिए विदेशी योगदान का उपयोग केवल बीस प्रतिशत तक कम कर दिया गया है ताकि उन उद्देश्यों पर अधिकतम खर्च सुनिश्चित किया जा सके जिनके लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र रखने वाले प्राप्तकर्ता द्वारा विदेशी योगदान स्वीकार किया गया है।

51. इस तरह के कड़े प्रावधान के अभाव में, कुछ प्राप्तकर्ता संगठन कथित तौर पर तबादलों की लगातार श्रृंखला में लिप्त थे

अन्य संगठनों के लिए, जिससे धन का एक स्तरित मार्ग बनता है और पचास प्रतिशत तक के क्रमिक हस्तांतरण की प्रशासनिक लागतों के लिए धन का उपयोग किया जाता है, जिससे उन उद्देश्यों पर खर्च करने के लिए बहुत कम धन बचा रहता है जिनके लिए इसे अनुमति दी गई थी। इसलिए, पूर्ण प्रतिबंध प्रदान करना हस्तांतरण सरलीकरण, प्राप्तकर्ता संगठन की जवाबदेही तय करने और अनुमत उद्देश्यों के लिए अधिकतम उपयोग करने का उचित विकल्प था। संशोधन का घोषित उद्देश्य और उद्देश्य होने के कारण, संशोधित धारा 7 को चुनौती देने में विफल होना चाहिए।

52. चाहे जो भी हो, यह तथ्य कि विदेशी योगदान के पूर्व हस्तांतरण की अनुमति अपरिवर्तित प्रावधान के अनुसार दी गई थी, अपने आप में संशोधित प्रावधान की वैधता को चुनौती देने का आधार नहीं हो सकता है। क्योंकि, यह संसद के लिए खुला है कि वह प्रतिबंध के मानदंड को उच्च मानक से निम्न मानक में या इसके विपरीत कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त आवश्यकताओं और अनुभव के आधार पर बदले। प्रासंगिक समय पर लागू प्रावधान।

53. निश्चित रूप से, विदेशी योगदान विदेशी निवेश से गुणात्मक रूप से अलग है। विदेशी दान प्राप्त करना पूर्ण या पूर्ण नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि एक निहित अधिकार भी। अपनी अभिव्यक्ति से, यह समग्र रूप से राष्ट्र की संवैधानिक नैतिकता का प्रतिबिंब है जो अपनी जरूरतों और समस्याओं की देखभाल करने में असमर्थ है। पूछा जाने वाला प्रश्न हैः " सामान्य समय में ", विकासशील या विकसित देशों को विदेशी की आवश्यकता क्यों होगी?

उनकी अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए योगदान? निर्विवाद रूप से,

किसी भी देश की आकांक्षाओं को विदेशी दान की आशा (आधार) के आधार पर पूरा नहीं किया जा सकता है, बल्कि अपने नागरिकों के दृढ़ और दृढ़ दृष्टिकोण से अपनी कड़ी मेहनत और उद्योग के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। वास्तव में, धर्मार्थ गतिविधि एक व्यवसाय है। धर्मार्थ गतिविधि करने के लिए भारत के भीतर योगदान प्राप्त करना अलग तरह से विनियमित किया जा सकता है और किया जा रहा है। विदेशी स्रोत से विदेशी योगदान के संबंध में इसी तरह का दृष्टिकोण रखना संभव नहीं है। संक्षेप में, किसी को भी विदेशी दान स्वीकार करने के निहित अधिकार का दावा करते हुए नहीं सुना जा सकता है, बहुत कम एक पूर्ण अधिकार।

54. हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति के विदेशी योगदान से प्रभावित होने की संभावना के सिद्धांत को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। क्योंकि, विदेशी योगदान का देश की सामाजिक-आर्थिक संरचना और राजनीति के मामले में भौतिक प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी सहायता विदेशी योगदानकर्ता की उपस्थिति पैदा कर सकती है और देश की नीतियों को प्रभावित कर सकती है। यह राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित या थोपने की प्रवृत्ति रखता है। राष्ट्र की संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत के साथ विदेशी योगदान के प्रभाव का विस्तार होने के कारण, देश में विदेशी योगदान की उपस्थिति/प्रवाह न्यूनतम स्तर पर होनी चाहिए, यदि पूरी तरह से नहीं छोड़ी गई है। प्रभाव विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जिसमें अस्थिरता भी शामिल है।

देश के भीतर सामाजिक व्यवस्था। इसके बजाय धर्मार्थ संगठन देश के भीतर दानदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, ताकि विदेशी योगदान के कारण विदेशी देश के प्रभाव को रोका जा सके। हमारे भीतर दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। देश।

55. उल्लेखनीय है कि 1976 के अधिनियम को 2010 के अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था क्योंकि अनुभव के कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया था।

यह प्राप्त किया कि विदेशी योगदान के नाम पर, बेईमान संस्थाओं द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था और संप्रभुता को बाधित करने के प्रयास किए गए थे देश। यह अंतर्निहित कारण होने के कारण, यह पालन करना चाहिए कि अधिनियम के पीछे विधायी इरादा और सरकार और संसद का निरंतर प्रयास आम तौर पर विदेशी योगदान को हतोत्साहित करना है, लेकिन अधिनियम की धारा 11 में उल्लिखित विशिष्ट निश्चित उद्देश्यों के लिए इसकी अनुमति देना है; और

जो, विदेशी योगदान प्राप्त करने या स्वीकार करने वाला व्यक्ति अधिनियम या पूर्व अनुमति के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बाध्य है,

जैसा कि मामला हो सकता है। इसके अलावा, ऐसा व्यक्ति बिना किसी अपवाद के पंजीकरण प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति से जुड़ी सभी शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है।

56. जाहिरा तौर पर, "विदेशी मुद्रा" प्राप्त करना स्वयं पूरी तरह से निषिद्ध है और इसके लिए दिए गए अपवादों के अधीन किया गया है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 1 37. 1999 के अधिनियम के प्रावधानों और प्रदान किए गए नियामक तंत्र के संयुक्त अध्ययन पर

क्योंकि 2010 के अधिनियम में, यह एक स्पष्ट संकेत है कि सभी संबंधित लोगों को निर्धारित तरीके से "विदेशी योगदान" (दान) के प्रवाह की अनुमति देने के लिए सख्त व्यवस्था का पालन करना चाहिए और इसका उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।

57. हम यह समझने में विफल हैं कि इस तरह के प्रावधान (संशोधित धारा 7) को भेदभावपूर्ण या अस्पष्ट कैसे माना जा सकता है। 137 संक्षेप में, "1999 अधिनियम" [2022] 19 एस. सी. आर.

अपरिवर्तित प्रावधान के तहत पहले की व्यवस्था के दुरुपयोग के बारे में सहित समय की अवधि के लिए संबंधित अधिकारी। 58. यह परिवर्तन न केवल हस्तांतरण को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, बल्कि विदेशी योगदान की प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है, जिसमें पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किए गए व्यक्ति द्वारा उसका उपयोग अनिवार्य किया जाता है, उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए इसे पंजीकरण के प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति के संदर्भ में स्वीकार किया गया था, जिसमें निर्धारित प्रशासनिक खर्च भी शामिल हैं। यह प्रतिबंध अनिवार्य रूप से प्राप्तकर्ता संगठन की जवाबदेही को तय करता है और

अनुमत उद्देश्यों के लिए स्वयं द्वारा अधिकतम उपयोग को अनिवार्य करना। यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसे न तो मनमाना कहा जा सकता है और न ही भेदभावपूर्ण, कम स्पष्ट रूप से मनमाना-अनुच्छेद 14 के अर्थ के भीतर या संविधान के अनुच्छेद 21 पर प्रभाव डालने वाला। कानून के मामले में, क्योंकि विषय अधिनियम व्यक्तियों के एक अलग वर्ग से संबंधित है

(विदेशी योगदान को स्वीकार/प्राप्त करना) और यह एक पर आधारित है प्रधान अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने की इच्छा रखने वाला बोधगम्य अंतर, शायरा बानो 1 38 में वर्णित परीक्षण को पूरा करता है। इसी कारण से, चुनौती के तहत संशोधित प्रावधान न तो मनमौजी, तर्कहीन या निर्धारित करने वाले सिद्धांत का अभाव है, न ही अति और असमान होने के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है।

59. हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह धारणा है कि संसद अपने लोगों की जरूरतों को समझती है और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देती है।

कानून के कार्यान्वयन में प्राप्त आवश्यकताओं और अनुभव। संवैधानिक अवरोध को आकर्षित करने के लिए केवल असुविधा का अनुरोध पर्याप्त नहीं है। न्यायालयों को संशोधित प्रावधानों का अर्थ लगाने में एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए और विदेश से संबंधित नियामक तंत्र को मजबूत करने के विधायी इरादे को कमजोर नहीं करना चाहिए।

योगदान दें। विभिन्न भागों से एकत्र किए गए इनपुट के आधार पर अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए विधायिका को काफी अक्षांश प्राप्त होता है। 138 फुटनोट पर ऊपर No.18 13 9 देखें ओमबालिका दास बनाम हुलिसा शॉ (फुटनोट पर ऊपर No.79)

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

यह इंगित करने के लिए आंतरिक साक्ष्य हैं कि संशोधनों द्वारा प्रभावित परिवर्तन वैध सरकारी उद्देश्य को पूरा करने के लिए है और इसका मूल अधिनियम और संशोधनों के उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है, और यह कि पूर्व-संशोधन वितरण (बिना संशोधन की गई धारा 7) मूल अधिनियम द्वारा अनुमानित विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

60. श्रेया के कथन पर याचिकाकर्ताओं द्वारा रखा गया भरोसा

सिंघल 1 40 और के. एस. पुट्टास्वामी 1 4 1 यह आग्रह करने के लिए कि न्यायालय स्पष्ट रूप से मनमाने तरीके से संशोधन का परीक्षण करने के लिए खुला है, हमें विधायी इतिहास और विदेशी योगदान के "हस्तांतरण" को प्रतिबंधित करने के लिए सख्त शासन अपनाने की बाध्यकारी आवश्यकता और स्वयं प्राप्तकर्ता द्वारा इसके "उपयोग" के आग्रह को ध्यान में रखते हुए, अब तक उल्लिखित निष्कर्ष के आलोक में रोकने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं कारणों से, अनुराधा भसीन 1 42 में कहा गया है कि उपयुक्तता, आवश्यकता और कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय अनुपालन कानून का भी कोई फायदा नहीं होगा।

61. यह तर्क कि आई. एन. एस. ए. एफ. 1 4 3 के मामले में इस न्यायालय ने 1976 के अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए निरपेक्ष को मान्यता दी थी विदेशी योगदान प्राप्त करने का अधिकार गलत है और उस निर्णय को गलत तरीके से पढ़ा गया है। क्योंकि, उक्त निर्णय ने पहले किए गए तर्कों की जांच की

राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करना एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप तरीके से कार्य करना चाहिए। विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य से प्रभावित होना। न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम का लंबा शीर्षक यह स्पष्ट करता है कि

140 फुटनोट संख्या 117 पर ऊपर 141 फुटनोट संख्या 7 पर ऊपर 142 फुटनोट No.21 (पैरा 154-159) 143 फुटनोट No.22 [2022] 19 एस. सी. आर.

विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग का विनियमन इसके लिए है "राष्ट्रीय हितों" की रक्षा करना और राजनीतिक प्रकृति के संगठनों को विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोकना।

62. कि अंतर्निहित उद्देश्य होने के कारण जिसके लिए अधिनियम अधिनियमित किया गया है, संशोधित प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, हम नहीं हो सकते हैं

संसद द्वारा व्यक्त की गई चिंता, मामलों की स्थिति और असंशोधित अधिनियम के तहत प्रतिपादित व्यवस्था के कार्यान्वयन के नतीजों के बारे में बेखबर। जैसा कि संसद ने एक सख्त नियामक बनाने के लिए उस स्थिति को बदलने के लिए एक अच्छी तरह से सूचित और सचेत निर्णय लिया

विदेशी योगदान के प्राप्तकर्ता को अपने साथ जुड़े कारणों के लिए तीसरे पक्ष को धन हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं देने की व्यवस्था, इसका पालन करना चाहिए कि प्रावधान देश की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और आम जनता के हित में है।

व्यक्ति? इस मुद्दे की जांच करते हुए कि क्या संशोधित प्रावधान एक उचित प्रतिबंध है, न्यायालय संसद/विधानमंडल की चिंता से अनजान नहीं हो सकता है, जिसमें पिछले अनुभवों का समर्थन किया गया है, जिसमें उचित जांच के बाद और विदेशी योगदान (दान) के दुरुपयोग और दुरुपयोग के कारण ठोस कारणों से पर्याप्त संख्या में पंजीकरण प्रमाणपत्रों का पंजीकरण रद्द करना शामिल है; और विशेष रूप से जब प्राप्ति या दुरुपयोग होता है। विदेशी मुद्रा की स्वीकृति या चाहे वह विदेशी योगदान हो, अन्यथा इसे आम तौर पर निषिद्ध माना जाता है। क्योंकि, "विदेशी मुद्रा" और उससे भी अधिक "विदेशी योगदान" केवल नगरपालिका कानून में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुसार ही भारत के क्षेत्र के भीतर प्राप्त या लाया जा सकता है। इस संबंध में कोई पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता है। तथ्य यह है कि बिना संशोधन वाली धारा 7 के तहत हस्तांतरण की अनुमति दी गई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि संसद उस व्यवस्था को और अधिक कठोर बनाने के लिए संशोधन करने में सक्षम नहीं है, जिसमें विदेशी योगदान के प्रवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना भी शामिल है। संशोधित प्रावधान विदेशी योगदान के प्रवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए नहीं है, बल्कि पंजीकृत व्यक्तियों या पूर्व अनुमति रखने वाले व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति की अनुमति देने के लिए एक नियामक उपाय है।

शर्त यह है कि वे स्वयं अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदान की गई सीमाओं के भीतर प्रशासनिक खर्चों सहित पूरे योगदान का उपयोग करेंगे। इस विषय अधिनियम की परिकल्पना अनिवार्य रूप से सार्वजनिक व्यवस्था और आम जनता के हित में की गई है क्योंकि इसका उद्देश्य एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों की रक्षा के लिए विदेशी स्रोतों से आने वाले विदेशी योगदान के दुरुपयोग और दुरुपयोग को रोकना है।

परोपकार का व्यवसाय। पिछले अनुभव के कारण और मूल अधिनियम के इरादे को बनाए रखने के लिए आवश्यक एक नियामक उपाय होने के नाते, उपयोग के लिए जोर देना, प्राप्तकर्ता द्वारा स्वयं विदेशी योगदान के खर्च को तर्कहीन, मनमाना, भेदभावपूर्ण या अनुचित प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है। 65. तीसरे पक्ष को हस्तांतरण पर प्रतिबंध या पूर्ण निषेध, किसी भी मानक द्वारा, विदेशी योगदान की स्वीकृति और निश्चित उद्देश्यों के लिए अनुमत तरीके से उसके उपयोग से वंचित नहीं करता है, जैसे -

सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक या सामाजिक कार्यक्रम। इस तरह के प्रावधान को आम जनता के हित में और संप्रभुता और अखंडता के हित में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यवस्था सहित देश। नतीजतन, कोई उल्लंघन भी नहीं होता है

संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 सहित संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) या 19 (1) (जी), जैसा कि हमारे समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह किया गया है।

66. इसी कारण से, मूल अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध की कमी के बारे में रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क भी विफल होना चाहिए। इसका कारण व्यापक सार्वजनिक हित है और विशेष रूप से प्रतिकूलता को दूर करने के लिए है। अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता और अखंडता पर प्रभाव

विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग के संबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही, जो हर वित्तीय वर्ष में काफी महत्वपूर्ण है, जिसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, संशोधित धारा 7 को लागू करना आवश्यक हो गया था। दूसरे शब्दों में, संशोधन के पीछे एक स्पष्ट तर्क है जो उद्देश्य के अनुरूप है - प्रधान अधिनियम और अधिनियमों के तहत प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य। यह तथ्य कि असंशोधित प्रावधान कम प्रतिबंधात्मक था, अनुच्छेद 19 (1) (सी) या 19 (1) (जी) या [2022] 19 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 14 और 21 की कसौटी पर प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने का आधार नहीं हो सकता है।

संविधान। संशोधित धारा 7, स्पष्ट और स्पष्ट होने के कारण और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध होने के कारण और भारत की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आम जनता के हित में आवश्यक है। यह समझ से परे है कि संशोधित प्रावधान को किसी भी मामले में असंवैधानिक कैसे माना जा सकता है।

पैरामीटर। 67. यह आग्रह किया जाता है कि 2011 के नियमों के नियम 24 को 10.11.2020 से हटा दिया जाए। इस नियम ने पंजीकृत संगठनों को सक्षम बनाया।

किसी अपंजीकृत व्यक्ति को उसमें दिए गए तरीके से विदेशी योगदान हस्तांतरित करना। हालांकि, किसी भी व्यक्ति को विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाली धारा 7 में संशोधन के आलोक में, नियम 24 में अनुमानित वितरण की आवश्यकता अस्तित्व में नहीं थी। दूसरे शब्दों में, संशोधित धारा 7 के अनुसार, कानून की पुस्तक पर नियम 24 को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और 2010 के अधिनियम की संशोधित धारा 7 में स्पष्ट निषेध के मद्देनजर कुछ समय के लिए इसके जारी रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

धारा 12 (1ए) और धारा 17 (1) की वैधता

68. धारा 12 (1ए) को 2020 के अधिनियम 33 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जो उप-धारा के तहत आवेदन करता है। (1) धारा 12 की धारा 17 में निर्दिष्ट तरीके से एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने के लिए बाध्य/आवश्यक है और अपने खाते में ऐसे खाते के विवरण का उल्लेख करता है।

आवेदन। धारा 17, विशेष रूप से उप-धारा (1) में, जैसा कि संशोधित किया गया है, यह आदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 12 के तहत प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति दी गई थी, वह केवल निर्दिष्ट बैंक में एफ. सी. आर. ए. खाते के रूप में नामित खाते में विदेशी योगदान प्राप्त करेगा। द. असंशोधित धारा 12 और 17 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। विशेष रूप से, नई व्यवस्था के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग द्वारा स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशी प्रेषण प्राप्त किया जा रहा है जिसमें अन्य विवरण लेनदेन के अलावा कुछ अनिवार्य क्षेत्रों को पकड़ने की आवश्यकता होती है

बुद्धिमान हैं। इसके अलावा, विदेशी प्रेषण में संरचित ढांचा नहीं है, जिसमें उद्देश्यों के बारे में खुलासा भी शामिल है। ये सभी कमियां दूर होंगी।

इस प्रकार वास्तविक समय के आधार पर निगरानी तंत्र को बढ़ाने का समाधान किया गया, प्रेषण के अनुसार नई व्यवस्था को अपनाकर

संशोधित प्रावधान।

69. एक बार फिर, विदेशी निधियों के प्रवाह को सख्ती से विनियमित करने और उन उद्देश्यों के लिए उनके उपयोग की निगरानी करने की आवश्यकता है जिनके लिए उसने एन. ओ. ई. एल. हार्पर एंड ओ. आर. एस. के दुरुपयोग के अनुभव सहित, संशोधन अधिनियम के पीछे मान्यता प्राप्त और तर्कसंगत होने के कारण प्राप्त किया गया है।

असंशोधित प्रावधान के तहत, इस तरह के संशोधन की चुनौती को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

70. उत्तरदाताओं के तर्क में बल है कि धारा 17 को स्पष्ट और स्पष्ट बोध के बाद संशोधित किया गया था।

देश भर के विभिन्न अनुसूचित बैंकों में कई पंजीकृत संगठनों के एफ. सी. आर. ए. खातों की उपस्थिति के कारण खामियां सामने आई थीं। पिछले दशक में विदेशी योगदान प्रवाह के दोगुने होने के कारण चुनौती अधिक स्पष्ट हो गई, जिसने प्रमुख अधिनियम के उद्देश्य की निगरानी और प्राप्ति की दक्षता को प्रभावित किया था। संशोधित प्रावधान अब अनिवार्य करता है कि सभी पंजीकृत व्यक्तियों/संगठनों के एफ. सी. आर. ए. खाते देश की एक विशेष शाखा में खोले जाने चाहिए जो आवश्यक जानकारी प्रदान करे और क्षेत्र, जिससे वास्तविक समय के आधार पर एकल बिंदु स्रोत के लिए विदेशी योगदान के प्रवाह और उपयोग पर एक पूर्ण और पारदर्शी जांच सुनिश्चित होती है।

71. तथ्य यह है कि पहले एफ. सी. आर. ए. खाता किसी भी क्षेत्र में खोला जा सकता था।

अनुसूचित बैंक, संसद को एक कानून बनाने से नहीं रोक सकता है जिसके लिए कानून द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तरीके से विदेशी योगदान के प्रवाह की आवश्यकता होती है। केवल इसलिए कि विदेशी योगदान की स्वीकृति के ढांचे में बदलाव किया गया था, संशोधित प्रावधानों की वैधता पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता है। शासन की बेहतरी के लिए बदलाव लाना संसद का विशेषाधिकार और विवेक है। एफ. सी. आर. ए. खाता प्रचालक एक कम और त्रुटिपूर्ण ढांचे की निरंतरता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। आम तौर पर, व्यवसाय करने में आसानी और व्यवसाय करने में लगे व्यक्तियों की सुविधा संसद/विधानमंडल के दिमाग में सर्वोपरि होनी चाहिए-ताकि व्यवसाय करने में आसानी के लक्ष्य को प्रभावी बनाया जा सके। हालाँकि, "विदेशी" के दुरुपयोग और दुरुपयोग के पिछले अनुभव के कारण सख्त शासन आवश्यक हो गया था।

योगदान और 19,000 प्रमाणपत्रों को रद्द करना।

अत्यधिक गैर-अनुपालन के आधार पर पंजीकृत संगठन। बड़ी संख्या में पंजीकरण प्रमाणपत्रों के इस तरह के रद्द होने के बावजूद, दिसंबर 2021 तक कथित तौर पर 22,762 एफ. सी. आर. ए. पंजीकृत संगठन थे जो संभवतः नई व्यवस्था के अनुरूप थे। इसके अलावा, 12,989 संगठनों ने 30.09.2020 और 31.12.2021 के बीच एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। और 5,789 संगठनों ने एफ. सी. आर. ए. लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, जिनका एफ. सी. आर. ए. लाइसेंस वैध नहीं रहा है। एक दुर्भाग्य से, यह निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता को उचित ठहराएगा कि [2022] 19 एस. सी. आर.

मूल अधिनियम को पूरा किया जाता है, अर्थात्, विदेशी योगदान के प्रवाह और उपयोग के सख्त विनियमन के लिए जिसके लिए यह ऐसा है।

अनुमति है, जैसे कि केवल सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक या सामाजिक

कार्यक्रम।

72. वास्तव में, संसद को इस शरारत को खत्म करने के लिए सुधारात्मक व्यवस्था का सहारा लेने का श्रेय दिया जाना चाहिए, जो कोई भी संप्रभु देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। संसद सर्वोच्च है और कानून के मामलों में अंतिम निर्णय तब लेती है जब वह लोकतांत्रिक जवाबदेही के रूप में जांच और अदालतों द्वारा आगे की जांच के साथ विभिन्न वर्गों से इनपुट के साथ विकल्पों और विकल्पों पर विचार करती है।

न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करना। हम इस तर्क में बल पाते हैं कि संसद के लिए कदम उठाना और प्रवाह और उपयोग को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए एक सख्त व्यवस्था प्रदान करना आवश्यक हो गया था।

विदेशी योगदान। इसलिए, एक माध्यम के माध्यम से धन की स्वीकृति के विषय प्रावधानों में संशोधन करने का वैध लक्ष्य था। एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने की आवश्यकता के बावजूद,

नामित बैंक, यह संगठन के लिए अनुसूचित शाखाओं में कई खातों के माध्यम से एफसीआरए खाते में प्राप्त राशि का उपयोग करने के लिए खुला है। इस मायने में, यह एक संतुलित दृष्टिकोण है।

73. इस संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार नामित बैंक में मुख्य एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

किसी कानून की संवैधानिकता पर आकस्मिक आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियां और इससे भी अधिक जब यह केवल एक ही माध्यम से विदेशी योगदान का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए केवल एक बार का अभ्यास है,

अनुमति देने के लिए पूर्व शर्त। केवल उस (प्राथमिक) एफ. सी. आर. ए. खाते के माध्यम से धन के उपयोग के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। क्योंकि, यह प्राप्तकर्ता के लिए अन्य अनुसूचित खातों में कई खातों को संचालित करने के लिए खुला है। इसके उपयोग के लिए बैंक।

144 डॉ. अश्विनी कुमार (फुटनोट No.47 पर उपर्युक्त) 145 लक्ष्मी खंडसारी में (फुटनोट No.31 पर ऊपर) और अखिल भारतीय परिषद के लिए

तकनीकी शिक्षा (फुटनोट No.32 पर ऊपर), इस न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि व्यक्तिगत कठिनाइयों की याचिका पर, न्यायालय नीतिगत मामलों (और वर्तमान मामलों में संसद द्वारा बनाया गया एक न्यायसंगत कानून) में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

नोएल हार्पर और ओआरएस। वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

74. कानून के रूप में, संशोधनों की वैधता होनी चाहिए

संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 में अंतर्निहित सिद्धांतों की कसौटी पर परीक्षण किया गया। अनुमति स्वीकार करने के लिए एक पूर्व शर्त है और विदेशी योगदान का उपयोग। ऐसे व्यक्ति एक अलग वर्ग होते हैं और निर्दिष्ट गतिविधि में संलग्न होते हैं। यह एक सामान्य या सामान्य व्यवसाय नहीं हो सकता है।

हर कोई और कोई भी जो विदेशी योगदान स्वीकार करना चाहता है। अनुमति देना।

75. संशोधन अधिनियम द्वारा शुरू की गई धारा 12 (1ए) और धारा 17 (1) जैसे प्रावधान एक समग्र दृष्टिकोण है जिसे संसद सख्त विनियामक उपायों के लिए और विदेशी योगदान के मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगी।

पार्टी लाइनों से परे जाकर अंधाधुंध प्राप्ति/प्रवाह और विदेशी योगदान के उपयोग के रूप में ऐसी सख्त व्यवस्था की गई थी देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य के हितों का मामला होने के नाते

आम जनता, इस तरह के कानून की वैधता पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं है संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) या 19 (1) (जी) की कसौटी। यह एक नहीं है

संघों के गठन या दान के व्यवसाय में शामिल होने को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रावधान। यह तरीके को विनियमित करने के लिए एक प्रावधान है

व्यापार करना अधिक महत्वपूर्ण है, विदेशी योगदान से संबंधित।

76. नामित बैंक में मुख्य एफ. सी. आर. ए. खाता खोलना,

उत्तरदाताओं द्वारा उचित रूप से तर्क दिया गया है, केवल एक बार का अभ्यास है और जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश और प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, अनुपालन के लिए भौतिक उपस्थिति के लिए जोर नहीं देना

औपचारिकताओं के साथ। इसे निर्दिष्ट बैंक की स्थानीय शाखाओं में भी जारी किए गए निर्देशों में निर्दिष्ट तरीके से आयोजित किया जा सकता है।

अन्य अनुसूचित बैंकों में कई खाते खोलने से पंजीकृत संगठन, जिसमें एन. डी. एम. बी. में (प्राथमिक) एफ. सी. आर. ए. खाते में प्राप्त राशि हस्तांतरित की जा सकती है और जहां से दिन-प्रतिदिन की गतिविधियाँ की जा सकती हैं। फिर उन्हें आगे बढ़ाएँ। किसी भी मामले में, नामित बैंक [2022] 19 एस. सी. आर. है।

अपने बैंकिंग दायित्वों के प्रति सचेत रहना और उन्हें सर्वोत्तम सेवाएँ प्रदान करना पंजीकृत संघों ने एन. डी. एम. बी. में एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देश (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी किए हैं

और ऐसे खाते में प्राप्त विदेशी योगदान को संचालित करने के लिए भी। यदि परिचालन सुविधा में किसी और सुधार की आवश्यकता है, तो याचिकाकर्ताओं और अन्य सभी इच्छुक व्यक्तियों के लिए अनुरोध करने के लिए खुला है ऐसी सुविधा में सुधार के लिए नामित बैंक। हालांकि, केवल इसलिए कि पंजीकृत संघ को विदेशी स्रोत से विदेशी योगदान की प्राप्ति/प्रवाह के लिए केंद्रीकृत स्थान पर निर्दिष्ट बैंक में एफ. सी. आर. ए. खाता खोलने के लिए मजबूर किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि

आवश्यकता स्पष्ट रूप से मनमाना या अनुचित होगी। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित होने के लिए दी गई अनुमति का लाभ उठाने के लिए यह केवल एक बार की कवायद है जिसका पालन किया जाना चाहिए। संघ या व्यक्ति जिसे पूर्व शर्त के रूप में विदेशी योगदान प्राप्त करने की अनुमति दी गई हो।

77. विदेशी योगदान के प्रवाह के लिए केवल एक प्रवेश बिंदु की आवश्यकता को संसद ने सबसे अच्छे विकल्प के रूप में देखा था।

विदेशी योगदान के प्रवाह को विनियमित करना। इस प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों द्वारा वास्तविक समय के आधार पर विदेशी योगदान के प्रवाह की निरंतर निगरानी में दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है और वे इससे निपटने के लिए तत्काल सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम होंगे।

अवांछनीय सहित इसकी मात्रा के कारण आसन्न खतरा माना जाता है

प्रेषण का स्रोत। न्यायालय के लिए यह खुला नहीं है कि वह इस संबंध में दूसरा अनुमान लगाए।

78. देश की संप्रभुता और अखंडता और राज्य की सुरक्षा के हित में संसद द्वारा बनाए गए कानून के संदर्भ में,

सार्वजनिक व्यवस्था, और आम जनता के हित में भी, ऐसा प्रावधान

स्पष्ट रूप से मनमाना की विशिष्ट दलील पर बहुत कम हल्के में नहीं देखा जा सकता है। संसद ने अपने विवेक में प्रचलित स्पष्ट परिस्थितियों के कारण इस तरह के प्रावधान को आवश्यक माना था

विधेयक के प्रस्तुतिकरण में संदर्भित।

79. यह जोरदार आग्रह किया गया कि नामित बैंक में बुनियादी ढांचे की कमी है और बैंक शाखा में केवल 40 कर्मचारी हैं। इस दलील को पुष्ट करने के लिए, अवलोकन का संदर्भ दिया जाता है

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया-विदेशी नोएल हार्पर और ओ. आर. एस. पर वह विशाल डेटा।

प्रेषण से बैंक पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा और वृद्धि होगी।

संदिग्ध लेन-देन की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने सहित इसकी लागत। यह तर्क हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। डिजिटल बैंकिंग परिचालन में,

यह भौतिक सेवाओं को वितरित करने वाली प्रमुख गणना नहीं है जो मायने रखती है, लेकिन सॉफ्टवेयर की प्रभावशीलता महत्वपूर्ण है। हम भी नहीं हैं।

इस दलील से प्रभावित कि दूरदराज के हिस्सों में स्थित संगठनों के लिए

देश में, बाधाएं होंगी और इस कारण से, धारा 7 निष्पक्षता और तर्कसंगतता की कसौटी का उल्लंघन करती है। किसी भी मामले में, प्रतिवादी सं. 3 (एस. बी. आई.) ने हलफनामे में सभी पंजीकृत लोगों के एफ. सी. आर. ए. खातों की कुशल सेवा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया है।

संघ/खाताधारक। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो सुधार के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे। सुविधाओं/सेवाओं को इसके अंत में लिया जाएगा। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि विचाराधीन तर्क संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है

धारा 12 (1ए) और धारा 17 (1) के रूप में प्रावधानों की संवैधानिक वैधता, जैसा कि संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। अनावश्यक है।

यह रेखांकित करता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने इस न्यायालय के समक्ष हलफनामे में कहा है कि उसकी निर्दिष्ट शाखा में खोले गए एफ. सी. आर. ए. खातों को वास्तविक समय के आधार पर ऑनलाइन संचालित किया जा सकता है, बिना किसी व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के।

खाताधारक या उसके अधिकारी।

80. यह ध्यान में रखते हुए कि यह प्रावधान वास्तविक समय के आधार पर विदेशी योगदान के कुशल विनियमन के लिए आवश्यक हो गया है, यह न तो हो सकता है

राज्य के वैध उद्देश्य के बिना स्पष्ट रूप से मनमाना और न ही तर्कहीन कहा जाता है। तदनुसार, हमें इन प्रावधानों की चुनौती को अनुच्छेद 14,19 और

21 संविधान से।

81. तथ्य यह है कि पंजीकृत संघ पहले से ही अनुपालन कर रहे थे

लेखा प्रस्तुत करने, सूचना देने, लेखापरीक्षा और संबंधित प्राधिकरणों की संतुष्टि के लिए परिसंपत्तियों के निपटान की वैधानिक औपचारिकताओं के साथ, यह नहीं होगा कि संसद/विधानमंडल अपनी शक्तियों से वंचित है।

इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियामक तंत्र या ढांचे को बदलने और इसे वास्तविक बनाने के लिए- प्रवाह या प्राप्ति के संबंध में समय विदेशी योगदान और उसका उपयोग उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए इसकी अनुमति दी गई है। पंजीकृत व्यक्ति के तर्क को स्वीकार करना

संघ न केवल विधायी इरादे को कमजोर कर रहे होंगे, बल्कि

प्रधान अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य की अवहेलना करना।

2] 19 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

82. बाध्यकारी आवश्यकता का तर्क हमारे विचार के लिए केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम यह पाएँ कि संशोधित प्रावधानों में प्रदान की गई व्यवस्था पूर्ण निषेध की प्रकृति में है - संगठन बनाना या व्यवसाय में संलग्न होना। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है,

प्रावधान केवल प्रभावी नियामक उपायों के लिए हैं और विदेशी योगदान तक सीमित, व्यापक सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक व्यवस्था,

और विशेष रूप से संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए

देश को। कोई अन्य दृष्टिकोण रखने से विधायी इरादे को कमजोर किया जा सकता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

धारा 12 ए की वैधता

83. धारा 12 ए को शामिल करने की चुनौती पर वापस लौटना

2020 के संशोधन अधिनियम में यह आदेश दिया गया है कि संबंधित व्यक्ति

जो धारा 11 के तहत पूर्व अनुमति या पूर्व अनुमोदन मांगता है, या करता है

धारा 12 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक आवेदन, जिसमें शामिल हैं -

पहचान के रूप में प्रदान करने के लिए धारा 16 के तहत प्रमाण पत्र का नवीनीकरण

दस्तावेज़, इसके सभी पदाधिकारियों या निदेशकों की आधार संख्या या

अन्य प्रमुख पदाधिकारी। उद्देश्यों और कारणों का विवरण

संशोधन अधिनियम दुरुपयोग के पिछले अनुभव के बारे में गवाही है

विदेशी योगदान प्राप्तियाँ और उन गतिविधियों पर खर्च जो उन उद्देश्यों से संबंधित नहीं हैं जिनके लिए इसकी अनुमति दी गई थी। यह देखा गया था कि वर्षों के बीच विदेशी योगदान का प्रवाह लगभग दोगुना हो गया था।

2010 और 2019 और कई पंजीकृत संघ विफल रहे थे रद्द करने की आवश्यकता वाली बुनियादी वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना

19, 000 से अधिक पंजीकृत संगठनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र। यह एक चौंका देने वाली (पर्याप्त) संख्या है जो कुल उल्लंघनों का संकेत देती है

बड़ी संख्या में पंजीकृत संघ। इसके अलावा, इस संशोधन में था

देश की संप्रभुता और अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए आवश्यक किया गया है, जिसमें देश की सुरक्षा के हित भी शामिल हैं। राज्य और आम जनता का। यह संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है जो संबंधित गतिविधियों से संबंधित ऐसा कानून बनाने के लिए सक्षम है -

विदेशी दान और विशेष रूप से निर्धारित में इसकी स्वीकृति के बारे में

सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई अनुमति। इसका एक वैध उद्देश्य है। और नेक्सस को प्रिंसिपल के अंतर्निहित उद्देश्य के साथ प्राप्त करने की मांग की गई

अधिनियम और विषय संशोधन। यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि संगठन नोएल हार्पर एंड ओआरएस हैं।

इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है

इसके प्रमुख अधिकारियों से संबंधित आधिकारिक पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करें।

84. उपरोक्त के बावजूद, प्रावधान (धारा 12 ए) की परिकल्पना की गई है

कि पासपोर्ट की एक प्रति पहचान दस्तावेज के रूप में भी प्रदान की जा सकती है इसके सभी पदाधिकारी या निदेशक या अन्य प्रमुख पदाधिकारी या प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड, किसी विदेशी के मामले में। का अंतर्निहित उद्देश्य

यह प्रावधान केवल पंजीकृत के प्रमुख अधिकारियों की पहचान करने के लिए है। संगठन ताकि उन्हें उल्लंघन, यदि कोई हो, के लिए जवाबदेह बनाया जा सके। हमारा विचार है कि विदेशी के मामले में पासपोर्ट स्वीकार किया जाता है।

पर्याप्त पहचान दस्तावेज के रूप में, ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारतीय नागरिक के ऐसे पासपोर्ट पर उसी उद्देश्य के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार

समझा, इस प्रावधान की चुनौती अनुचित होने की आवश्यकता नहीं है

हमें हिरासत में लें और न ही आगे ले जाने की आवश्यकता है। जबकि, हम मानते हैं कि

इस प्रावधान को भारतीय की साज-सज्जा की अनुमति के रूप में समझने की आवश्यकता है आवेदक के प्रमुख अधिकारियों का पासपोर्ट जो भारतीय नागरिक हैं, उनकी पहचान के उद्देश्य से।

85. यह कहने के बाद, अन्य तर्कों पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है

निजता या विचाराधीन प्रावधानों के मामलों से निपटने के लिए सेवा में दबाया जाना स्पष्ट रूप से मनमाना है।

86. हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके लिए हम बार में उद्धृत प्रत्येक प्राधिकरण पर विस्तार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इसमें है।

उसमें बताए गए सिद्धांत से अलग कोई तरीका नहीं है।

निष्कर्ष

87. संक्षेप में, हम घोषणा करते हैं कि संशोधित प्रावधान

2020 अधिनियम, अर्थात् 2010 अधिनियम की धारा 7,12 (1 ए), 12 ए और 17 निम्नलिखित हैं -

उल्लिखित कारणों के लिए संविधान और प्रधान अधिनियम के अंतर्गत अधिकार

अब तक। जहां तक धारा 12 ए का संबंध है, हमने उक्त प्रावधान को पढ़ा है।

और इसका यह अर्थ लगाया कि इसके प्रमुख पदाधिकारी/पदाधिकारी इसकी अनुमति दे रहे हैं।

आवेदक (संगठन/एन. जी. ओ.) जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक बनाने के लिए

उनकी पहचान के उद्देश्य से पासपोर्ट। इस पर विचार किया जाएगा

संबंधित धारा 12 ए में अधिदेश के पर्याप्त अनुपालन के रूप में

पहचान।

88. तदनुसार, रिट याचिका (सिविल) सं। 566 और 2021 का 751 उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है। लेखन याचिका (सिविल) No.634 2021 का भी निपटान कर दिया गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाता है।

बी.

बिभूति भूषण बोस

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)